राजनीति सुधारो अभियान

संविधान व नियमावली

धारा–1

संगठन का नाम–

अभियान का नाम होगा– वोटर्स अभियान। आगे से इसे 'अभियान' कहा जाएगा।

धारा–1.1

अभियान संविधान की प्रस्तावना –

आवश्यक राजनीतिक, कानूनी व संवैधानिक सुधारों को कार्यान्वित करके–

केवल देश ही नहीं, अपितु पूरे विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक कानून का शासन कायम करना;

क्षैतिज व उर्ध्वाधर जनापेक्षाओं को और राज्य के क्षैतिज व उर्ध्वाधर प्रभुसत्ता को पहचानना व उसे मान्यता दिलाना और सभी तरह की जनापेक्षाओं को व सभी तरह की प्रभुसत्ताओं को राज्य की निर्णय करने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व दिलाना;

विश्व के सभी नागरिकों के लिए आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक– न्याय, आजादी, लोकतंत्र, बंधुता और अवसरों की समता सुलभ कराना;

पूरे संसार से हिंसा, आर्थिक गुलामी, गरीबी व पर्यावरण असंतुलन पैदा करने वाली परिस्थितियों को खत्म करने के लिए न्याय पर आधारित एक सक्षम राजनीतिक व आर्थिक विश्व व्यवस्था विकसित करना,

धारा–1.2

अभियान की नीति–

विश्व के नागरिकों की समस्यायों का समाधान, पूरे विश्व के नागरिकों द्वारा, पूरे विश्व के नागरिकों के लिए सोंचा एवं किया जाएगा

धारा–1.3

अभियान के सिद्धांत, दर्शन व मान्यताएं –

अभियान के सदस्य निम्नलिखित मान्यताओं में विश्वास करने के लिए अध्ययन करेगा –

1.3.1 समकालीन राजनीतिक सुधारक भरत गांधी के द्वारा लिखित साहित्य में अतीत के महापुरुषों व दार्शनिकों की संपूर्ण दृष्टि का समावेश है, वर्तमान में मौजूद उन सभी समस्याओं का वास्तविक समाधान है, जिनका राज्य की मशीनरी द्वारा समाधान किया जाना संभव है और भविश्य में पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिये वर्तमान में किये जाने योग्य उपायों की जानकारी है।

1.3.2 संपूर्ण धरती के होमो–सैपियंस एक साझी शरीर की कोशिकाओं की तरह व्यवहार करते हैं। इसीलिये जिस प्रकार शरीर से अलग करके शरीर के किसी अंग का इलाज नही किया जा सकता, उसी प्रकार विश्व से अलग करके किसी देश की स्थायी समस्याओं को हल नही किया जा सकता।

1.3.3 यह कि आनंद पैदा नहीं किया जा सकता, और न तो नष्ट किया जा सकता है, आनंद का चेतना से काया में परस्पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में परस्पर, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में परस्पर, एक देश से दूसरे देश में परस्पर तथा एक प्राणी जगत से दूसरे प्राणी जगत में परस्पर स्थानांतरण भर होता है।

1.3.4 जिस प्रकार हर व्यक्ति के शरीर की उम्र निश्चित है, उसी प्रकार मानव समाज की उम्र भी निश्चित हैं। व्यक्ति में उम्र के साथ शरीर और मन में जो बदलाव आते हैं उसी प्रकार समय के बढ़ने के साथ समाज के

स्वभाव में भी बदलाव आते हैं। इसलिए समुदायों के मूल्यों, आस्थाओं तथा नियमों की उम्र अनंतकालिक नहीं होती, एक समय के बाद उनका स्वरूपगत परिवर्तन होता रहता है।

1.3.5 मजबूती मजबूत बनने के लिए नहीं, कमजोर को सुरक्षा देने के लिए ही है।

1.3.6 किसी एक चीज के विकेन्द्रीकरण के लिए किसी दूसरी चीज का केन्द्रीकरण करना आवश्यक होता है। विकेन्द्रीकरण के लिए केन्द्रीकरण एक साधन है।

1.3.7 आर्थिक और राजनैतिक केन्द्रीकरण सामाजिक उद्विकास का वह लक्षण है, जो प्राकृतिक नियमों के कारण पैदा हो रहा है, समय के साथ यह केन्द्रीकरण बढ़ता ही जाएगा, इसे सीधे रोक पाना मानव सामर्थ्य से बाहर की बात है। अतः केन्द्रीयकरण रोकने की बजाय अभियान की ऊर्जा केन्द्रीकरण के लाभों को विकेन्द्रित इकाइयों, यहां तक कि एक–एक नागरिक तक के हाथों में पहुँचाने के लिए लगाई जाएगी।

1.3.8 मुद्रा साझे उद्यम से पैदा हुई चीज है, अतः मुदा पाने के लिए निजी मूल्यों का त्याग करना पड़ता है।

1.3.9 व्यक्ति की निजी आय में मुद्रा, कानूनों व प्रकृति का हिस्सा भी शामिल होता है, यह हिस्सा उतना ही अधिक होता है औसत जितना अधिक निजी धन किसी व्यक्ति के पास होता हे।

1.3.10 दो समुदाय जिनके बीच ऐतिहासिक शत्रुता दिखाई पड़ती है, तथा दो विचारधाराएं जो एक दूसरे की परस्पर विरोधी दिखाई देती हैं, ये दोनों बिजली के अर्थ और फेज जैसे दो तारों की तरह होते हैं। इनको सीधे आपस में संपर्क कराइए तो चिनगारी निकलती है और दोनों के बीच प्रतिरोधक रेझिस्टेंस लगाकर जोड़ दीजिए तो बल्ब बन जाता है और चौतरफा प्रकाश फैला देता है। इस प्रकार परस्पर विरोधी विचारधाराएं और समुदाय एक दूसरे के लिए तकलीफदेह किन्तु मानव जाति की सामूहिक जरूरत के लिए लाभप्रद होते है।

धारा–1.4

अभियान के उद्देश्य –

अभियान निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करेगी–

1.4.1 अभियान के संविधान की दूसरी अनुसूची के कार्यों को सम्पादित करना,

1.4.2 शासन व बाजार में पारदर्शिता,

1.4.3 सार्वजनिक व निजी सम्पत्तियों का पारदर्शी मूल्यांकन करना व उनका स्वामित्व अधिकतम उत्पादक हाथों में स्थानान्तरित करना,

1.4.4 समावेशी विकास के उपाय के रूप में भारत की संसद में विचाराधीन वोटरशिप मतकर्तावृत्ति के प्रस्ताव को लागू करना,

1.4.5 परस्पर विराधी प्रतितिनधि विचारधाराओं के सह अस्तित्व,

1.4.6 सशर्त विश्व नागरिकता,

1.4.7 मतकर्ताओं के जन्मना आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों की मान्यता दिलाना व कार्यान्वित करना,

1.4.8 भारत को एक मजबूत देश के रूप में व भारत के प्रत्येक परिवार व प्रत्येक नागरिक को मजबूत परिवार व मजबूत नागरिक के रूप में विकसित करना,

1.4.9 राजनीतिक, कानूनी व संवैधानिक सुधारों के लिये व मतदाताओं के आर्थिक हितों के सक्षा व संवृद्धि के लिए काम करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को भुगतान करने का तरीका विकसित करने व उसे कार्यान्वित करने के लिए काम करना।

धारा–1.5

अभियान की गतिविधियां –

पार्टी के सिद्धांतों व उद्देश्यों को अहिंसक व लोकतांत्रिक तरीकों से प्राप्त करने के लिये अभियान की गतिविधियां निम्नलिखित होंगी–

1.5.1 निम्न आर्थिक वर्गों के लिये कल्याणकारी गतिविधियां चलाना;

1.5.2 व्यक्यिों, विविध राजनैतिक व आध्यात्मिक नेताओं के अनुयायियों, कम्यूनों व आश्रमों, समूहों, गैर सरकारी संगठनों, आंदोलनों, अभियानों, संस्थाओं, स्कूलों व विद्यालयों, विश्व विद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों, ट्रष्टों, फर्मों व कम्पनियों की नेटवर्किंग करना;

1.5.3 अभियान की विविध गतिविधियों के लिये विविध प्रकोष्ठों, मोर्चों, आपरेशनों, संस्थाओं व संगठनों को संचालित करना;

1.5.4 अभियान की विविध गतिविधियों के लिये विविध संस्थाओं, संगठनों, ट्रष्टों, फर्मों व कम्पनियों को संबद्ध करना व अधिकृत करना;

1.5.5 अभियान की विविध गतिविधियों के लिये विविध राजनीतिक दलों, संस्थाओं, संगठनों व ट्रष्टों का गठबंधन बनाना;

1.5.6 सदस्यता व हस्ताक्षर अभियान, जनजागरण यात्रायें व पदयात्रायें, शांतिपूर्ण धरने– प्रदर्शन व रैलियां, उपवास– भूख हड़ताल, संगोष्ठियां व जनसभायें, प्रशिक्षण व कार्यशालाएं, मताधिकारियों के जन्मना राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों के लिये शिक्षण–प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना, पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, रेडियो व टीवी चैनलों का संचालन करना।

धारा–1.6

अभियान का झण्डा

1.6.1 अभियान के झण्डे में कुल तीन रंग होंगे। झण्डों का बायीं तरफ का एक–चौथाई हिस्सा सफेद रंग का होगा। झण्डे के दायीं तरफ के दो–तिहाई हिस्से को ऊपर–नीचे दो बराबर चौड़ाई की पट्टियों में बांटा जायेगा। ऊपर की पट्टी का रंग लाल होगा व नीचे की पट्टी का रंग उर्ध्वाधर स्तर के अनुरूप अलग–अलग होगा।

1.6.2 केन्दीय इकाई के झण्डे के दायीं तरफ के तीन–चौथाई हिस्से में नीचे की पट्टी का रंग बैगनी होगा।

1.6.3 प्रादेशिक इकाई के झण्डे के दायीं तरफ के तीन–चौथाई हिस्से में नीचे की पट्टी का रंग नीला होगा।

1.6.4 देशिक इकाई के झण्डे के दायीं तरफ के तीन–चौथाई हिस्से में नीचे की पट्टी का रंग आसमानी होगा।

1.6.5 वतनी इकाई के झण्डे के दायीं तरफ के तीन–चौथाई हिस्से में नीचे की पट्टी का रंग हरा होगा।

1.6.6 प्रराष्ट्रीय इकाई के झण्डे के दायीं तरफ के तीन–चौथाई हिस्से में नीचे की पट्टी का रंग पीला होगा।

1.6.7 राष्ट्रीय इकाई के झण्डे के दायीं तरफ के तीन–चौथाई हिस्से में नीचे की पट्टी का रंग नारंगी होगा।

1.6.8 झंडे की सफेद व लाल रंग की दोनो आकृतियां संयुक्त रूप से अभियान की अद्वैत सत्ता, उसके साझेपन की प्रतीक होगी। झण्डे के दायीं तरफ के तीन–चौथाई हिस्से में नीचे की पट्टी का अलग–अलग रंग अभियान के द्वैत सत्ता का प्रतीक होगी। इस प्रकार अभियान का झंडा द्वैताद्वैत दर्शन के आधार पर तैयार किया गया है।

1.6.9 झंडे के दाहिनी ओर की दोनें पट्टियों में से नीचे की पट्टी का रंग अभियान की इकाई के उर्ध्वाधर स्तर का प्रतीक होगी।

1.6.10 प्रत्येक स्तर पर स्थित विविध कार्यसमितियों को यह अधिकार होगा कि वह निर्धारित झंडे में अपनी पहचान के लिए कोई अद्वितीय चिन्ह झंडे के ऊपरी और दाहिने हिस्से में अंकित करा दे।

धारा–2

फफ

1.7.2 अभियान के चुनाव निशान में संशोधन, परिवर्तन करने का अधिकार अभियान की केन्द्रीय कार्यसमिति को होगा।

धारा–3

भारत के संविधान के प्रति अभियान की निष्ठा

अभियान विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ–निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा तथा भारत की प्रभुता, एकता व अखण्डता को अक्षुण्ण रखेगी।

धारा–3.1

अभियान में आन्तरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए उपबंध

अभियान की केन्द्रीय कार्यसमिति को यह अधिकार होगा कि अभियान में आन्तरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए व अभियान के बाहर वास्तविक लोकतंत्र पर आधारित राजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था उद्विकसित करने के लिए अभियान संविधान में नियमानुसार संशोधन कर सके, कुछ प्रावधानों का निरसित कर सके या कुछ नये प्रावधान जोड़ सके।

धारा–4

अभियान के अंग, उपांग, सहयोगी, नीति निर्देशक और नेतृत्वकर्ता–

अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करने हेतु अभियान के कुछ अंग, उपांग, सहयोगी, नीति निर्देशक और नेतृत्वकर्ता होंगे।

धारा–4.1

अभियान के अंगों के नाम–

4.1.1 कार्य समिति

4.1.2 साधारण सभा

4.1.3 शून्य सदस्य

4.1.4 संसदीय परिषद

4.1.5 चुनाव प्राधिरण

4.1.6 चुनाव प्रत्यासी चयन परिषद

4.1.7 न्यायिक परिषद

4.1.8 लोक सेवा भर्ती परिषद

4.1.9 गैप गवर्निंग परिषद समवर्ती

4.1.10 गैप गवर्निंग परिषद समदर्शी

4.1.11 अभियान कोष

4.1.12 सुरक्षा परिषद

4.1.13 जनसंचार प्राधिकरण

धारा–4.2

अभियान के उपांगों के नाम –

4.2.1 अभियान के प्रकोष्ठ

4.2.2 अभियान के मोर्चा,

4.2.3 अभियान के आपरेशन

धारा–4.3

अभियान के सहयोगियों के नाम –

4.3.1 अभियान के संचालित संगठन

4.3.2 अभियान के संबद्ध संगठन

4.3.3 अभियान के अधिकृत संगठन

(i) नेशनल फाउण्डेशन ऑफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च
(ii) कौंसिल ऑफ वोटर कौंसिलर्स

4.3.4 अभियानं गठबंधन के सहोदर दल

4.3.5 अभियान के मिशन मित्र संगठन

धारा–4.4

नीति निर्देशक व्यक्ति, व्यक्तित्व व संगठन

4.4.1 भरत गांधी

4.4.2 आर्थिक आजादी आंदोलन

4.4.3 आर्थिक आजादी परिसंघ

4.4.3 वोटरशिप एलाएंस ऑफ पोलिटिकल अभियानज

धारा–4.5

नेतृत्वकर्ता व्यक्ति, व्यक्तित्व व संगठन

4.5.1 ग्लोबल आर्गेनाइजेशन फॉर डिमोक्रेसी

4.5.2 ग्लोबल ऐग्रीमेंट ऑन पावर्टी एण्ड पीस

4.5.3 ग्लोबल एलाएंस ऑफ पोलिटिकल अभियानज

4.5.5 साउथ एशियन एलाएंस ऑफ पोलिटिकल अभियानज

4.5.6 अभियान इण्टरनेशनल

4.5.7 अभियान ग्लोबल

धारा–4.6

अभियान के विविध इकाइयों के उर्ध्वाधर स्तर–

अभियान के प्रत्येक अंग की दस उर्ध्वाधर कार्यकारी स्तरों पर व पांच उर्ध्वाधर निर्वाचन क्षेत्रों के स्तर शाखाएं होंगी। दस कार्यकारी स्तर दो वर्गों में वर्गीकृत होंगे। इन दो वर्गों को कहा जाएगा– शासकीय स्तर व प्रशासकीय स्तर। इन स्तरों के नाम इस प्रकार होंगे–

4.6.1 केन्द्रीय स्तर

4.6.2 शासकीय स्तरों के नाम–

(i) प्रादेशिक स्तर
(ii) देशिक स्तर
(iii) वतनी स्तर
(iv) प्रराष्ट्रीय स्तर
(v) राष्ट्रीय स्तर

4.6.3 प्रशासकीय स्तरों के नाम–

(i) जनपद दस्तर
(ii) ब्लाक स्तर
(iii) गांव स्तर
(iv) परिवार स्तर
(v) सदस्य स्तर

4.6.4 निर्वाचन क्षेत्रों के विविध स्तरों के नाम–

(i) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर
(ii) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर
(iii) ग्रामसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर
(iv) परिवार सभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर
(v) जनसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर

धारा–4.7

अभियान के विविध अंगों के कार्यकारी प्रमुखों के पदो ंके नाम–

	अंग	पद का नाम
4.7.1	संसदीय परिषद	अध्यक्ष
4.7.2	चुनाव प्राधिरण	अध्यक्ष

4.7.3	चुनाव प्रत्यासी चयन परिषद	अध्यक्ष
4.7.4	न्यायिक परिषद	अध्यक्ष
4.7.5	लोक सेवा भर्ती परिषद	महानिदंशक
4.7.6	गैप गवर्निंग परिषद समवर्ती	राजदूत
4.7.7	गैप गवर्निंग परिषद समदर्शी	राजपंच
4.7.8	अभियान कोष	महप्रबंधक
4.7.9	सुरक्षा परिषद	महानिदेशक
4.7.10	जनसंचार प्राधिकरण	प्रवक्ता

धारा–4.8

पदाधिकारियों के कार्यकाल–

4.8.1 विविध स्तर की कार्यसमितियों के अध्यक्षों के कार्यकाल–

(i) राष्ट्रीय अध्यक्ष	–	7 वर्ष।
(ii) प्रराष्ट्रीय अध्यक्ष	–	6 वर्ष।
(iii) वतनी अध्यक्ष	–	5 वर्ष।
(iv) देशिक अध्यक्ष	–	4 वर्ष।
(v) प्रादेशिक अध्यक्ष	–	3 वर्ष।
(vi) जनपद स्तरीय अध्यक्ष	–	2 वर्ष।
(vii) अन्य स्तरों के अध्यक्ष	–	2 वर्ष।

4.8.2 सभी स्तर की कार्यसमितियों के चेयरमैनों के कार्यकाल एक वर्ष होगा।

4.8.3 अध्यक्ष व चेयरमैन के अलावा सभी उर्ध्वाधर कार्यसमितियों के अन्य पदाधिकारियों का कार्यकाल निम्नवत होगा–

पद		**कार्यकाल**
(i) गवर्नर	–	3 वर्ष
(ii) महासचिव	–	3 वर्ष
(iii) कोष सचिव	–	3 वर्ष
(iv) उपाध्यक्ष	–	3 वर्ष
(v) वाइस–चेयरमैन	–	1 वर्ष
(vi) सचिव	–	3 वर्ष
(vii) सदस्य	–	3 वर्ष
(viii) सदस्य	–	3 वर्ष
(ix) सदस्य	–	3 वर्ष
(x) नीति निर्देशक	–	5 वर्ष

4.8.4 अभियान के विविध अंगों के सभी उर्ध्वाधर स्तरों पर कार्यकारी प्रमुखों का कार्यकाल निम्नवत होगा– –

	अंग	**पद का नाम**	**कार्यकाल**
(i)	संसदीय परिषद	अध्यक्ष	– 5 वर्ष
(ii)	चुनाव प्राधिकरण	अध्यक्ष	– 5 वर्ष
(iii)	चुनाव प्रत्यासी चयन परिषद	अध्यक्ष	– 5 वर्ष
(iv)	न्यायिक परिषद	अध्यक्ष	– 5 वर्ष

(v)	लोक सेवा भर्ती परिषद	महानिदेशक	–	5 वर्ष
(vi)	गैप गवर्निंग परिषद समवर्ती	राजदूत	–	5 वर्ष
(vii)	गैप गवर्निंग परिषद समदर्शी	राजपंच	–	5 वर्ष
(viii)	अभियान कोष	महप्रबंधक	–	5 वर्ष
(ix)	सुरक्षा परिषद	महानिदेशक	–	5 वर्ष
(x)	जनसंचार प्राधिकरण	प्रवक्ता	–	5 वर्ष

4.9.5 अभियान के विविध उपांगों के कार्यकारी प्रमुखों के कार्यकाल–

अंग	**पद का नाम**	**कार्यकाल**
(i) अभियान के प्रकोष्ठ	अध्यक्ष	5 वर्ष
(ii) अभियान के मोर्चा	अध्यक्ष	5 वर्ष
(iii) अभियान के आपरेशन	अध्यक्ष	5 वर्ष

4.8.6 अभियान के विविध पदाधिकारियों, विविध अंगों व उपांगों के कार्यकारी प्रमुखों के कार्यकाल घटाने या बढ़ाने का अधिकार अभियान की केन्द्रीय कार्यसमिति को होगा।

धारा–5

सदस्यता

धारा–5.1

सदस्यता के लिए अर्हता–

5.1.1 कोई भी व्यक्ति जो –

(i) भारत का नागरिक हों,
(ii) 18 साल की उम्र पूरी कर चुका/चुकी हो,
(iii) अभियान के संविधान में विश्वास करता/करती हो,
(iv) भारत निवाचन आयोग द्वारा पंजीकृत किसी अन्य राजनीतिक अभियान का सदस्य न हो,
(v) अभियान की सदस्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित फार्म– एक के अनुसार आवेदन करता/करती हो,
(vi) संविधान की अनुसूची–तीन के अनुरूप नियमानुसार सदस्यता शुल्क अदा करता/करती हो,
(vii) नियमानुसार उसकी सदस्यता आवेदन/निवेदन पत्र को पंजीकृत व मंजूर किया जाता हो,
–वह अभियान का प्राथमिक सदस्य बन सकता/सकती है।

5.1.2 अभियान के प्राथमिक सदस्य की सदस्यता अवधि 5 वर्ष होगी। सदस्यता आवेदनपत्र के माध्यम से 5 साल बाद सदस्यता का नवीनीकरण आवश्यक होगा। कोई व्यक्ति केवल उसी पते पर सदस्य बन सकता है जहां वह स्थायी रूप से रहता हो। पता बदलने पर नये व पुराने अभियान के जिला कार्यालयों को तत्काल लिखित सूचना देना सदस्य के लिए आवश्यक होगा। एक व्यक्ति दो पतों पर सदस्य नहीं बन सकता।

5.1.3 अभियान के प्राथमिक सदस्य शपथपूर्वक यह घोषणा करेगा/ करेगी कि मैं शपथ लेता/लेती हूँ कि :

(i) मैं अभियान के उद्देश्यों को उसके द्वारा निर्धारित कार्यपद्धति के माध्यम से प्राप्त करने के लिए कार्य करूंगा/करूंगी।
(ii) मैं अभियान के संविधान के अनुसार यथाशक्य अपनी कार्यशैली को अनुकूलित करने का प्रयास करूंगा/करूंगी।
(iii) मैं उच्चतर समदर्शिता का दृष्टिकोण अपने अंदर विकसित करने के लिए अभ्यास करूंगा/करूंगी।

5.1.4 4 सक्रिय सदस्य बनाने वाले प्राथमिक सदस्य को वोटर कौंसिलर कहा जाएगा। उस पर 100 सदस्यों से नियमित संबंध बनाये रखने व 100 सदस्यों की सदस्यता का नवीनीकरण करवाने की जिम्मेदारी होगी। एक मतदाता के रूप में उनके अधिकारों व कर्तव्यों में सतत वृद्धि के लिए अध्ययन करेगा व सलाह देगा। यथाशक्य वह कोशिश करेगा कि मतदाताओं को उनके आर्थिक हितों के लिए सलाह देना उसका पूर्णकालिक

व्यवसाय बन जाये व इस तरह के कानून बन जायें कि मतदाताओं को सरकार विधि निर्माणकार्य करने के लिए नियमित शुल्क दे और इस शुल्क में से ही मतदाता सलाहकारों को सलाह देने की शुल्क भी मिलती रहे।

5.1.5 यथाशक्य किसी वोटर कौंसिलर को किसी भी तरह के चुनाव के लिए अभियान का टिकट नहीं दिया जाएगा, जिससे वह मतदाताओं के राजनीतिक हितों की बजाय उनके आर्थिक हितों के लिए एकाग्र होकर काम कर सके।

5.1.6 अभियान के प्राथमिक सदस्य को सांगठनिक ढ़ाचे के चुनाव में वोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए अभियान की पांच शासकीय उर्ध्वाधर इकाइयों में से किसी एक की व्युत्पन्न सदस्यता लेनी होगी। ऐसे सदस्यों को अभियान का उर्ध्वाधर या सक्रिय सदस्य कहा जाएगा।

5.1.7 सक्रिय सदस्यों को केवल उसी उर्ध्वाधर स्तर की साधारण सभा के स्थानीय प्रतिनिधि के चुनाव में वोट देने का अधिकार होगा, जिस स्तर की इकाई का वह सक्रिय सदस्य है। उदाहरण के लिए प्रादेशिक इकाई के सक्रिय सदस्य को प्रादेशिक साधारण सभा के गठन के लिए होने वाले स्थानीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अभियान प्रतिनिधि के चुनाव में वोट देने का अधिकार होगा।

धारा–5.2

सदस्यता के विविध प्रवर्ग–

5.2.1 अभियान की सक्रिय सदस्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित फार्म– एक के अनुसार आवेदन करता/करती हो, संविधान की अनुसूची–तीन के अनुरूप नियमानुसार सदस्यता शुल्क अदा करता/करती हो,

5.2.2 अभियान गठबंधन के मूल सदस्य अभियान के पदेन प्राथमिक सदस्य होंगे। अभियान गठबंधन के सकिय सदस्य अभियान के पदेन सकिय सदस्य होंगे।

5.2.3 मिशन मित्र दलों व संगठनों के सदस्य अभियान के मिशन मित्र सदस्य होंगे। मिशन मित्र सदस्य संगठनों व दलों के आधार पर मिशन के समर्थकों के बीच फूट पड़ने और उनकी शक्ति टूटने व बिखरने से बचाने के लिये काम करेगे। मिशन मित्र सदस्य अपने संगठन व अभियान के उच्चस्थ पदाधिकारियों को यह समझाने का काम करेंगे कि उसका संगठन या अभियान मिशन पर काम करने वाले अन्य संगठनों व गठबंधनों से मिलकर काम करे, जिससे मिशन के समर्थकों की ताकत को एकजुट करना संभव हो सके। मिशन मित्र सदस्यों की सूची अभियान के सदस्य व्यकितगत संबंधों के आधार पर तैयार करेंगे।

5.2.4 अभियान के किसी सक्रिय सदस्य या पदाधिकारी द्वारा इकतरफा विश्वास के आधार पर अभियान के शून्य सदस्यता रजिस्टर में दर्ज व्यक्ति को अभियान का शून्य सदस्य कहा जाएगा।

5.2.5 अभियान गठबंधन के सदस्य दलों के प्राथमिक सदस्य अभियान के सहोदर सदस्य होंगे। अभियान के सहोदर सदस्य अभियान गठबंध्न के आदेशों को लागू कराने के लिये काम करेंगे। सहोदर सदस्यों की सूची अभियान के सदस्य व्यकितगत संबंधों के आधार पर तैयार करेंगे, या अभियान गठबंध्न के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त करेंगे।

धारा–5.3

सदस्यता पंजीकरण

5.3.1 कोई भी व्यक्ति जो अभियान का सदस्य बनने का इच्छुक हो, वह अभियान की भर्ती परिषद् के कार्यकारी प्रमुख को सम्बोधित करते हुए निर्धारित फार्म– एक के माध्यम से आवेदन करेगा। सक्रिय सदस्य बनने के लिए इस आवेदन पत्र में उसे पाँच उर्ध्वाधर कार्यसमितियों में से किसी एक का नाम अपनी पसंदानुसार लिखना होगा व शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। पदाधिकारी या कर्मचारी बनने के लिए उसे संबंधित प्रकोष्ठ या अंग का नाम लिखना होगा जिसमें विशेष रूप से वह कार्य करने की रूचि रखता है।

5.3.2 भर्ती परिषद को यह अधिकार होगा कि वह आवेदक से कार्य समिति या साधारण सभा के किसी एक सदस्य की सिफारिश मांग ले या नियम अनुसार आवेदक की भर्ती उचित पद व उचित स्तर पर करे।

5.3.3 भर्ती परिषद अपने विवेकानुसार सदस्य का अंतरिम या अन्तिम पंजीकरण कर सकती है।

5.3.4 सदस्यता की अंतिम मंजूरी सम्बिन्धित कार्यसमिति देगी।

धारा–5.4

सदस्यता का रिकार्ड

5.4.1 अभियान कार्यसमिति अपने प्राथमिक सदस्यों का रिकार्ड जनपद स्तर की कार्यसमिति के प्रबन्धक के माध्यम से रखेगी।

5.4.2 अन्य पांच कार्यसमितियाँ अपने–अपने स्तर के विविध प्रवर्गों के सक्रिय सदस्यों के रिकार्ड का अपने जनपद प्रतिनिधि के माध्यम से रखेंगी।

धारा–5.5

सदस्यता की जांच

सभी कार्यसमितियों के अध्यक्षों को यह अधिकार होगा कि वे महासचिव के मसध्यम से सदस्यता की जांच करते रहें। इस संबंध में विधियां बनाने का अधिकार अभियान की केन्द्रीय कार्यसमिति को होगा।

धारा–5.6

सदस्यता से त्यागपत्र या स्थानांतरण का आवेदन

5.6.1 अभियान कार्यसमिति, साधारण सभा, न्यायिक परिषद या गैप परिषद से संबंधित कोई भी सदस्य अपनी इकाई के कार्यपालक प्रमुख को अपना त्यागपत्र या स्थानान्तरण का आवेदन पत्र दे सकता है। ऐसा प्रमुख अपनी संस्तुति के साथ अपने उच्चस्थ कार्यपालक प्रमुख को संस्तुति की मंजूरी के लिए भेजेगा। ऐसी संस्तुति में आवदेन पत्र की प्रार्थना की स्वीकृति भी हो सकती है, सदस्यता से बर्खास्तगी या निलंबन भी हो सकती है। इस मामले में कार्यपालक प्रमुख के फैसले के विरूद्ध संबंधित सदस्य को संबंधित न्यायिक परिषद में जाने का अधिकार होगा।

5.6.2 अभियान कार्यसमिति के अतिरिक्त अन्य पाँच कार्य समितियां सदस्यता से त्यागपत्र एवं स्थानांतरण से संबंधित विधियां बनाने के लिए स्वतंत्र होंगी।

धारा–5.7

सदस्यों के अधिकार–

5.7.1 अभियान के प्राथमिक सदस्यों को केन्द्रीय कार्य समिति के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में वोट देने का अधिकार होगा।

5.7.2 अभियान के सक्रिय सदस्यों को व अभियान के पदेन सक्रिय सदस्यों को अभियान की मनपसंद संबंधित स्तर की कार्य समिति के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में वोट देने का अधिकार होगा।

5.7.3 सदस्यों के मूल अधिकारों, व्युत्पन्न अधिकारों व विधिक अधिकारों संबंधी नियम बनाने का अधिकार अभियान की केन्द्रीय कार्य समिति को होगा।

5.7.4 पदेन प्राथमिक मूल सदस्यों, मिशन मित्र सदस्यों, सहोदर सदस्यों व शून्य सदस्यों को अभियान के संगठनात्मक चुनावों में वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

धारा–5.8

सदस्यों के कर्तव्य

अभियान के सदस्यों के कर्त्तव्य इस प्रकार होंगे–

5.8.1 नीतियों का प्रचार

5.8.2 कार्यक्रमों में भगीदारी

5.8.3 आर्थिक योगदान

5.8.4 समय दान

5.8.5 अध्ययन

5.8.6 शंका समाधान

5.8.7 वोट देना व दिलाना

5.8.8 जनापेक्षाओं को केन्द्रीय कार्यसमिति तक पंहुचाते रहना।

धारा–5.9

सदस्यों के लिए वित्तीय स्रोत

5.9.1 अस्तित्वगत सुरक्षा के वित्तिय स्रोत –

(i) राष्ट्रीय नागरिक होने के नाते पूर्वजों के कार्यों से उत्पन्न संसाधनों एवं सुविधाओं में अपना विरासती हिस्सा।

(ii) उस व्यक्ति द्वारा दी गई फीस, अपना पुरस्कार जिसकी निजी जरूरतें सदस्य पूरी करता है।

(iii) भविष्य में संसद द्वारा पारित वित्त विधेयकों द्वारा कैश हो सकने वाले गारन्टी पत्र/हुण्डी/करेंसी नोट या रिफण्डेबल डोनेशन रिसीट या रिफण्डेबल डोनेशन रिसीट।

5.9.2 संगठनात्मक कार्यों के निर्वहनार्थ वित्तीय स्रोत –

(i) उस समुदाय द्वारा प्रदत्त चन्दा जिस समुदाय की सामूहिक आवश्यकता सदस्य पूरी करता है।

(ii) संगठन द्वारा अपने कार्यों को सम्पन्न करने के लिए सदस्य के नाम निर्गत वित्तीय राशि।

(iii) भविष्य में संसद द्वारा पारित वित्त विधेयकों द्वारा कैश हो सकने वाले गारन्टी पत्र/हुण्डी/करेंसी नोट या रिफण्डेबल डोनेशन रिसीट या रिफण्डेबल डोनेशन रिसीट

धारा–5.10

सदस्यों को परिश्रम की प्रेरणा के स्रोत व प्रशिक्षण

5.10.1 राष्ट्रीय सदस्यों के कार्य के लिए प्रेरणा स्रोत :–

(i) राष्ट्रीय सदस्य अपनी सामूहिक आर्थिक विरासत की मान्यता, सुरक्षा तथा पोषण करने के लिए काम करेगा।

(ii) राष्ट्रीय सदस्य नागरिक के निजी विकास दर बढ़ाकर उसे इस योग्य बनायेगा कि वह सड़क, बिजली, संचार यातायात के सामूहिक साधनों का उपयोग कर सके एवं अपनी दवा, रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता को पूरी कर सके।

(iii) राष्ट्रीय सदस्य उत्पादन को अधिकतम हाथों में पहुँचाने के लिए काम करके वितरण का आर्थिक न्याय कायम करेगा।

(iv) राष्ट्रीय सदस्य राष्ट्रीय साधारण सभा के लिये निर्धारित कार्य सूची के लिये कार्य करेंगे। हटाकर उपर ले आया गया।

5.10.2 प्रादेशिक समुदाय के सदस्यों की प्रेरणा के स्रोत

(i) प्रादेशिक सदस्य अपनी समुदाय के सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा तथा पोषण की प्रेरणा से कार्य करेंगे।
(ii) प्रादेशिक सदस्य राष्ट्रीय विकास दर बढ़ाने और राष्ट्र के भौतिक विकास जैसे सड़क, बिजली, संचार, यातायात तथा रोजगार के परम्परागत साधनों के विस्तार के लिए कार्य करेंगे।
(iii) प्रादेशिक सदस्य उपभोग की वस्तुओं के अधिकाधिक उत्पादन के लिए कार्य करेगा।
(iv) प्रादेशिक सदस्य प्रादेशिक साधारण सभा के लिये निर्धारित कार्य सूची के लिये काम करेंगे।
(v) राष्ट्रीय सदस्य राष्ट्रीय साधारण सभा के लिये निर्धारित कार्य सूची के लिये कार्य करेंगे। हटाकर उपर ले जाया गया।

5.10.3 देश, वतन और प्रराष्ट्र की साधारण सभाओं के सदस्यों की परिश्रम की प्रेरणा के स्रोत व उनका प्रशिक्षण

(i) प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय कार्यसमितियों से सम्बंधित सदस्यों के अलावा अन्य सदस्य स्वयं से संबंधित कार्यसमिति के उक्त दोनों में से किसी एक नजदीकतम कार्य समिति के सदस्यों की प्रेरणा से संचालित होगा, अंतर केवल मात्रा का होगा, गुण का नहीं।
(ii) प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय सदस्यों को प्रेरित करने वाले जीवन मूल्य तथा उत्प्रेरक परस्पर विपरीत एवं प्रति पूरक होंगे।
(iii) प्रादेशिक विकासक सदस्य राजनीतिक सत्ता या सामाजिक सम्मान के माध्यम से उत्पादन की निजी क्षमता बढ़ाने के लिए काम करेगा, संगठन का उपयोग व्यावसायिक संवृद्धि के लिए वह कर सकेगा।
(iv) प्रादेशिक विधायक सदस्य राजनीतिक सत्ता या सामाजिक सम्मान के माध्यम से निजी आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य करेगा।
(v) राष्ट्रीय विकासक सदस्य – राष्ट्र के उत्पादन वृद्धि व अधः संरचना के विकास के लिए काम करेगा।
(vi) राष्ट्रीय विधायक सदस्य – राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की निजी आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए काम करेगा।

धारा–5.11

सदस्यता शुल्क, आय तथा व्यय का स्वरूप–

5.11.1 अभियान कार्यसमिति तथा साधारण सभा के –

(i) विकासक सदस्य खुले बाजार में सम्पन्न सदस्यता नीलामी जीतने पर नीलामी की रकम शुल्क के रूप में जमा करेगा।
(ii) विधायक सदस्य अभियान को दिये जा रहे अपने सेवा के बदले शुल्क लेंगे।
(iii) यह शुल्क अभियान द्वारा मान्य भविष्य में कैश हो सकने वाले गारंटी पत्र के रूप में भी हो सकता है।

5.11.2 न्यायिक परिषद के –

(i) न्यायाधीश अपनी सेवा के बदले शुल्क अभियान कोष से लेंगे। यह शुल्क रिफण्डेबल डोनेशन रिसीट के रूप में दिया जायेगा।
(ii) अधिवक्ता अपनी सेवा के बदले शुल्क संबंधित याचिकाकर्ता से लेंगे।
(iii) अभियान के फैसलों के पक्ष में वकालत करने के लिये अभियान के अधिवक्ता होंगे जिन्हें अभियान की तरफ से शुल्क भुगतान किया जायेगा। यह भुगतान अभियान द्वारा प्राप्त हुण्डियों या भविश्य में कैश होने वाले रिफण्डेबल डोनेशन रिसीट/गारंटी पत्रों के रूप में भी किया जा सकेगा।

5.11.3 समवर्ती गैप गवर्निंग कौंसिल के सदस्य अपनी सेवा के बदले शुल्क लेंगे जिसकी आधी रकम केन्द्रीय कार्यसमिति के कोष से तथा आधी रकम की आधी–आधी रकम संबधित अन्य दो कार्यसमितियों के कोष पर भारित होगा।

5.11.4 भर्ती परिषद के पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी –

(i) अभियान को अपनी सेवाओं के बदले विधि द्वारा निर्धारित शुल्क लेंगे जिसकी आधी रकम केन्द्रीय कार्यसमिति तथा आधी रकम संबंधित कार्यसमिति पर भारित होगी।
(ii) अभियान के लिए भर्ती किये जाने वाले नये सदस्यों, पदाधिकारियों, अधिकारियों व कर्मचारियों के चयन तथा प्रशिक्षण सेवा देने के बदले बाजार दर से शुल्क स्वयं इन सदस्यों से लेंगे।

5.11.5 अभियान की कोई भी कार्य समिति या सदस्य अनुदान के रूप में कोई राशि स्वीकार नहीं करेगा, ऐसी राशि अवैध होगी। ऐसा अनुदान अभियान की ओर से ही लिया जा सकेगा और बदले में अभियान द्वारा मान्यता प्राप्त रसीद/हुण्डी/गारंटी पत्र या रिफण्डेबल डोनेशन रिसीट प्रदान किया जायेगा।

5.11.6 अभियान का कोई सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति, संगठन, संस्था, ट्रस्ट, कम्पनी या फर्म अभियान को अल्पकालिक या दीर्घकालिक ऋण दे सकती है और ऋण वसूली के लिए अपनी मर्जी के किसी व्यक्ति या संस्था को अधिकृत कर सकता है। ऋण प्राप्ति की रसीद के रूप में अभियान द्वारा मान्यता प्राप्त हुण्डियों/भविश्य में कैश हो सकने वाले करेंसी नोट या रिफण्डेबल डोनेशन रिसीट या रिफण्डेबल डोनेशन रिसीटों/गारंटी पत्रों को ऋणदाता को सबूत स्वरूप प्रदान करेगी।

5.11.7 अभियान की केन्द्रीय कार्यसमिति प्राथमिक सदस्यों की सदस्यता की जांच जनपद महासचिव के माध्यम से नियमित करती रहेगी और अपनी संस्तुति और रपट अभियान की केन्द्रीय कार्य समिति को सौंपती रहेगी कि –विद्यमान सदस्यों में से कौन सदस्य सदस्यता के नियमों पर खरा नहीं उतर रहा है। ऐसे सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी किन्तु ऐसे रद्दीकरण के विरूद्ध ऐसा सदस्य अभियान के न्यायिक परिषद में अपनी याचिका दायर कर सकता है। न्यायिक परिषद का फैसला अंतिम होगा।

5.11.8 अभियान की अन्य पांच ऊर्ध्वाधर कार्यसमितियां सदस्यता की जाँच पड़ताल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की कार्यसमिति के माध्यम से नियमित करती रहेगी और अपनी संस्तुति और रपट अभियान की संबंधित उर्ध्वाधर कार्य समिति को सौंपती रहेगी।

5.11.9 सदस्यता में अभियान की विविध उर्ध्वाधर इकाइयों का हिस्सा निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगा–

(i) उर्ध्वाधर इकाइयां अपने–अपने सक्रिय सदस्यों द्वारा प्राप्त सदस्यता धनराशि का 50 प्रतिशत स्वयं अपने पास रखेंगी, जिसमें से आधी राशि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की कार्यसमिति तथा संबंधित वोटर कौंसिलरों में वितरित करने के लिए नियम बनायेंगी।

(ii) अपने–अपने उर्ध्वाधर स्तर की सक्रिय सदस्यता शुल्क की धनराशि तय करना संबंधित स्तर की कार्यसमिति का काम होगा।

(iii) प्राथमिक सदस्यता शुल्क का वितरण निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगा–

उर्ध्वाधर इकाइयां		प्राथमिक सदस्यता शुल्क में हिस्सा
1)	केन्द्रीय की कार्यसमिति	50 प्रतिशत
2)	प्रादेशिक कार्यसमिति	10 प्रतिशत
3)	देशिक कार्यसमिति	10 प्रतिशत
4)	वतनी कार्यसमिति	10 प्रतिशत
5)	प्रराष्ट्रीय कार्यसमिति	10 प्रतिशत
6)	राष्ट्रीय कार्यसमिति	10 प्रतिशत

धारा–5.12

सदस्यता समाप्ति, स्थगन व स्थानान्तरण :–

अभियान के सदस्य की संबंधित कार्यसमिति को यह अधिकार होगा कि वह :–

(i) अनुचित आचरण,
(ii) असंवैधानिक आचरण,
(iii) पागलपन,
(iv) निष्क्रियता,
(v) त्यागपत्र व मृत्यु,
(vi) संबंधित न्यायिक परिषद की सिफारिश,

के आधार पर –

(i) सदस्यता समाप्त कर दें, या
(ii) विवेक के आधार पर निर्धारित कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दें या
(iii) किसी समकक्ष सभा /समिति में स्थानांतरित कर दें।

धारा–5.13

सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही

5.13.1 सभी उर्ध्वाधर कार्यसमितियों व साधारण सभाओं को यह अधिकार होगा कि वे अपनी कार्यसमिति या अपनी साधारण सभा के किसी भी सदस्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए सदस्यता से कुछ वर्षों के लिए या अनिश्चित काल के लिए निलम्बित कर दें, बर्खास्त कर दे या किसी अन्य समकक्ष सभा या समिति में स्थानांतरित कर दें।

5.13.2 अभियान कार्यसमिति को यह अधिकार होगा कि छह कार्यसमितियों में से किसी एक द्वारा उक्त प्रकार से बर्खास्त निलम्बित या स्थानांतरित सदस्य को अपने विवेकानुसार किसी भी अन्य क्षैतिज या उर्ध्वाधर कार्य समिति में स्थानांतरित कर दे।

5.13.3 अनुशासनात्मक कार्यवाही से पीड़ित सदस्य को यह अधिकार होगा कि वह सम्बंधित न्यायिक परिषद में न्याय याचिका दायर करे और उस फैसले के विरुद्ध उच्चस्थ न्यायिक परिषद में अपील करे।

धारा–6

अभियान की विविध इकाइयों का गठन, कार्य प्रणाली, अधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित विनियम–

धारा–6.1

शून्य सदस्यों के कर्तव्य–

(i) शून्य सदस्यों से यह अपेक्षा होगी कि वे इस बात पर नजर रखेंगे कि अभियान या अभियान के पदाधिकारी कोई गलत काम तो नहीं कर रहे है, यदि वे ऐसा महसूस करते हैं तो अपने परिचित सदस्य को लिखित रूप में आगाह करेंगे और संगठन के उच्चतर स्तर के कार्यपालक प्रमुख को शिकायत की एक प्रति भेजेंगे।

(ii) शून्य सदस्य अभियान के उद्देश्यों, उनकी समाजोपयोगिता का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, यदि उन्हें लगता है कि उनके निजी तौर पर अल्प क्षति उठाने से समाज के अधिक संख्या में लोगों का लाभ हो रहा है तो शून्य सदस्य अपनी उन मान्यताओं से धीरे–धीरे मुक्त होने का प्रयास करेंगे जो मान्यताएं ऐसी क्षति को सहर्ष स्वीकार करने में बाधक बनती हों।

धारा–6.2

शून्य सदस्यों के अधिकार –

शून्य सदस्यों को यह अधिकार होगा कि लगातार अपनी शिकायत और सुझाव उच्च से उच्चतर यहां तक कि अभियान की केन्द्रीय कार्यसमिति तक अगर सुनवाई न हो, जवाब न आये, जवाब से संतुष्ट न हों तो अपनी सोच के अनुसार कोई ऐसा काम करें जिससे अभियान का नुकसान ही क्यों न होता हो।

धारा–7

साधारण सभा

अभियान की प्रत्येक कार्यसमिति के कार्यों को निर्देशित करने, बजट, कार्यों, योजनाओं व गतिविधियों को मंजूरी देने या निरस्त करने के लिये प्रत्येक स्तर पर अभियान का एक निकाय होगा, जिसे अभियान के संबंधित स्तर व संबंधित कार्यसमिति की साधारण सभा कहा जाएगा। साधारण सभा के सभापति को स्पीकर कहा जाएगा।

धारा–7.1

साधारण सभा का गठन –

7.1.1 **विधायक साधारण सभा का गठन** – जो लोग संबंधित साधारण सभा के लिए सर्वाधिक जनशक्ति का योग अभियान के कार्यो के लिए करेंगे। वे प्राथमिकता के आधार पर विधायक साधारण सभा की सदस्यता प्राप्त कर सकेंगे। निर्धारित संख्या में विधायक साधारण सभा की सीटों पर जनयोग प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन सूची में उच्चतम स्थान प्राप्त उतने लोगों की भी भर्ती किया जाएगा, जितनी संख्या में सींटे होंगी।

7.1.2 **विकासक साधारण सभा का गठन** –अभियान की विधायक साधारण सभा के समानांतर एक विकासक साधारण सभा होगी, संगठन जो संबंधित साधारण सभा को सर्वाधिक वित्तीय सहयोग करेंगे। विकासक साधारण सभा की निर्धारित सीटों पर वित्तीय सहयोगकर्ताओं की मेरिट सूची में से ऊपर उतने लोगों की भर्ती किया जाएगा, जितनी सीटें हैं।

धारा–7.2

विधायक साधारण सभा में भर्ती–

7.2.1 भर्ती परिषद किसी व्यक्ति की विधायक साधारण सभा में नियुक्ति की सिफारिस तभी करेगी, जबकि कोई व्यक्ति अभियान के किसी घोषित कार्यक्रम के समर्थन में समर्थक शून्य सदस्यों की सूची का एक रजिस्टर पेश करे, चयन समिति के द्वारा अधिकृत पर्यवेक्षक कार्यक्रम के समर्थन में समर्थक सदस्यों की मीटिंग संबंधित सदस्य के निमंत्रण पर बुलाकर सूची की सत्यता को सत्यापित करें, या,

7.2.2 स्वयं आवेदक व्यक्ति द्वारा बुलाई गई किसी खास जनसभा, रैली, प्रदर्शन, घेराव, अध्ययन शिविर, सेवा शिविर, क्रय या विक्रय या प्रचार अभियान आदि कार्यक्रमों में उपस्थित होकर भर्ती परिषद का अधिकृत अधिकारी उपस्थित सदस्यों की संख्या के बारे में अपनी रिपोर्ट दें,

7.2.3 भर्ती परिषद वर्ष भर में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करके मेरिट सूची बनाएगी। यदि यह सूची अभियान विधायक साधारण सभा की सीटों से लम्बी होती है तो ऊपर से उतने सदस्यों की सूची अभियान की कार्य समिति को भेंज देगी, जितनी सीटें हैं, यदि सीटों संख्या अधिक है तो शेष सीटें खाली रखी जाएंगी। भर्ती किये गये विधायक सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

7.2.4 ऐसे चयन से यदि किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी खारिज हो जाती है, और उसे चयन प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत है तो वह अभियान की न्यायिक परिषद में भर्तीशुदा व्यक्ति के चयन को चुनौती दे सकता है एवं अपनी भर्ती की प्रार्थना कर सकता है।

7.2.5 अभियान की देश स्तरीय विधायक साधारण सभा में प्रारंभ में उतनी ही सीटें होंगी, जितने प्रदेश भारत के विद्यमान संघ में शामिल हैं, अन्य देशों से यदि कोई व्यक्ति साधारण सभा में भर्ती होने के लिए आवेदन करता है तो उसकी पात्रता की चयन समिति जांच करेगी, चयन समिति सभा में उतनी सीटें बढ़ा दी जाएंगी, जितने संबंधित देश में प्रदेश होंगे बशर्ते इस तरह की भर्ती भारत के संविधान के प्रतिकूल न हो।

धारा–7.3

विकासक साधारण सभा में भर्ती–

7.3.1 विकासक साधारण सभा में सीटों की संख्या उतनी ही होगी। जितनी विधायक साधारण सभा में होगी, सीटों का भौगोलिक क्षेत्र भी वही होगा, जो विधायक साधारण सभा का होगा।

7.3.2 विकासक साधारण सभा में भर्ती होने के लिए कोई भी सदस्य आवेदन कर सकता है। उसे आवेदन–पत्र में संबंधित वित्तीय सत्र के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार दी जा सकने वाली अधिकतम वित्तीय राशि का उल्लेख करना होगा। साथ ही यह भी उल्लेख करना होगा कि वह किस क्षेत्र की सीट पर अपनी नियुक्ति चाहता है।

7.3.3 भर्ती परिषद एक क्षेत्र के सीट के लिए आये सभी आवेदन पत्रों को निविदा की तरह गोपनीय रखेगी एवं सबका विश्लेषण करके उसे एक खुले समारोह में न्यायिक परिषद के द्वारा अधिकृत सदस्यों के समक्ष खोलेगी। भर्ती परिषद किसी खास क्षेत्र में सर्वाधिक वित्तीय योगदान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिस कार्य समिति को करेगी। इस सदस्य की नियुक्ति एक वित्तीय वर्ष के लिए होगी। यह नियुक्ति अन्तरिम होगी यदि अपनी पूर्व में व्यक्त इच्छानुरूप वह घोषित धनराशि का योगदान करने में सफल हो जाता है तो उसे अन्तिम रूप से अगले एक वर्ष के लिये उस सीट की साधारण सभा का विकासक सदस्य माना जायेगा।

धारा–7.4

साधारण सभा की मेरिट सूची–

अभियान की साधारण सभा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता अभियान की भर्ती परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी, विधायक साधारण सभा तथा विकासक साधारण सभा में भर्ती की प्रक्रिया यही परिषद तय करेगी।

धारा–7.5

साधारण सभा के सदस्यों के अधिकार–

7.5.1 साधारण सभा के विधायक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासक सदस्य के किसी आदेश को निष्प्रभावी कर सकता है, विकासक सदस्य ऐसा ही निषेधाधिकार अपने विधायक सदस्य के विरूद्ध भी रखेगा।

7.5.2 विधायक साधारण सभा के बहुमत द्वारा पारित किसी प्रस्ताव को विकासक साधारण सभा निषेधाधिकार आदेश पारित करके नष्प्रभावी बना सकती है। ऐसा ही अधिकार विधायक साधारण सभा को विकासक साधारण सभा के विरूद्ध भी प्राप्त होगा।

7.5.3 कोई भी विकासक या विधायक सदस्य अपनी सभा में कोई विधेयक ला सकेगा। किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए होने वाले मतदान के समर्थन या विरोध में अपना मत दे सकेगा, कोई ऐसा कार्य कर सकेगा। या संगठन का कोई ऐसा उपयोग कर सकेगा, जिससे संगठन का सामूहिक लाभ होता हो या सदस्य का अपना निजी लाभ होता हो, बशर्ते उसके विरूद्ध निषेधाधिकार का प्रयोग न किया जाता हो।

7.5.4 कोई भी सदस्य अभियान और कार्य समिति की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकेगा, सर्वाधिक धनयोग या सर्वाधिक जनयोग का दावा सिद्ध करने पर कार्य समिति का सदस्य बन सकेगा।

7.5.5 सर्वाधिक जनयोग का दावा सिद्ध करने पर सम्बन्धित स्तर की कार्यसमिति का अध्यक्ष बन सकेगा और सर्वाधिक धनयोग का दावा सिद्ध करने पर सम्बन्धित कार्यसमिति का चेयरमैन बन सकेगा।

धारा–7.6

साधारण सभा के सदस्यों का कर्त्तव्य –

7.6.1 साधारण सभा के विधायक सदस्य इस बात का प्रयत्न करेंगे, कि उनके क्षेत्र की जनता तथा अभियान कार्यसमिति की जरूरतों के बीच समन्वय कायम किया जाये,

7.6.2 यदि कोई सदस्य ऐसा महसूस करता है कि उससे ज्यादा ताकत का कोई व्यक्ति मौजूद है जो उस सदस्य की जगह काम करने का इच्छुक है तो ऐसे व्यक्ति को कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए उसका सहयोग करेगा, भले ही इसमें उसे कुछ त्याग करना पड़े।

7.6.3 कोई भी भूतपूर्व सदस्य किसी वर्तमान सदस्य को अपना शत्रु मानकर कोई आचरण नहीं करेगा, बल्कि अपने प्रतिस्पार्धी को खेल भाव से देखेगा।

7.6.4 कोई भी भूतपूर्व सदस्य ऐसा आचरण करेगा, जिससे वह संगठन की शक्ति के बगैर भी समाज में अपनी पूर्व अर्जित प्रतिष्ठा कायम करके रख सके।

7.6.5 वर्तमान या भूतपूर्व सदस्य इस बात पर पैनी नजर रखेगा कि वह उन व्यक्तियों की सिफारिस संगठन में भर्ती के लिए करता रहे जो संगठन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति अपनी सिफारिस मात्र के आधार पर करवाने का आग्रह कोई सदस्य नहीं पालेगा।

धारा–8

कार्य समितियों का गठन, अधिकार एवं कर्त्तव्य –

अभियान संविधान, सिद्धांतों व नीति निर्देशों के अनुरूप अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विविध गतिविधियां संचालित करने व अभियान की संबंधित साधारण सभा द्वारा आवंटित घनराशि से संबंधित साधारण सभा द्वारा मंजूर कार्यों को सम्पादित करने के लिए 'अभियान की एक केन्द्रीय कार्यसमिति होगी व विविध स्तरों पर कुछ अन्य कार्यसमितियां होंगी।

धारा–8.1

कार्यसमितियों के प्रवर्ग व उनके स्तर–

अभियान की मुख्य कार्यकारी शक्तियां अभियान की केन्द्रीय कार्यसमिति में निहित होंगी। केन्द्रीय कार्यसमिति में प्रमुख कार्यकारी अधिकार कार्यसमिति के अध्यक्ष में निहित होगा, जो अपने कार्यों को अपने द्वारा गठित

ब्युरो के माध्यम से संपादित करेगा। केन्द्रीय कार्यसमिति के अध्यक्ष के चुनाव अभियान के सभी प्राथमिक सदस्य मिलकर करेंगें। सभी का मत मूल्य एक इकाई होगा। केन्द्रीय कार्यसमिति के अलावा राष्ट्र, प्रराष्ट्र, वतन, देश व प्रदेश स्तर पर अभियान की शासकीय कार्यसमितियां व ग्राम/वार्ड, ब्लॉक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र,, जनपद, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, वतनसभा निर्वाचन क्षेत्र, परिवारसभा निर्वाचन क्षेत्र, जनसभा निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर अभियान की प्रशासकीय कार्यसमितियां होंगी।

धारा–8.2

केन्द्रीय कार्यसमिति का गठन –

अभियान कार्यसमिति के चार अंग होंगे, जिन्हें ब्युरो, बोर्ड, गवर्निंग कौंसिल और नीति निदेशालय कहा जाएगा। ब्युरो के प्रमुख को प्रेसीडेंट, बोर्ड के प्रमुख को चेयरमैन, गवर्निंग कौंसिल के प्रमुख को गवर्नर–जनरल तथा नीति निदेशालय के प्रमुख को नीति निर्देशक कहा जाएगा। ब्यूरो व बोर्ड की अपेक्षाओं को गवर्नर–जनरल तक और गवर्नर–जनरल की अपेक्षाओं को ब्यूरो और बोर्ड तक पहुँचाने के लिये अध्यक्ष व चेयरमैन के समानान्तर कार्यसमिति का एक महासचिव होगा, जिसके अधीन कार्य समिति का सचिवालय कार्य करेगा। महासचिव के सचिवालय में एक कोष सचिव होगा, जो अभियान की कार्यसमिति के आय–व्यय का ब्योरा रखेगा। प्रेसीडेंट, चेयरमैन व महासचिव अपने–अपने विवेकानुसार क्रमशः उपाध्यक्षों, वाइस–चेयरमैनों व सचिवों की नियुक्ति कर सकते हैं। कार्यसमिति में विविध कार्यो व प्रभारों को संचालित करने के लिए उतनी संख्या में सदस्य होंगे, जितनी संख्या गवर्नर–जनरल प्रेसीडेंट की सलाह पर निर्धारित करे। सदस्यों के कार्यों के प्रभारों का निर्धारण भी गवर्नर–जनरल प्रेसीडेंट की सलाह पर करेगा।

धारा–8.3

केन्द्रीय कार्यसमिति के पदाधिकारियों की भर्ती–

8.3.1 केन्द्रीय कार्यसमिति के अध्यक्ष का चुनाव –केन्द्रीय कार्यसमिति के अध्यक्ष का चुनाव अभियान के सभी प्राथमिक सदस्य और अभियान के **राष्ट्रीय अध्यक्ष** मिलकर करेंगें। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

8.3.2 केन्द्रीय कार्यसमिति के चेयरमैन का चुनाव –केन्द्रीय कार्यसमिति का चेयरमैन अभियान का वह सदस्य होगा, जो पिछले वित्तीय वर्ष में अभियान को नकद या सेवाओं के रूप में सर्वाधिक वित्तीय योगदान किया हो। केन्द्रीय कार्यसमिति का अध्यक्ष व गवर्नर–जनरल उसके नाम पर सर्वसम्मति जताते हुए उस तथ्य को प्रमाणित करते हों। चेयरमैन का कार्यकाल एक वित्तीय वर्ष होगा।

8.3.3 केन्द्रीय कार्यसमिति के गवर्नर–जनरल का चुनाव – केन्द्रीय कार्यसमिति के गवर्नर–जनरल के चुनाव में पांच तरह के मतदाता मण्डल होंगे। पहले में राष्ट्रीय कार्यसमिति का अध्यक्ष होगा, दूसरे में प्रराष्ट्रीय कार्यसमितियों के दोनों/सभी अध्यक्ष होंगे, तीसरे में सभी वतनी कार्यसमिति के अध्यक्ष होंगे, चौथे में सभी देशिक कार्यसमितियों के अध्यक्ष होंगे, पांचवें में सभी प्रादेशिक कार्यसमितियों के अध्यक्ष होंगे।

8.3.4 केन्द्रीय कार्यसमिति के सदस्यों का चुनाव – केन्द्रीय कार्यसमिति के सदस्यों का चुनाव प्रेसीडेंट व चेयरमैन सर्वसम्मति से उतनी संख्या में करेंगे, केन्द्रीय कार्यसमिति के विविध दायित्वों का निर्वाह करने के लिए जितनी संख्या में गवर्नर–जनरल चाहे।

8.3.5 केन्द्रीय कार्यसमिति के नीति निर्देशक की मान्यता – केन्द्रीय कार्यसमिति के गवर्नर–जनरल, प्रेसीडेंट, चेयरमैन व सभी सदस्य दो तिहाई बहुमत से किसी व्यक्ति को अभियान की केन्द्रीय कार्यसमिति के नीति निर्देशक के रूप में मान्यता देंगे। यदि दो तिहाई बहुमत नही बनता तो यह पद रिक्त रहेगा। इस पद पर यथाशक्य ऐसे व्यक्ति को मान्यता दिया जायेगा, जो जातिगत, नस्लगत, पंथगत, देशगत, दलगत व स्वार्थगत राजनीति से ऊपर हो, जिसके माध्यम से अभियान मानव जाति को तोड़ने की बजाय जोड़ने का काम कर सके और जिसके आदर्शों पर अभियान की केन्द्रीय कार्यसमिति चलना चाहती हो।

8.3.6 केन्द्रीय कार्यसमिति के महासचिव का मनोनयन – केन्द्रीय कार्यसमिति के महासचिव का मनोनयन प्रेसीडेंट व चेयरमैन सर्वसम्मति से गवर्नर–जनरल की सलाह पर करेंगे। महासचिव पद पर नियुक्ति पाने के लिए किसी व्यक्ति आवश्यक होगा कि वह अभियान के द्वारा संचालित अथवा मान्य संस्थान द्वारा निर्धारित योगरूता प्रमाणपत्र प्राप्त हो।

8.3.7 **केन्द्रीय कार्यसमिति के कोष सचिव का मनोनयन –** केन्द्रीय कार्यसमिति के कोष सचिव का मनोनयन महासचिव प्रेसीडेंट व चेयरमैन की संयुक्त सलाह पर करेगा। कोष सचिव अभियान के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखेगा। कोष सचिव ही अभियान कोष नामक संस्थान का प्रभारी होगा।

8.3.8 **केन्द्रीय कार्यसमिति के उपाध्यक्षों का मनोनयन –** केन्द्रीय कार्यसमिति के उपाध्यक्षों का मनोनयन का मनोनयन प्रेसीडेंट गवर्नर–जनरल की सलाह पर करेंगा।

8.3.9 **केन्द्रीय कार्यसमिति के वाइस–चेयरमैनों का मनोनयन –** केन्द्रीय कार्यसमिति के वाइस–चेयरमैनों का मनोनयन चेयरमैन गवर्नर–जनरल की सलाह पर करेंगा।

धारा–8.4

केन्द्रीय कार्यसमिति के पदाधिकारियों का कार्यकाल –

पद	कार्यकाल
(i) अध्यक्ष	3 वर्ष
(ii) चेयरमैन	1 वर्ष
(iii) गवर्नर–जनरल	3 वर्ष
(iv) महासचिव	3 वर्ष
(v) कोष सचिव	3 वर्ष
(vi) उपाध्यक्ष	3 वर्ष
(vii) वाइस–चेयरमैन	1 वर्ष
(viii) सचिव	3 वर्ष
(ix) सदस्य	3 वर्ष
(x) सदस्य	3 वर्ष
(xi) सदस्य	3 वर्ष
(xii) नीति निर्देशक	5 वर्ष

धारा–8.5

उर्ध्वाधर शासकीय कार्य समितियों का गठन –

8.5.1 अभियान कार्यसमिति व समस्त उर्ध्वाधर कार्यसमितियों के तीन अंग होंगे, जिन्हें ब्युरो, बोर्ड एवं निदेशालय कहा जाएगा।

8.5.2 ब्युरो के प्रमुख को प्रसीडेंट, बोर्ड के प्रमुख को चेयरमैन तथा निदेशालय के प्रमुख को गवर्नर कहा जाएगा। ब्यूरो व बोर्ड की अपेक्षाओं को गवर्नर तक और गवर्नर की अपेक्षाओं को ब्यूरो और बोर्ड तक पहुँचाने के लिये अध्यक्ष व चेयरमैन के समानान्तर कार्यसमिति का एक महासचिव होगा जिसके अधीन कार्य समिति का सचिवालय कार्य करेगा।

8.5.3 बोर्ड तथा ब्युरों में न्यूनतम कितनी संख्या होगी यह संबंधित प्रसीडेंट या चेयरमैन तय करेगा लेकिन बोर्ड में तथा ब्युरों में अधिकतम संख्या संबंधित विकासक या विधायक साधारण सभा की संख्या से 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

8.5.4 दो बार से ज्यादा अवधि तक एक व्यक्ति अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकता। प्रेसीडेंट विधायक साधारण सभा का वह सदस्य होगा जो पिछले तीन वर्षों तक लगातार सर्वाधिक व्यक्तियों को अभियान के कार्यक्रमों में जोड़ते रहने की योग्यता प्रदर्शित किया होगा, प्रेसीडेंट का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। लगातार दो बार से ज्यादा एक व्यक्ति अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकता। अध्यक्ष यथाशक्य तत्कालीन सर्वाधिक लोकप्रिय पहले क्रम की प्रतिनिधि विचारधारा का प्रतिनिधित्व करेगा।

8.5.5 अध्यक्ष अपने अधीन कम से कम 1 और अधिक से अधिक 8 उपाध्यक्ष नियुक्त करेगा। उपाध्यक्षों की नियुक्ति इस प्रकार के लोगों के रूप में किया जायेगा, जिसमें यथाशक्य सभी तरह की प्रतिनिधि विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कार्यसमिति में संभव हो सके।

8.5.6 अध्यक्ष की तरह ही चेयरमैन अपने अधीन एक से आठ वाइस–चेयरमैनों की नियुक्ति इस प्रकार करेगा, जिससे यथाशक्य सभी तरह की प्रतिनिधि विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व संभव हो सके।

8.5.7 प्रतिनिधि विचारधाराओं के प्रतिनिधित्व के लिये जिन विचारधाराओं के प्रतिनिधियों को कार्यसमिति में उपाध्यक्ष या वाइस चेयरमैन के रूप में भर्ती करना अनिवार्य होगा, उन विचारधाराओं की सूची इस प्रकार होगी – वामपंथ, दक्षिणपंथ, सांस्कृतिक वामपंथ, आर्थिक वामपंथ, सांस्कृतिक दक्षिणपंथ, आर्थिक दक्षिणपंथ, व्यक्ति निर्माता, राष्ट्र निर्माता।

8.5.8 कार्यसमिति के ब्यूरो में अध्यक्ष, उपाध्यक्षों के अलावा सचिव व सदस्यों की संख्या का निर्धारण अध्यक्ष करेगा।

8.5.9 कार्यसमिति के बोर्ड में चेयरमैन, वाईस चेयरमैनों के अलावा सचिवों व सदस्यों की संख्या का निर्धारण चेयरमैन करेगा।

8.5.10 चेयरमैन विकासक साधारण सभा का वह सदस्य होगा जो पिछले वित्तीय वर्ष में अभियान को नकद या सेवाओं के रूप में सर्वाधिक वित्तीय योगदान किया हो। चेयरमैन का कार्यकाल एक वित्तीय वर्ष होगा। चेयरमैन यथाशक्य तत्कालीन सर्वाधिक लोकप्रिय दूसरे क्रम की प्रतिनिधि विचारधारा का प्रतिनिधित्व करेगा।

8.5.11 निदेशालय का प्रमुख गर्वनर होगा, जो सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक निदेशालय रख सकेगा, इस परिषद में अधिक से अधिक दो सदस्य होंगे।

8.5.12 गवर्नर संबंधित नीति निर्देशक के सहयोगी के रूप मे अध्यक्ष की सलाह पर काम करेगा। गवर्नर का प्रमुख कार्य होगा– विकासक तथा विधायक साधारण सभा के मध्य उत्पन्न किसी प्रकार के गतिरोध दूर करने के लिए समझौता सम्पन्न कराना, विचारधाराओं के आधार पर संगठित विविध व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के मध्य सामंजस्य कायम करना, बोर्ड एवं ब्युरो के मध्य और अध्यक्ष एवं चेयरमैन के मध्य गतिरोधों को दूर करते रहना एवं कार्य आगे बढ़ाने में मदद करना।

धारा–8.6

उर्ध्वाधर कार्यसमितियां –

अभियान की "अभियान की कार्यसमिति के नाम से एक केन्द्रीय संस्थापक व संचालक समिति होगी, जिसे अभियान की केन्द्रीय कार्यसमिति कहा जाएगा। केन्द्रीय कार्यसमिति के परिधि पर पांच उर्ध्वाधर कार्यसमितियां होंगी। उर्ध्वाधर पाँच तरह की कार्यसमितियों के गठन, कार्य प्रणाली, अधिकार एवं कर्त्तव्यों का निर्धारण संबंधित कार्य समिति की साधारण सभा या अभियान की कोई अन्य समिति करके अभियान कार्यसमिति में पंजीकृत करवाएगी। प्रत्येक कार्य समिति का :–

8.6.1 अपना–अपना संविधान होगा।

8.6.2 उक्त संविधान अभियान कार्यसमिति में पंजीकृत कराया जाएगा, किसी भी कार्यसमिति के संविधान के प्रावधान उस सीमा तक शून्य होंगे, जिस सीमा तक वे केन्द्रीय समिति के संविधान को लागू होने में बाधक बनता है।

8.6.3 सभी कार्यसमितियों का अलग–अलग कार्यक्षेत्र तथा कार्य सूची होगी।

8.6.4 अभियान के सदस्यों की सदस्यता पांच कार्यसमितियों या अभियान में से किसी एक समिति में पंजीकृत की जाएगी, जिसका समय–समय पर आवेदन के पत्र के माध्यम से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर उर्ध्वाधर स्थानांतरण किया जा सकता है।

8.6.5 पाँच कार्य समितियों का नाम, प्रादेशिक कार्यसमिति, देशिक कार्यसमिति, वतनी संघीय कार्यसमिति, प्रराष्ट्रीय कार्यसमिति और राष्ट्रीय कार्य समिति होगा। विदेशी मामलों को देखने वाली अभियान की कुछ कार्य समितियाँ होंगी जिनके सभी सदस्य भारतीय होंगे। इन कार्य समितियों का विवरण इस प्रकार होगा –

8.6.6 भारतीय संघ के प्रत्येक प्रदेश की अपनी–अपनी कार्यसमिति होगी, जिसका कार्यक्षेत्र सम्बंधित प्रदेश का राज्य क्षेत्र होगा।

8.6.7 यथाविद्यमान भारत संघ का राज्य क्षेत्र ही देशिक कार्यसमिति का कार्यक्षेत्र होगा।

धारा–8.7

विदेश मामलों संबंधी अभियान की उर्ध्वाधर कार्यसमितियां –

भारत संघ के घरेलू नागरिकों की विदेशों में निहित जरूरतों को पूरा करने के लिये अभियान की कुछ कार्यसमितियां होंगी, जिनका गठन तीन स्तरों पर होगा। इन जीनों स्तरों को वतन, प्रराष्ट्र और राष्ट्र स्तर कहा जाएगा।

धारा–8.7

वतन की कार्यसमिति –

विश्व के दोनों गोलार्द्धों के यथाशक्य प्रत्येक अर्धांश के लिए एक कार्यसमिति होगी, जिसे वतन की कार्यसमिति कहा जाएगा।

8.7.1 **दक्षिण एशियाई वतन की कार्यसमिति** – पूर्वी गोलार्द्ध के यथाशक्य दक्षिणी अर्धांश के लिए एक कार्यसमिति होगी, जिसे दक्षिण एशियाई वतन की कार्यसमिति कहा जाएगा। भारत, पाकिस्तान, बंग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालद्वीव, भूटान, तथा अफगानिस्तान का संयुक्त राज्यक्षेत्र संघीय क्षेत्र या वतनी क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस क्षेत्र के लिए एक कार्यसमिति होगी, जिसे वतनी कार्य समिति के नाम से पुकारा जाएगा। इस कार्यसमिति की तथा इसकी साधारण सभा की सदस्यता इस क्षेत्र के सभी सदस्यों के लिए नियमानुसार खुले इसके लिय अभियान की विदेशी मामलों को देखने वाली कार्य समितियाँ इस आशय का अन्तर्राष्ट्रीय कानून बनवाने के लिये संयुक्त रूप से काम करेंगी। यह कार्यसमिति भारत संघ के घरेलू नागरिकों की साम्प्रदायिक सौहार्द, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा तथा नागरिकों की संवृद्धि आदि जैसी उन जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए काम करेगी, जो जरूरतें इस क्षेत्र की साझी सीमाओं में ही पूरी हो सकती होंगी।

8.7.2 **अन्य वतनों की कार्यसमिति** – पूर्वी गोलार्द्ध के यथाशक्य उत्तरी अर्धांश के लिए एक कार्यसमिति होगी, जिसे उत्तर एशियाई वतन की कार्यसमिति कहा जाएगा। पश्चिमी गोलार्द्ध के यथाशक्य दक्षिणी अर्धांश के लिए एक कार्यसमिति होगी, जिसे दक्षिण अमरीकी वतन की कार्यसमिति कहा जाएगा। पश्चिमी गोलार्द्ध के यथाशक्य उत्तरी अर्धांश के लिए एक कार्यसमिति होगी, जिसे उत्तर अमरीकी वतन की कार्यसमिति कहा जाएगा।

धारा–8.8

प्रराष्ट्र की कार्यसमिति –

विश्व के दोनों गोलार्द्धों यानी विश्व के यथाशक्य प्रत्येक अर्धांश के लिए एक कार्यसमिति होगी, जिसे प्रराष्ट्र की कार्यसमिति कहा जाएगा।

8.8.1 **पूर्वी प्रराष्ट्र की कार्यसमिति–** पूर्वी गोलार्द्ध की एक–प्रराष्ट्रीय कार्यसमिति होगी, जिसके कार्यक्षेत्र में उक्त धारा का संघीय क्षेत्र तथा चीन, पूर्व सोवियत संघ, जापान के राज्यक्षेत्र, संपूर्ण अ ीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के समस्त देश एवं उन देशों के राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, जिन्हें अभियान कार्यसमिति अनुमोदित करें। यह कार्यसमिति भारत संघ के नागरिकों की उन जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करेगी जिनके लिए यथाशक्य पृथ्वी के पूर्वी गोलार्द्ध के नागरिकों का संयुक्त प्रयत्न आवश्यक हो। इस कार्यसमिति तथा इस कार्य समिति की साधारण सभा की सदस्यता इस क्षेत्र के समस्त नागरिकों के लिए नियमानुसार खुले इसके लिये अभियान की विदेशी मामलों को देखने वाली कार्य समितियाँ इस आशय का अन्तर्राष्ट्रीय कानून बनवाने के लिये संयुक्त रूप से काम करेंगी।

8.7.1 **पश्चिमी प्रराष्ट्र की कार्यसमिति** – पश्चिमी गोलार्द्ध की एक–प्रराष्ट्रीय कार्यसमिति होगी, जिसके कार्यक्षेत्र में पूर्वी–पश्चिमी अमरीका, यूरोप व अफ्रीका के उन देशों के राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, जिन्हें अभियान कार्यसमिति अनुमोदित करें। यह कार्यसमिति भारत संघ के नागरिकों की उन जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करेगी जिनके लिए यथाशक्य पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्द्ध के नागरिकों का संयुक्त प्रयत्न आवश्यक हो। इस कार्यसमिति तथा इस कार्य समिति की साधारण सभा की सदस्यता इस क्षेत्र के समस्त नागरिकों के लिए नियमानुसार खुले इसके लिये अभियान की विदेशी मामलों को देखने वाली कार्य समितियाँ इस आशय का अन्तर्राष्ट्रीय कानून बनवाने के लिये संयुक्त रूप से काम करेंगी।

धारा–8.9

राष्ट्रीय की कार्यसमिति –

अभियान की एक राष्ट्रीय कार्य समिति होगी, जिसके कार्य क्षेत्र में संपूर्ण पृथ्वी का थल एवं जल भू–भाग तथा ऊंचाई की एक निर्धारित सीमा के बाद संपूर्ण अंतरिक्ष एवं गहराई की एक सीमा के बाद सम्पूर्ण पृथ्वी शामिल होगी। यह कार्य समिति भारत संघ के नागरिकों की उन जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए काम करेगी, जिसके लिए यथाशक्य राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र के नागरिकों का संयुक्त प्रयत्न आवश्यक हो। इस कार्यसमिति तथा इस कार्यसमिति की साधारण सभा की सदस्यता इस क्षेत्र के समस्त नागरिकों के लिए नियमानुसार खुले इसके लिये अभियान की विदेशी मामलों को देखने वाली कार्य समितियाँ इस आशय का अन्तर्राष्ट्रीय कानून बनवाने के लिये संयुक्त रूप से काम करेंगी।

धारा–8.10

उर्ध्वाधर कार्यसमितियों के अध्यक्षों का चुनाव –

8.10.1 प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव में दो तरह के मतदाता मण्डल होंगे। पहले में प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष होंगे और दूसरे में प्रदेश के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कार्य समितियों के अध्यक्ष होंगे।

8.10.2 देशिक कार्यसमिति के अध्यक्ष के चुनाव में तीन तरह के मतदाता मण्डल होंगे। पहले में देश की सभी ब्लॉकों की कार्य समितियों के अध्यक्ष होंगे, दूसरे में देश के सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कार्यसमितियों के अध्यक्ष होंगे और तीसरे में देश के सभी प्रादेशिक कार्यसमितियों के अध्यक्ष होंगे।

8.10.3 वतन अध्यक्षों के चुनाव में तीन तरह के मतदाता मण्डल होंगे। पहले में वतन के सभी ग्राम कार्यसमितियों के अध्यक्ष होंगे, दूसरे में वतन के सभी वतनसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कार्य समितियों के अध्यक्ष होंगे और तीसरे में वतन के सभी देशों की देशिक कार्यसमितियों के अध्यक्ष होंगे।

8.10.4 प्रराष्ट्र अध्यक्षों के चुनाव में तीन तरह के मतदाता मण्डल होंगे। पहले में प्रराष्ट्र के सभी प्राथमिक सदस्यों के परिवार प्रमुख होंगे, दूसरे में प्रराष्ट्र के सभी परिवार सभा निर्वाचन क्षेत्रों की कार्यसमितियों के अध्यक्ष होंगे और तीसरे में प्रराष्ट्र के दोनो / सभी वतनों के कार्यसमितियों के अध्यक्ष होंगे।

8.10.5 राष्ट्रीय कार्यसमिति के अध्यक्ष के चुनाव में तीन तरह के मतदाता मण्डल होंगे। पहले में राष्ट्र के सभी सक्रिय सदस्य होंगे, दूसरे में राष्ट्र के सभी जनसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कार्यसमितियों के अध्यक्ष होंगे और तीसरे में दोनो/सभी प्रराष्ट्रों की कार्यसमितियों के अध्यक्ष होंगे।

8.10.6 अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनावों में मतदान करने वाले विविध कार्यसमितियों के अध्यक्षों के मतदान मूल्य का निर्धारण संबंधित क्षेत्र में मौजूद अभियान के वर्तमान वोटर कौंसिलरों की संख्या के आधार पर किया जायेगा।

8.10.7 प्रादेशिक, देशिक, वतनी, प्रराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कार्यसमितियों के अध्यक्षों के पद के लिए होने वाले चुनावों में प्रत्यासियों की निजी आर्थिक सम्पन्नता क्रमशः अधिक से कमतर होना अनिवार्य होगा। यानी राष्ट्रीय कार्यसमिति के अध्यक्ष के पद के लिए होने वाले चुनावों में प्रत्यासियों की निजी आर्थिक सम्पन्नता सबसे कम होगी और प्रादेशिक कार्यसमिति के अध्यक्ष के पद के लिए होने वाले चुनावों में प्रत्यासियों की निजी आर्थिक सम्पन्नता सबसे अधिक होगी।

धारा–8.11

कार्यसमितियों के कार्य–

8.11.1 अभियान की :–

(i) राष्ट्रीय कार्यसमिति विश्व के नागरिकों को,
(ii) प्रराष्ट्रीय कार्यसमिति सम्बंधित प्रराष्ट्र के परिवार प्रमुखों को,
(iii) वतनी कार्यसमिति संबंधित वतन के गाँवों–मौहल्लों की कार्यसमितियों को,
(vi) देशिक कार्यसमिति सम्बंधित देश की ब्लाक कार्यसमितियों को,
(v) प्रादेशिक कार्यसमिति सम्बंधित प्रदेश के जनपद कार्यसमितियों को,

उनके साझा हितों के लिए कार्य करने हेतु संगठित करेगी।

8.11.2 अनेकता में एकता यानी द्वैताद्वैत की नीति पर चलने के लिए अभियान की –

(i) राष्ट्रीय कार्यसमिति विश्व की,
(ii) प्रराष्ट्रीय कार्यसमिति संबंधित प्रराष्ट्र की,
(iii) वतनी संघीय कार्यसमिति संबंधित वतन की,
(vi) देशिक कार्यसमिति संबंधित देश की,
(v) प्रादेशिक कार्यसमिति संबंधित प्रदेश की,

–साझा समस्याओं, साझी संस्कृति, साझी सभ्यता, साझी राष्ट्रीयता, साझी अर्थव्यवस्था, साझी राजव्यवस्था, साझी न्याय व्यवस्था, साझा शासन, साझा प्रशासन जैसे साझे हितों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करेगी।

8.11.3 आंतरिक लोकतंत्र, विविध प्रवर्गों की सदस्यता, पदाधिकारियों के व विविध स्तरों के सांगठनिक चुनावों, सदस्यों व पदाधिकारियों के कार्यकाल व उनके अधिकारों एवं कर्त्तव्यों और उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही; संविधान में संशोधन; अभियान के विलय व विघटन– संबंधी विधियां बनाने का अधिकार अभियान की केन्द्रीय कार्यसमिति को होगा।

8.11.4 कार्यसमिति को यह अधिकार होगा कि वह साधारण सभा में कोई विधेयक पेश करे, साधारण सभा द्वारा सीमांकित वित्तीय दायरे में सचिवालय का गठन करे, साधारण सभा द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, सुविधाओं, पेंशन, पुरस्कार का उपयोग करे, साधारण सभा द्वारा आचार संहिता के दायरे में अपने उद्योग–धंधे, संस्था–संगठन को लाभान्वित करे।

8.11.5 कार्यसमिति के सदस्यगण साधारण सभा द्वारा बनायी गई विधियों की पूरी तत्परता से लागू करेंगे।

8.11.6 कार्यसमिति के सदस्य गण यथाशक्य ऐसा काम करेंगे कि अभियान की न्यायिक परिषद उस कृत्य को गैर कानूनी करार देते हुए रद्द न कर दे।

8.11.7 कार्यसमिति के बोर्ड व ब्युरो सदस्यगण मैनेजर के माध्यम से ही आपसी संबंध रखेंगे।

8.11.8 अभियान की पांच उर्ध्वाधर कार्यसमितियों को यह अधिकार होगा कि वे अपने कार्यों को राजनीतिक तरीके से या गैर राजनीतिक तरीके से या परा–राजनैतिक तरीके से करें, या फिर अपनी विविध उपकार्यसमितियों या अनुबंधित प्रकोष्ठों, या संचालित व संबद्ध संगठनों द्वारा किसी भी तरीकें से काम करवायें।

धारा–8.12

विविध स्तर की कार्यसमितियों के अध्यक्षों के अधिकार एवं कर्त्तव्य –

8.12.1 प्रेसीडेंट को यह अधिकार होगा कि वह अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए उस सीमा तक संगठन के सदस्यों का उपयोग करे, जिस सीमा तक न्यायिक परिषद को आपत्ति न हो।

8.12.2 प्रेसीडेंट को यह अधिकार होगा कि वह विकासक साधारण सभा द्वारा निर्धारित दायरे में संगठन के कोष का उपभोग करें।

8.12.3 प्रेसीडेंट को यह अधिकार होगा कि वह अपने कृत्यों के माध्यम से लोगों द्वारा निजी हैसियत से दिये गये पुरस्कारों से अपनी निजी सामरिक–आर्थिक स्थिति मजबूत करें।

8.12.4 प्रेसीडेंट का यह कर्त्तव्य होगा कि वह निजी उपभोग में विकासक साधारण सभा की, अपनी वैचारिक प्रसार के मामले में विधायक साधारण सभा की एवं संगठन हित के मामले में मैनेजर एवं न्यायिक परिषद की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करे।

धारा–8.13

विविध सतर की कार्यसमितियों के अध्यक्षों को प्राप्त मतदान के अधिकार संबंधी विधियाँ :

8.13.1 ग्राम/वार्ड कार्य समिति के अध्यक्ष को अभियान के ब्लॉक कमेटी और वतन कमेटी के अध्यक्ष के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार होगा। इसके साथ ही ग्राम/वार्ड अध्यक्ष को अभियान गठबंधन के वतनी अध्यक्ष के

चुनाव में तथा अभियान मिशन के लिए कार्यरत मिशन मित्र साझा मंच –ग्लोबल आर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी –के वतनी कार्यसमिति के अध्यक्ष के निर्वाचन में भी वोट देने का अधिकार होगा।

8.13.2 ब्लॉक कार्य समिति के अध्यक्ष को अभियान के जनपद कमेटी और देश की कमेटी के अध्यक्ष के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार होगा। इसके साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष को अभियान गठबंधन के देश के अध्यक्ष के चुनाव में तथा अभियान मिशन के लिये कार्यरत राजनैतिक–अराजनैतिक, प्रराष्ट्र राजनैतिक व सुपर नेशनल संगठनों के मिशन मित्र साझा मंच –ग्लोबल आर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी –के देश की कार्यसमिति के अध्यक्ष के निर्वाचन में भी वोट देने का अधिकार होगा।

8.13.3 विधानसभा कार्य समिति के अध्यक्ष को अभियान के लोकसभा कमेटी और प्रदेश की कमेटी के अध्यक्ष के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार होगा। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को अभियान गठबंधन के प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव में तथा अभियान मिशन के लिए कार्यरत मिशन मित्र साझा मंच –ग्लोबल आर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी के प्रदेश की कार्यसमिति के अध्यक्ष के निर्वाचन में भी वोट देने का अधिकार होगा।

8.13.4 जनपद कार्य समिति के अध्यक्ष को अभियान के प्रदेश की कमेटी के अध्यक्ष के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार होगा। इसके साथ ही जनपद अध्यक्ष को अभियान गठबंधन के प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव में तथा अभियान मिशन के लिए कार्यरत मिशन मित्र साझा मंच –ग्लोबल आर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी के प्रदेश की कार्यसमिति के अध्यक्ष के निर्वाचन में भी वोट देने का अधिकार होगा।

8.13.5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यसमिति के अध्यक्ष को अभियान के ग्रामसभा कमेटी और देश की कमेटी के अध्यक्ष के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार होगा। इसके साथ ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यसमिति के अध्यक्ष को अभियान गठबंधन के देश के अध्यक्ष के चुनाव में तथा अभियान मिशन के लिए कार्यरत मिशन मित्र साझा मंच –ग्लोबल आर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी के देश की कार्यसमिति के अध्यक्ष के निर्वाचन में भी वोट देने का अधिकार होगा।

8.13.6 ग्रामसभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यसमिति के अध्यक्ष को अभियान के परिवार सभा कमेटी और वतन की कमेटी के अध्यक्ष के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार होगा। इसके साथ ही ग्रामसभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यसमिति के अध्यक्ष को अभियान गठबंधन के वतन के अध्यक्ष के चुनाव में तथा अभियान मिशन के लिए कार्यरत मिशन मित्र साझा मंच –ग्लोबल आर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी के वतन की कार्यसमिति के अध्यक्ष के निर्वाचन में भी वोट देने का अधिकार होगा।

8.13.7 परिवार सभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यसमिति के अध्यक्ष को अभियान के नागरिक सभा कमेटी और प्रराष्ट की कमेटी के अध्यक्ष के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार होगा। इसके साथ ही परिवार सभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यसमिति के अध्यक्ष को अभियान गठबंधन के प्रराष्ट के अध्यक्ष के चुनाव में तथा अभियान मिशन के लिए कार्यरत मिशन मित्र साझा मंच –ग्लोबल आर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी के प्रराष्ट की कार्यसमिति के अध्यक्ष के निर्वाचन में भी वोट देने का अधिकार होगा।

8.13.8 नागरिक सभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यसमिति के अध्यक्ष को अभियान के राष्टीय कमेटी के अध्यक्ष के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार होगा। इसके साथ ही नागरिक सभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यसमिति के अध्यक्ष को अभियान गठबंधन के राष्टीय अध्यक्ष के चुनाव में तथा अभियान मिशन के लिए कार्यरत मिशन मित्र साझा मंच –ग्लोबल आर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी के राष्ट की कार्यसमिति के अध्यक्ष के निर्वाचन में भी वोट देने का अधिकार होगा।

8.13.9 प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष को अभियान के देश की और केन्द्रीय कमेटी के अध्यक्ष के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार होगा। इसके साथ ही प्रदेश की कार्यसमिति के अध्यक्ष को अभियान गठबंधन के देश के अध्यक्ष के चुनाव में तथा अभियान मिशन के लिए कार्यरत मिशन मित्र साझा मंच –ग्लोबल आर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी के देश की कार्यसमिति के अध्यक्ष के निर्वाचन में भी वोट देने का अधिकार होगा।

8.13.10 देश की कार्य समिति के अध्यक्ष को अभियान के वतन की और केन्द्रीय कमेटी के अध्यक्ष के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार होगा। इसके साथ ही देश की कार्यसमिति के अध्यक्ष को अभियान गठबंधन के देश के अध्यक्ष के चुनाव में तथा अभियान मिशन के लिए कार्यरत मिशन मित्र साझा मंच –ग्लोबल आर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी के देश की कार्यसमिति के अध्यक्ष के निर्वाचन में भी वोट देने का अधिकार होगा।

8.13.11 वतन की कार्य समिति के अध्यक्ष को अभियान के प्रराष्ट्र के और केन्द्रीय कमेटी के अध्यक्ष के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार होगा। इसके साथ ही वतन की कार्यसमिति के अध्यक्ष को अभियान गठबंधन के प्रराष्ट्र के अध्यक्ष के चुनाव में तथा अभियान मिशन के लिए कार्यरत मिशन मित्र साझा मंच –ग्लोबल आर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी के प्रराष्ट्र की कार्यसमिति के अध्यक्ष के निर्वाचन में भी वोट देने का अधिकार होगा।

8.13.12 प्रराष्ट्र की कार्य समिति के अध्यक्ष को अभियान के राष्ट्रीय और केन्द्रीय कमेटी के अध्यक्ष के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार होगा। इसके साथ ही प्रराष्ट्र की कार्यसमिति के अध्यक्ष को अभियान गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में तथा अभियान मिशन के लिए कार्यरत मिशन मित्र साझा मंच –ग्लोबल आर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी के राष्ट्रीय की कार्यसमिति के अध्यक्ष के निर्वाचन में भी वोट देने का अधिकार होगा।

8.13.13 राष्ट्र की कार्य समिति के अध्यक्ष को अभियान की केन्द्रीय कमेटी के अध्यक्ष के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार होगा। इसके साथ ही राष्ट्र की कार्यसमिति के अध्यक्ष को अभियान गठबंधन के केन्द्रीय अध्यक्ष के चुनाव में तथा अभियान मिशन के लिए कार्यरत मिशन मित्र साझा मंच –ग्लोबल आर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी के केन्द्रीय कार्यसमिति के अध्यक्ष के निर्वाचन में भी वोट देने का अधिकार होगा।

8.13.13 प्रादेशिक, देशिक, वतनी, प्रराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यसमिति के अध्यक्षों को केन्द्रीय कमेटी के अध्यक्ष पद के लिये होने वाले निर्वाचन में वोट देने का अधिकार होगा किन्तु उनके मतों का मूल्य संबंधित परिक्षेत्र में मौजूद अभियान के सक्रिय सदस्यों की संख्या के अनुपात में निर्धारित किया जायेगा।

धारा–8.14

विविध स्तर की कार्यसमितियों के चेयरमैनों के अधिकार एवं कर्त्तव्य –

8.14.1 चेयरमैन को यह अधिकार होगा कि वह अपने उद्योग–धंधे को फैलाने के लिए संगठन के सदस्यों का उस सीमा तक उपयोग करे जिस सीमा तक न्यायिक परिषद को आपत्ति न हो।

8.14.2 चेयरमैन को यह अधिकार होगा कि वह विधायक साधारण सभा द्वारा तय दायरे में संगठन शक्ति का उपभोग करे।

8.14.3 चेयरमैन को यह अधिकार होगा कि वह संगठन के सदस्यों के उचित उपयोग द्वारा अपनी आर्थिक क्षमता एवं सामाजिक हैसियत ऊपर उठा सके।

8.14.4 चेयरमैन का यह कर्त्तव्य होगा कि वह निजी उपभोग में विधायक साधारण सभा की, औद्योगिक हित के मामले में विकासक साधारण सभा की एवं संगठन के हित के मामले में मैनेजर और न्यायिक परिषद की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करे।

धारा–9

संसदीय परिषदें

अभियान से संबद्ध जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विधायी कार्यों संबंधी दिशा निर्देश तय करने, नियमन व समन्वय करने के लिए अभियान की एक केन्द्रीय संसदीय परिषद होगी।

धारा–9.1

संसदीय परिषदों के उद्देश्य व कार्य

अभियान की कार्यसमिति द्वारा प्रदेश, देश या किसी अन्य उर्ध्वाधर स्तर की विधायिका में या किसी अन्य उर्ध्वाधर स्तर की विधायिका में मौजूद अभियान से संबद्ध जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विधायी कार्यों संबंधी दिशा निर्देश तय करने व एक ही स्तर की विविध विधायिकाओं में मौजूद अभियान के विधायक दलों की गतिविधियों का नियमन व समन्वय करने के लिए अभियान की एक केन्द्रीय संसदीय परिषद होगी। इसे अभियान का संसदीय परिषद भी कहा जा सकेगा।

धारा–9.2

संसदीय परिषद का संगठन व कार्य प्रणाली

9.2.1 अभियान की संसदीय परिषद यथासंभव हर उस उर्ध्वाधर स्तर पर गठित की जाएगी, जिस किसी स्तर पर भी किसी विधायिका का अस्तित्व होगा और उस विधायिका में भर्ती के लिए चुनावों का प्रावधान होगा। इन इकाइयों को अभियान की उर्ध्वाधर संसदीय परिषदें कहा जाएगा।

9.2.2 प्रत्येक उर्ध्वाधर परिषद स्वयं द्वारा अपने से संबंधित जनप्रतिनिधियों के लिए दिशा निर्देश बनाते समय अपने से उच्चस्थ संसदीय परिषद से निर्देशित होगी व केन्द्रीय संसदीय परिषद से मार्गदर्शन प्राप्त करेगी।

9.2.3 किसी भी उर्ध्वाधर संसदीय परिषद द्वारा बनायी गयी कोई भी नीति, नियम व आदेश उस सीमा तक शून्य होंगे, जिस सीमा तक वह अभियान की केन्द्रीय परिषद या उच्चस्थ किसी संसदीय परिषद की नीतियों व नियमों का उल्लंघन करेगी।

धारा–9.3

संसदीय परिषद का गठन

9.3.1 अभियान की केन्द्रीय परिषद में अभियान के केन्द्रीय गवर्नर सहित कम से कम 3 व अधिक से अधिक 11 सदस्य होंगे। अभियान की उर्ध्वाधर अवस्थित संसदीय परिषदों में से हर स्तर की परिषदों का एक प्रतिनिधि अपने से उच्चस्थ परिषद का सदस्य होगा।

9.3.2 यदि किसी उर्ध्वाधर स्तर पर केवल एक ही प्रदेश या देश में एक ही संसदीय परिषद कार्यरत हैं तो सभी परिषदों के अध्यक्ष मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को केन्द्रीय संसदीय परिषद में भेजने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, जो कम से कम देश स्तर की कार्यसमिति का सदस्य हो, और वह देश की कार्यसमिति के अध्यक्ष के साथ रचनात्मक तरीके से काम करने का अनुभवी हो।

9.3.3 उक्त तरीके से केन्द्रीय संसदीय परिषद में प्रेषित संसदीय परिषदों का प्रतिनिधि हर उस संसदीय परिषद के लिए अपना गवर्नर नियुक्त करेगा, जिन संसदीय परिषदों का वह नेतृत्व करता है।

9.3.4 देश स्तर की संसदीय परिषद में कम से कम 3 व अधिक से अधिक उतने सदस्य होंगे जितने देश में प्रदेश होंगे।

9.3.5 प्रदेश स्तर की संसदीय परिषद में कम से कम तीन व अधिक से अधिक उतने सदस्य होंगे, जितने संबंधित प्रदेश में जनपद होंगे।

9.3.6 केन्द्रीय संसदीय परिषद के अध्यक्ष की अनुमति से देश स्तर या प्रदेश स्तर की संसदीय परिषदों में सदस्यों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

9.3.7 जिस उर्ध्वाधर स्तर की संसदीय परिषद का गठन होगा, उस स्तर की संबंधित इकाई की कार्यसमिति का अध्यक्ष संबंधित संसदीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा।

9.3.8 किसी भी विधायिका में मौजूद अभियान के विधायक या संसदीय दल का नेता संबंधित संसदीय परिषद का पदेन सदस्य होगा।

9.3.9 परिषद के शेष सदस्यों की भर्ती संबंधित कार्यसमिति के सदस्यों में से कार्यसमिति का गठन होने के बाद यथासंभव कार्यसमिति की पहली बैठक में की जाएगी।

धारा–10

निर्वाचन प्राधिकरण

अभियान के संगठन के उर्ध्वाधर स्तरों में विविध पदाधिकारियों, जिनका पदस्थापन निर्वाचन द्वारा होना हो, उनके पदों पर भर्ती के लिए अभियान का एक निर्वाचन प्राधिकरण होगा, जो संगठनात्मक चुनावों को गोपनीय, स्वतंत्र व निष्पक्ष ढ़ंग से संचालित करेगा।

धारा–10.1

निर्वाचन प्राधिकरण का गठन

10.1.1 अभियान का निर्वाचन प्राधिकरण यथासंभव अभियान के उर्ध्वाधर सभी स्तरों पर अपनी शाखाएं खोलेगा। हर स्तर की शाखा अपने समानांतर पदों पर भर्ती के लिए चुनावों का संचालन करेगी।

10.1.2 अध्यक्ष को लेकर प्रादेशिक निर्वाचन प्राधिकरण में 1 देश स्तरीय निर्वाचन प्राधिकरण में 3 सदस्य होंगे। इसी प्रकार जनपद स्तर पर प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या–5, ब्लाक स्तर पर – 3 तथा ग्राम या वार्ड स्तर पर 1 होगी।

10.1.3 निर्वाचन प्राधिकरण का कोई भी सदस्य अपने गृह, ग्राम या ब्लाक या जनपद या प्रदेश या देश के निर्वाचन प्राधिकरण का सदस्य नहीं बन सकता।

10.1.4 अभियान की राष्ट्रीय कार्यसमिति राष्ट्रीय निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करेगी जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य होंगे।

10.1.5 राष्ट्रीय निर्वाचन प्राधिकरण देश, प्रदेश सहित अन्य सभी स्तरों पर निर्वाचन प्राधिकरण के सदस्यों व अध्यक्षों की नियुक्ति करेगा।

10.1.6 राष्ट्रीय निर्वाचन प्राधिकरण स्वतंत्र, गोपनीय व निष्पक्ष चुनावों के संचालन के लिए समय–समय पर दिशा निर्देश व आचार संहिता बनाएगा। ऐसी आचार संहिता बनाने का अधिकार अभियान के उर्ध्वाधर स्थित सभी स्तर के निर्वाचन प्राधिकरणों को होगा, किन्तु अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा निर्मित ऐसे दिशा निर्देश व आचार संहिता उस सीमा तक शून्य होगी, जिस सीमा तक का अपने उच्चस्थ किसी निर्वाचन प्राधिकरण के दिशा निर्देश व आचार संहिता का उल्लंघन करेगी।

10.1.7 निर्वाचन प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल कम से कम 1 वर्ष व अधिक से अधिक 5 वर्ष का होगा। यथासंभव जिस प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित जितने सदस्य होंगे, उस प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल भी उतने ही वर्ष होगा। बशर्ते पाँच वर्ष से अधिक किसी भी सदस्य का कार्यकाल नहीं होगा। एक बार कार्यकाल पूरा करने पर किसी सदस्य या अध्यक्ष को उसके अनुभवों का लाभ लेने के लिए उसे दुबारा नियुक्त किया जा सकता है।

10.1.8 किसी भी निर्वाचन प्राधिकरण का सदस्य या अध्यक्ष अभियान की किसी भी कार्यसमिति का सदस्य नहीं हो सकता। किसी कार्यसमिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक होगा कि वह कम से कम छह महीने पूर्व निर्वाचन प्राधिकरण की सदस्यता छोड़ चुका हो।

10.1.9 उर्ध्वाधर रूप में अवस्थित उच्चस्थ निर्वाचन प्राधिकरण अपने अधीनस्थ प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य को किसी आरोप में स्पष्टीकरण की नोटिस के बाद हटा सकता है। ऐसे हटाए गये किसी व्यक्ति को हटाने वाले प्राधिकरण से उच्चस्थ प्राधिकरण में अपील करने का अधिकार होगा। किन्तु किसी भी सूरत में दूसरी अपील का अधिकार उसे प्राप्त नहीं होगा।

10.1.10 निर्वाचन प्राधिकरण के किसी सदस्य या अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा कि अपना कार्य वह किसी और व्यक्ति से करवाए। प्राधिकरण सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति या मनोनयन कर सकता है।

धारा–10.2

चुनाव प्रक्रिया

10.2.1 किसी भी निर्वाचन की प्रक्रिया का आरंभ उस चुनाव से संबंधित मतदाता मण्डल की निर्वाचन सूची तैयार करने से होगा। यह कार्य पद, जिस पर लेक सेवा भर्ती के लिए निर्वाचन होना है, उसके समानांतर निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा सम्पादित किया जाएगा।

10.2.2 निर्वाचन सूची में नामों का पंजीकरण, या पंजीकृत नामों की बहाली, या निरसन संबंधी नियम वही होंगे, जो संबंधित स्तर के निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा बनाये जाएंगे, व उच्चस्थ प्राधिकरण द्वारा मंजूर किये जाएंगे।

10.2.3 निर्वाचन का दूसरा चरण चुनाव की अधिसूचना होगी, जो सक्षम निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा उच्चस्थ निर्वाचन प्राधिकरण की मंजूरी के बाद जारी की जाएगी। इस अधिसूचना में निर्वाचन का विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।

10.2.4 तीसरे चरण में निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा नामांकन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे व ऐसे नामांकन पत्रों की वैद्यता की जाँच करके निर्वाचन में भाग ले रहे प्रत्याशियों की अंतिम सूची की घोषणा किया जाएगा।

10.2.5 चौथे चरण में निर्वाचन की घोषित प्रक्रिया के अनुरूप निर्वाचन सम्पन्न कराया जाएगा। मतदान संपन्न होने के पश्चात मतगणना व उसका परिणाम घोषित किया जाएगा।

धारा–10.3

मतदान की प्रक्रिया

10.3.1 सक्षम निर्वाचन प्राधिकरण निर्वाचन के स्थान, तरीके, तिथि व समय की घोषणा व प्रकाशन निर्वाचन की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व करेगा।

10.3.1 चुनावों के लिए प्रत्येक निर्वाचन प्राधिकरण अपने अधीनस्थ निर्वाचन प्राधिकरण के लिए नामांकन पत्रों का प्रारूप बनाएगा। इसी प्रारूप के अनुसार नामांकन पत्र सक्षम निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन की तिथि में स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा सौंपा जाएगा। इसके अगले दिन नामांकन पत्रों की उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष जांच किया जायेगा और नामों को वापस लेने का कार्य अगले दिन सम्पन्न होगा।

10.3.1 निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा घोषित तिथि व प्रक्रियानुसार नाम वापस लिए जा सकेंगे।

10.3.1 नाम वापसी के पश्चात जब अंतिम रूप से चुनाव के प्रत्याशियों की सूची तैयार हो जाएगी, तो इस सूची का बैलट पेपर की शक्ल में प्राधिकरण द्वारा प्रकाशन किया जाएगा। इस बैलट पेपर को निर्वाचन के दिन निर्वाचन स्थल पर उस द्वार पर चस्पा किया जाएगा, जिस द्वार से होकर मतदाता मतदान के लिए प्रवेश करेगा।

10.3.1 मतदान की गुप्तता, मतदान की सुरक्षा तथा मतदान की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकरण मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या नियंत्रित करने व प्रत्याशियों के समर्थकों को उचित दूरी तक रोकने, प्रत्याशियों के चुनाव एजेण्टों को मतदान स्थल पर नियुक्त करने तथा सुरक्षा के उचित उपाय करने का प्रबंध करेगा।

10.3.1 मतदान को बैलेट पेपर की बजाय किसी इलेक्ट्रानिक माध्यम से भी सम्पन्न कराया जा सकेगा, बशर्ते ऐसी प्रक्रिया अपनाने वाला प्राधिकरण चुनाव की गोपनीयता व निष्पक्षता को सुनिश्चित करने वाली प्रणाली से उच्चस्थ निर्वाचन प्राधिकरण को सूचित करे व मंजूरी प्राप्त करे।

10.3.1 मतदान सम्पन्न होने पर सीलबंद मतपेटियों को मतगणना के लिए निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा नियत स्थल पर प्राधिकरण द्वारा पहुँचाया जाएगा, व प्राधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र निर्वाचित प्रत्याशी को सौंपा जाएगा।

धारा–10.4

मतगणना की प्रक्रिया

10.4.1 मतपेटियों को प्रत्याशियों के द्वारा अधिकृत एजेण्टों के समक्ष खोला जाएगा व मतों की गणना निर्धारित प्रक्रियानुसार करके प्रत्येक प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या की घोषणा व प्रकाशन किया जाएगा।

10.4.2 चुनाव में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अर्हता को पूरी करने वाला प्रत्याशी संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किया जाएगा, व प्राधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र निर्वाचित प्रत्याशी को सौंपा जाएगा।

10.4.3 यदि निर्वाचन द्वारा हाथ खड़ा करके या किसी इलेक्ट्रानिक माध्यम से सम्पन्न होता है तो इसकी मतगणना की निष्पक्ष प्रक्रिया की घोषणा संबंधित निर्वाचन प्राधिकरण अपनी चुनाव अधिसूचना में करेगा।

धारा–10.5

चुनाव संबंधी विवादों का निस्तारण करने संबंधी उपबंध

10.5.1 चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा अभियान के न्यायिक प्राधिकरण, निर्वाचन परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त व अभियान द्वारा अधिकृत विश्व विद्यालयों शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों से विधि स्नातक व व्यवसायिक न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा।

10.5.2 चुनाव परिणाम की घोषणा के 15 दिन के अंदर याचिकाकर्ता अपनी याचिका समानांतर न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेश कर सकता है या डाक द्वारा प्रेषित कर सकता है।

10.5.3 न्यायाधीश चुनाव संबंधी याचिकाओं का निस्तारण 15 दिन के भीतर करेगा।

10.5.4 न्यायाधीश चुनाव संबंधी याचिकाओं के निस्तारण की यथासंभव वही प्रक्रिया अपनाएगा, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित धारा–26 में उल्लेखित है।

10.5.5 न्यायिक प्राधिकरण के प्रथम न्यायाधीश के फैसले से असंतुष्ट पक्ष को उच्चस्थ न्यायिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त न्यायाधीश की अदालत में अपील करने का अधिकार होगा। अपील संबंधी याचिकाएं प्राथमिक अदालत का फैसला आने के एक सप्ताह के भीतर दाखिल की जाएगी। अपील की याचिका की सुनवाई के समय याचिकाकर्ता को न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने को कहा जा सकता है, किन्तु न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के समय साथ में किसी अधिवक्ता का प्रवेश वर्जित होगा।

10.5.6 चुनाव संबंधी याचिकाओं के मामले में द्वितीय अपील का अधिकार याचिकाकर्ता को प्राप्त नहीं होगा।

10.5.7 जब तक देश स्तर से उच्चस्थ न्यायिक प्राधिकरण व निर्वाचन प्राधिकरणों का गठन नहीं होता तब तक देश स्तरीय कार्यसमिति व साधारण सभा के पदाधिकारीयों के चयन को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निस्तारण केन्द्रीय कार्यसमिति द्वारा गठित केन्द्रीय निर्वाचन प्राधिकरण व केन्द्रीय न्यायिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा। ऐसी याचिकाओं के मामलों में अपील का अधिकार याचिकाकर्ता को प्राप्त नहीं होगा।

10.5.8 केन्द्रीय कार्यसमिति व केन्द्रीय साधारण सभा के सदस्यों के चयन को चुनौती देने वाली याचिकाएं केन्द्रीय न्यायिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त न्यायाधीशों द्वारा निस्तारित की जाएगी। इस प्रकार प्राप्त न्यायाधीश के फैसले के विरूद्ध याचिकाकर्ता केन्द्रीय कार्यसमिति के समक्ष अपील कर सकता है। ऐसी किसी याचिका को स्वीकार करने के लिए आवश्यक होगा कि कार्यसमिति के कम से कम 10 प्रतिशत सदस्य इस आशय की सिफारिश कार्यसमिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को करें। कार्यसमिति के दो तिहाई बहुमत का फैसला ही अपील का निस्तारण माना जाएगा।

धारा–10.6

रिक्त स्थानों पर लोक सेवा भर्ती से संबंधित उपबंध

10.6.1 अभियान के किसी अंग के किसी पदाधिकारी या सदस्य की मृत्यु, या त्यागपत्र, या निष्कासन से वह पद रिक्त माना जाएगा।

10.6.2 रिक्त पदों पर संबंधित इकाई से उर्ध्वाधर उच्चस्थ कार्यसमिति के अध्यक्ष द्वारा किसी व्यक्ति की भर्ती की जा सकती है। किन्तु इस तरह की भर्ती केवल 6 माह तक के लिए वैध होगी। 6 माह के बाद उस पद को उसी प्रक्रिया से भरा जाएगा जिस प्रक्रिया का प्रावधान उस पद के लिए संविधान में प्रदत्त है। यदि भर्ती की संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा पद भरा जायेगा तो उस पद पर पदासीन होने वाला पद का संवैधानिक कार्यकाल पूरा करेगा।

धारा–11

निर्वाचन प्रत्याशी चयन परिषद

विविध उर्ध्वाधर स्तरों की विविध विधायिकाओं में जनप्रतिनिधियों की भर्ती के लिए संचालित हाने वाले चुनावों में अभियान कोड व निशान पर विविध चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले अभियान द्वारा अधिकृत प्रत्याशियों के नामों का चयन करने के लिए अभियान की एक केन्द्रीय प्रत्याशी चयन परिषद होगी।

धारा–11.1

निर्वाचन प्रत्याशी चयन परिषद का गठन

11.1.1 अभियान का केन्द्रीय गवर्नर ही अभियान के केन्द्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष होगा।

11.1.2 अभियान की उर्ध्वाधर स्तरों पर स्थित विविध इकाइयों के संसदीय परिषदों के अध्यक्ष ही अभियान के चयन परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे।

11.1.3 प्रत्याशी चयन परिषद का गठन संबंधित इकाई की संसदीय परिषद के सभी सदस्यों व कुछ अन्य सदस्यों द्वारा गठित की जाएगी। इन्हें क्षेत्र विशेषज्ञ सदस्य कहा जाएगा।

11.1.4 क्षेत्र विशेषज्ञ सदस्यों की भर्ती संबंधित इकाई की साधारण सभा के सदस्यों में से की जाएगी। किसी भी चयन परिषद में अभियान के क्षेत्र विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या कम से कम 2 व अधिक से अधिक 10 होगी।

11.1.5 प्रत्याशी चयन परिषद के सदस्यों के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वह व्यक्ति संगठन संबंधी मामलों का जानकार हो, व क्षेत्र में जनभावनाओं से उसका परिचय हो।

11.1.6 क्षेत्र विशेषज्ञ सदस्यों की भर्ती निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा होगी, जिसमें संबंधित इकाई की साधारण सभा के सदस्य प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर सकेंगे। निर्वाचन का कार्य अभियान के संबंधित इकाई की निर्वाचन परिषद सम्पन्न करायेगी। निर्वाचन की प्रक्रिया को अभियान के निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा।

11.1.7 जब तक किसी इकाई के लिए विधिवत चयन परिषद का गठन नहीं होता, या परिषद कार्यरत नहीं है तो उर्ध्वाधर उच्चस्थ चयन परिषद अपने द्वारा गठित किसी अस्थायी समिति द्वारा चयन परिषद के कार्यों को सम्पादित करेगी।

धारा–11.2

निर्वाचन प्रत्याशी चयन परिषद का संगठन व कार्य प्रणाली

11.2.1 प्रत्येक उर्ध्वाधर स्तर की प्रत्येक समानांतर विधायिकाओं के लिए अभियान की एक प्रत्याशी चयन परिषद की शाखा होगी। इन्हें चयन परिषद की उर्ध्वाधर शाखाएं कहा जाएगा।

11.2.2 प्रत्येक प्रत्याशी चयन परिषद स्वयं अपनी इकाई से संबंधित विविध क्षेत्रों के चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों की सिफारिश अपने से उच्चस्थ चुनाव परिषद को करेगी। चुनाव जीतने, अभियान को संविधान सम्मत दिशा में ले जाने व अभियान को सशक्त करने के नजरिये से उच्चस्थ समिति नामों पर विचार करके कुछ नामों को निरस्त करने व उसकी जगह अन्य नामों की सिफारिश करने का आदेश अधीनस्थ चुनाव परिषद को दे सकती है। इस प्रकार उच्चस्थ समिति अपने स्तर पर नामों की अंतिम सूची तैयार करके केन्द्रीय चयन परिषद को प्रेषित करेगी। नामों का अंतिम चयन केन्द्रीय प्रत्याशी चयन परिषद या उसके द्वारा अधिकृत किसी समिति या समूह द्वारा किया जाएगा।

11.2.3 नामों के चयन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया होगी, नामों की सिफारिश व नामों को अंतिम रूप से स्वीकार करने की प्रक्रिया चुनावों से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व शुरू की जा सकती है।

11.2.4 जिस चुनाव क्षेत्र या विधायिका को अभियान गठबंधन द्वारा किसी अन्य दल या निर्दल के लिए नियमानुसार आरक्षित किया जा चुका होगा, उस चुनाव क्षेत्र या उस विधायिका के परिक्षेत्र में कार्यरत अभियान की अभियान चयन परिषद अधिकृत दल या निर्दल प्रत्याशियों के अंतिम रूप में तय नामों की सूची दल के नाम के साथ इस प्रकार भेजेगी जैसे वे अपने ही दल के प्रत्याशी हों।

11.2.5 नामों के चयन की पारदर्शी व उद्देश्य परक प्रक्रिया विकसित करने का काम भी प्रत्याशी चयन परिषद का होगा, जो उच्चस्थ परिषद से मंजूरी के बाद प्रभावी होगा।

धारा–12

न्यायिक परिषद

कार्यसमिति विधिसम्मत कार्य कर रही है, इस बात पर निगरानी रखने के लिए एवं किसी सदस्य की अभियान के किसी सदस्य के, या किसी सभा या समिति के विरूद्ध न्यायिक याचना के निवारणार्थ अभियान की एक न्यायिक परिषद होगी।

धारा–12.1

न्यायिक परिषद के सदस्यों एवं अधिवक्ताओं के अधिकार एवं कर्त्तव्य

12.1.1 न्यायिक परिषद का संस्थापक सदस्य अभियान की कार्यसमिति का न्यायिक सदस्य होगा, जो अभियान के पंजीकरण के पश्चात कार्यसमिति एवं साधारण सभा की सहमति से अभियान के इस संविधान की भावनाओं के अनुकूल न्यायिक परिषद के गठन, इसकी कार्यप्रणाली, अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण, अधिवक्ता के मान्यता, न्यायिक याचिकाओं के पंजीकरण, याचिकाओं के निस्तारण की प्रक्रिया एवं न्यायिक आदेशों को लागू कराने से संबंधित अन्य उपायों का निर्माण करेगा।

12.1.2 न्यायिक परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए अपेक्षित होगा कि वह अभियान के संविधान का ज्ञाता हो एवं उसने विविध प्रावधानों की सामाजिक उपयोगिता का अध्ययन भी किया हो।

12.1.3 अभियान की न्यायिक परिषद में एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगे, जो किसी याचिका पर बहुमत से फैसला करेंगे या दोनों सदस्यों द्वारा अधिकृत किये जाने पर अध्यक्ष स्व विवेक से फैसला करेगा। वाद के पंजीकृत होने के छह माह या इससे कम अवधि में ही परिषद को फैसला देना होगा। इस फैसले के लिए ज्यादा से ज्यादा दो तारीखें परिषद सुनवाई के लिए तय कर सकेगा। फैसले के विरूद्ध अभियान संचालन समिति के मैनेजर के न्यायिक कार्यालय में अपील की जा सकेगी, जिसका फैसला अंतिम होगा।

12.1.4 न्यायिक परिषद द्वारा दिये गये किसी फैसले की न्यायिक परिषद के शैक्षिक महत्व की दृष्टि से अधिवक्ता परिषद में आलोचना एवं बहस हो सकेगी, किन्तु यदि फैसले को दो तिहाई बहुमत से अधिवक्ता परिषद बदल देती है तभी न्यायिक परिषद का फैसला संशोधित माना जाएगा।

12.1.5 अधिवक्ता परिषद के सदस्यों की संख्या उतनी ही होगी जितनी विधायक सभा की होगी, अधिवक्ता परिषद की सदस्यता एक मेरिट लिस्ट के आधार पर बनाई जाएगी, जो सर्वाधिक वादों में स्वयं को अधिकृत होने का प्रमाण पेश करेंगे। उसमें से ऊपर से उतने लोग अधिवक्ता परिषद के सदस्य होंगे जितनी परिषद में सीटें होंगी। कोई व्यक्ति केवल दो बार परिषद का सदस्य बन सकेगा। सदस्य का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा।

12.1.6 अधिवक्ता परिषद का प्रमुख कार्य अभियान के संविधान में आवश्यक संशोधन के लिए विधेयक निर्मित करना, न्यायिक परिषद के द्वारा दिये गये फैसलों की निजी स्तर पर या परिषद में आलोचना करना, साधारण सभा की आवश्यकताओं के अनुरूप न्यायिक परिषद के माध्यम से कार्यसमिति को कानूनी सलाह देना, न्यायिक परिषद में नियुक्त होने के लिए आवेदक बनना, कार्यसमिति, साधारण सभा, विधायक साधारण सभा, या विकासक साधारण सभा द्वारा किसी खास मक्सद से नियुक्त किये जाने पर सेवा शुल्क के आधार पर उन्हें अपनी कानूनी विशेषज्ञता से संबंधित सेवाएं देना, साधारण सभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर निजी एवं परिषद स्तर पर आलोचना करना।

धारा–12.2

न्यायिक परिषद के न्यायाधीश

12.2.1 अभियान के सिद्धांतों, नीतियों, नियमों में विधिवत प्रशिक्षण के लिए अभियान द्वारा अधिकृत कुछ विश्वविद्यालय होंगे, इन विश्वविद्यालयों द्वारा प्रमाणपत्र प्राप्त व अभियान की उर्ध्वाधर कार्यसमिति द्वारा मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ अभियान के न्यायिक प्राधिकरणों में व्यवसायिक न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे।

12.2.2 न्यायालयों को सस्ता, त्वरित व न्यायप्रिय बनाने के लिए याचिकाकर्ताओं को यह अधिकार दिया जाएगा कि वे उसी न्यायाधीश की अदालत में याचिका पेश करें जिससे उम्मीद हो कि वह फैसला जल्द से जल्द देगा, कम से कम न्यायिक व्यय में देगा और वह न्यायाधीश स्वाभावतः न्यायप्रिय होगा।

12.2.3 प्रत्येक मान्यता प्राप्त न्यायाधीश को अधिकार होगा कि वह न्यायिक प्रक्रिया में आने वाला व्यय इतना कम से कम रखे जितने से उसका जीवन निर्वाह होता हो और अधिक से अधिक याचिकाएं उसकी अदालत में पेश करने के लिए लोग प्रेरित हों। प्रत्येक न्यायाधीश न्यायिक व्यय की रकम की जानकारी अपने फैसले में

लिखेगा, व उस रकम की 10 प्रतिशत रकम अभियान के संबंधित स्तर के कोष में जमा करायेगा। जिस न्यायाधीश द्वारा यह रकम अभियान कोष में जमा नहीं करायी जाएगी, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उस न्यायाधीश की मान्यता भी रद्द की जा सकती है जो निजी हित को ध्यान में र,ख कर पफैसले देता हुआ पाया जाएगा।

12.2.4 देश स्तरीय न्यायिक परिषद के न्यायाधीशों को वादी या प्रतिवादी से सेवा शुल्क प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे न्यायाधीशों को उनके जीवन निर्वाह हेतु मानदेय या वेतन व भत्ते का प्रबंध संबंधित स्तर की कार्यसमिति या उससे उच्चस्थ कार्यसमिति करेगी।

धारा–12.3

न्यायिक परिषद के आदेशों का कार्यान्वयन

12.3.1 कोई भी न्यायाधीश अपने फैसले की एक प्रति उच्चस्थ परिषद को प्रेषित करेगा। फैसले की प्रति को प्राप्त होने पर उच्चस्थ परिषद अपने समानांतर कार्य समिति के माध्यम से फैसले को कार्यान्वित करवाएगी।

12.3.2 इस प्रकार किसी न्यायाधिकरण द्वारा प्रेषित किसी फैसले को 15 दिन के भीतर संबंधित कार्यसमिति अपने अधीनस्थ कार्यसमिति को कार्यान्वित करने के लिए आदेशित करेगी व इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

12.3.3 कार्यान्वयन संबंधी आदेश जारी करते समय संबंधित कार्यसमिति आरोपी को अभियान के किसी ऐसे अंग में स्थानांतारित करने का आदेश दे सकती है, जिस अंग के कार्यकारी प्रमुख को आपत्ति न हो।

धारा–12.4

न्यायिक परिषद से सम्बन्धित विविध प्रावधान

12.4.1 जब तक अभियान की न्यायिक शिक्षा संस्थान व अभियान द्वारा अधिकृत विश्वविद्यालय व प्रशिक्षित न्यायाधीश व अधिवक्तागण अस्तित्व में नहीं आते, तब तक अभियान के उर्ध्वाधर कार्यसमितियों के गवर्नर संबंधित स्तर के न्यायिक प्राधिकरण के पदेन न्यायाधीश माने जाएंगे।

12.4.2 कार्यसमिति के अध्यक्ष, चेयरमैन, गवर्नर, महासचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार उसी सतर के न्ययायिक प्राधिकरण को होगा। उच्चतर स्तर पर एक बार आरोपी को अपील करने का अधिकार होगा।

धारा–13

लोक सेवा भर्ती परिषद–

अभियान में विविध स्तरों पर उन कार्यकार्ताओं, कर्मचारियों, अधिकारियों, पदधिकारियों– जिनकी भर्ती के लिए चुनाव अपेक्षित नहीं है, के पदों पर उचित व्यक्तियों के पदस्थापन के लिये अभियान की एक इकाई होगी, जिसे लोक सेवा भर्ती परिषद कहा जाएगा।

धारा–13.1

लोक सेवा भर्ती परिषद का गठन–

13.1.1 भर्ती परिषद के कार्यकारी प्रमुखों को संबंधित इकाई का भर्ती निदेशक कहा जाएगा।

13.1.2 केन्द्रीय कार्यसमिति किसी ऐसे व्यक्ति को अभियान की राष्ट्रीय इकाई की भर्ती परिषद का निदेशक नियुक्त करेगी, जो अभियान के संविधान, अभियान के मिशन व अभियान के दर्शन का मर्मज्ञ हो तथा संगठनात्मक विज्ञान के सैद्धांतिक व व्यवहारिक पहलुओं का ज्ञान व अनुभव रखता हो। केन्द्रीय कार्यसमिति का एक सदस्य भर्ती परिषद का प्रभारी होगा।

13.1.3 राष्ट्रीय स्तर का भर्ती निदेशक व राष्ट्रीय स्तर के गवर्नर की सलाह पर राष्ट्र की दोनों शाखाओं के भर्ती निदेशकों की नियुक्ति करेगा।

13.1.4 अभियान के प्रत्येक उर्ध्वाधर स्तर पर भर्ती निदेशकों की नियुक्ति संबंधित स्तर के गवर्नर की सलाह पर उच्चतर स्तर का भर्ती निदेशक करेगा।

धारा–13.2

लोक सेवा भर्ती परिषद का कार्य–

13.2.1 भर्ती परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि अभियान संविधान के प्रावधानों के अनुसार जिस पद पर जिस तरह के गुण वाले और उस गुण की जितनी मात्रा वाले लोग अपेक्षित हों, उस पद पर वैसे लोगों का पदास्थापन हो।

13.2.2 अपने कार्यों को संपादित करने के लिये परिषद उपयुक्त विधियों का प्रस्ताव तैयार करेगा और उसे साधारण सभा से मंजूरी प्राप्त करके कार्यान्वित करेगा।

13.2.3 अभियान में पदाधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद पर भर्ती की सिफारिश कर दें, किन्तु भर्ती परिषद की मंजूरी मिलने तक इस तरह की सिफारिशों पर की गई भर्ती अंतरिम होगी।

13.2.4 भर्ती परिषद अपने कार्यों को संपादित करने के लिए कुछ तकनीकी व्यक्तियों, संगठनों, ट्रस्टों, फर्मों व कम्पनियों का सहयोग ले सकती है या कुछ विशेष कार्यों को सम्पादित करने के लिये अधिकृत कर सकती है।

13.2.5 भर्ती परिषद अभियान की एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में काम करे, यह सुनिश्चित करना केन्द्रीय कार्यसमिति का काम होगा।

13.2.6 भर्ती परिषद की शाखाएं ब्लॉक स्तर से शुरू होकर राष्ट्र स्तर तक होंगी तथा जिस स्तर की किसी कार्यसमिति का गठन होगा, वहाँ भर्ती परिषद की संबंधित शाखा का गठन अवश्य होगा।

13.2.7 भर्ती परिषद के निदेशकों के पास साधनों से सुसज्जित एक विधि द्वारा स्थापित निदेशालय होगा, जिसके लिये आय का प्रबंध यथाशक्य परिषद स्वयं करेगा। संबंधित स्तर की उच्चतर कार्य समिति का यथाशक्य यह प्रयास करेगी कि भर्ती परिषद को संसाधनों की कमी न पड़ने पाये।

13.2.8 भर्ती परिषद अभियान संविधान के अनुरूप जिन पदों के लिये भर्ती संबंधी विधियों का प्रस्ताव तैयार करके व साधारण सभा से मंजूर कराके कार्यान्वित करेगा, वे पद इस प्रकार हैं –

(i) शून्य सदस्यों की भर्ती।
(ii) प्राथमिक सदस्यों की भर्ती।
(iii) सक्रिय सदस्यों की भर्ती।
(iv) मूल सदस्यों की भर्ती।
(v) वोटर कौंसिलरों की भर्ती।
(vi) साधारण सभा के सदस्यों की भर्ती।
(vii) कार्यसमितियों के सदस्यों की भर्ती।
(viii) कार्यसमितियों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों की भर्ती।
(ix) कार्यसमितियों के चेयरमैनों व वाइस–चेयरमैनों की भर्ती।
(x) समदर्शी गवर्नरों की भर्ती।
(xi) समवर्ती गवर्नरों की भर्ती।
(xii) अधिवक्ताओं की भर्ती।
(xiii) न्यायाधीशों की भर्ती।
(xiv) अभियान प्रवक्ताओं की भर्ती।
(xv) अधिकारियों की भर्ती।
(xvi) कर्मचारियों की भर्ती।
(xvii) सुरक्षा निदेशकों की भर्ती।
(xviii) भर्ती निदेशकों की भर्ती।

(xix) प्रत्याशी चयन परिषद के निदेशकों की भर्ती।
(xx) बैंक गवर्नरों की भर्ती।
(xxi) सहयोगी संगठनों /ट्रस्टों /फर्मों /कम्पनियों की भर्ती।
(xxii) नीति निर्देशक व्यक्तियों की भर्ती।

13.2.9 नये पदों के सृजन व वर्तमान पदों के निरसन का अधिकार केन्द्रीय कार्यसमिति या उसके द्वारा अधिकृत किसी निकाय को होगा।

13.2.10 भर्ती परिषद निम्नलिखित इकाइयों व निकायों को अभियान से जोड़ने, संबद्ध करने, या नया निकाय प्रारंभ करने संबंधी विधियों का प्रस्ताव भी बनायेगा व उन्हें साधारण सभा से मंजूर करवाके कार्यान्वित करेगा–
(i) नये प्रकोष्ठों का गठन।
(ii) नये मोर्चे का गठन।
(iii) नये आपरेशन का गठन।
(iv) नये संगठनों /ट्रस्टों /फर्मों /कम्पनियों को अभियान से संबद्ध करना व अधिकृत करना।
(v) नीति निर्देशक, संगठनों, व्यक्तियों का पंजीकरण व मान्यता प्रदानीकरण।

धारा–14

गैप गवर्निंग कौंन्सिल

अभियान की दो कार्यसमितियों के मध्य उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज मध्यस्तता करने के लिए गठित की जाएगी। गैप गवर्निंग कौसिलों के दो प्रवर्ग होंगे। एक को समवर्ती गैप गवर्निंग कौसिल दूसरे को समदर्शी गैप गवर्निंग कौसिल कहा जाएगा। अभियान दो परस्पर विरोधी विचारधराओं, दो परस्पर विरोधी सम्प्रदायों, दो परस्पर विरोधी समुदायों के बीच इन्हीं कौंसिलों के माध्यम से समन्वय कायम करेगी व दोनों के बीच समय–समय पर समझौते सम्पन्न करवाने का काम करेगी।

धारा–14.1

समवर्ती गैप गवर्निंग कौन्सिल

14.1.1 अभियान की दो उर्ध्वाधर कार्यसमितियों के मध्य उर्ध्वाधर मध्यस्तता करने के लिए जो गैप गवर्निंग कौन्सिल गठित की जाएगी, उसे समवर्ती गैप गवर्निंग कौन्सिल कहा जाएगा।

14.1.2 प्रदेशों एवं देश के मध्य अवस्थित उर्ध्वाधर कौंसिल प्रमुख को चतुर्थ राजदूत, देशों एवं वतन के मध्य अवस्थित कौंसिल प्रमुख को तृतीय राजदूत, वतनों एवं प्रराष्ट्र के मध्य अवस्थित कौंसिल प्रमुख को द्वितीय राजदूत एवं प्रराष्ट्रों तथा राष्ट्र के मध्य अवस्थित उर्ध्वाधर कौंसिल प्रमुख को प्रथम राजदूत कहा जाएगा।

धारा–14.2

समदर्शी गैप गवर्निंग कौन्सिल

14.2.1 अभियान की दो समानान्तर कार्यसमितियों के मध्य क्षैतिज मध्यस्तता करने के लिए जो गैप गवर्निंग कौन्सिल गठित की जाएगी, उसे समवर्ती गैप गवर्निंग कौन्सिल कहा जाएगा।

14.2.2 प्रदेशों के मध्य अवस्थित समानांतर कौंसिल प्रमुखों को प्रादेशिक राजपंच, देशों के मध्य अवस्थित कौंसिल प्रमुखों को देशिक राजपंच, वतनों के मध्य अवस्थित कौंसिल प्रमुखों वतन राजपंच, एवं दोनों प्रराष्ट्रों के मध्य अवस्थित कौंसिल प्रमुखों को प्रराष्ट्रीय राजपंच कहा जाएगा।

धारा–14.3

गैप गवर्निंग कौन्सिल का गठन

14.3.1 अभियान के पंजीकरण के पश्चात अभियान की केन्द्रीय कार्यसमिति अभियान के संविधान की भावनानुरूप गैप गवर्निंग कौन्सिलों के गठन व उसकी कार्य प्रणाली आदि के बारे में विनियम बनाएगा व व उनके प्रमुखों की नियुक्ति करेगा। विनियम बनाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि अभियान की क्षैतिज या उर्ध्वाधर

कार्यसमितियों के मध्य टकराव की नौबत को हिंसा की बजाय सभ्यतापूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने में वे विनियम एवं वह प्रक्रिया सक्षम हो।

14.3.2 गैप गवर्निंग कौन्सिलों का प्रमुख बनने के लिए आवेदक को वक्तव्य एवं लिखित ढ़ंग से अच्छी अभिव्यक्ति क्षमता का होना आव श्यक होगा। उसे आवेदन के समय ही अपेक्षित पद की अर्हता संबंधी विवरण देना होगा। उसे यह बताना होगा कि किन दो समुदायों की भावनाओं का उसे अच्छा अध्ययन एवं अनुभव है और उन सम्प्रदायों में संघर्ष के प्रमुख बिन्दु क्या हैं, वह संघर्ष को टालने के लिए किस रणनीति को उपयोग में लाएगा.....आदि।

14.3.3 जिन दो समानान्तर कार्यसमितियों के मध्य क्षैतिज मध्यस्तता के लिए राजदूतों की पदस्थापना की जाएगी, ऐसे पदों पर नियुक्ति द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सम्मति की सलाह पर केन्द्रीय कार्यसमिति या उसके द्वारा अधिकृत किसी निकाय से की जाएगी। ऐसे किसी भी व्यक्ति को गैप गवर्निंग कौन्सिलों का प्रमुख नहीं बनाया जा सकता, जिसके पास अभियान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत सम्बन्धित योग्यता का प्रमाणपत्र न हो।

धारा–14.4

गैप गवर्निंग कौसिल के सदस्यों के अधिकार एवं कर्त्तव्य

14.4.1 कोई भी कार्यसमिति अपने पड़ोसी कार्य समिति से कोई भी संवाद इन्हीं अंत कार्यसमितीय गैप गवर्निंग कौन्सिलों के माध्यम से ही स्थापित करेगी।

14.4.2 प्रदेशों के मध्य द्विपक्षीय संवाद स्थापित करने वाले परिषद सदस्य एवं प्रदेशों एवं देश के मध्य अवस्थित उर्ध्वाधर परिषद सदस्य के अधीन कार्य करेंगे। इसी प्रकार देशों के बीच द्विपक्षीय मध्यस्तता करने वाले सभी परिषदें देशों एवं वतन के मध्य अवस्थित परिषद के अधीन होंगे। वतनों के बीच के द्विपक्षीय परिषद वतन एवं प्रराष्ट्र के बहुपक्षीय परिषद के अधीन होंगे एवं प्रराष्ट्रों के बीच का परिषद सदस्य प्रराष्ट्रों एवं राष्ट्र के मध्य के परिषद सदस्य के अधीन होगा।

धारा–15

अभियान कोष–

अभियान के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखने के लिए और अभियान को कैश व काइण्ड में प्राप्त अनुदानों, ऋणों, सेवाओं का लेखा–जोखा रखने के लिए अभियान अपनी एक इकाई का गठन करेगी, जिसे अभियान कोष कहा जाएगा।

धारा–15.1

अभियान कोष का गठन–

15.1.1 अभियान कोष के कार्यकारी प्रमुख को प्रबंध निदेशक कहा जाएगा और कोष की शाखाओं की कार्यकारी प्रमुखों को प्रबंधक कहा जाएगा।

15.1.2 केन्द्रीय कार्यसमिति किसी ऐसे व्यक्ति को अभियान की राष्ट्रीय इकाई की अभियान कोष के प्रबंधक नियुक्त करेगी, जो अभियान के बैंकिंग, एकाउटिंग, लेखा परीक्षा के सैद्धांतिक व व्यवहारिक पहलुओं का ज्ञान व अनुभव रखता हो।

15.1.3 अभियान पदाधिकारियों, कार्यकताओं, कर्मचारियों, अधिकारियों आदि के कार्यों का वित्तीय मूल्यांकन करने व उसका लेखा–जोखा रखना सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ को या सभी को अभियान कोष में खाता खोलना अनिवार्य बनाने संबंधी नियम बनाने का अधिकार केन्द्रीय कार्यसमिति या उसके द्वारा अधिकृत किसी निकाय को होगा।

धारा–15.2

अभियान कोष का कार्य–

15.2.1 अभियान सदस्यों के बीच आपसी विनिमय का माध्यम विकसित करेगा। विनिमय के इसी माध्यम के रूप में अभियान के उन पदाधिकारियों व कर्मचारियों को अभियान भुगतान करेगी, जो पदाधिकारी व जो कर्मचारी वर्तमान या भविष्य में नकद भुगतान की शर्त पर अभियान में काम करने के लिए भर्ती हुए होंगे।

15.2.2 अभियान को प्राप्त ऋणों व अनुदानों के बदले अभियान द्वारा विकसित विनिमय माध्यम को ही अभियान रसीद के रूप में अनुदान प्रदाता व ऋण प्रदाता को प्रदान करेंगी।

15.2.3 अभियान के उद्देश्यों पर कार्यरत अन्य राजनीतिक दलों, गठबंधनों, अराजनीतिक संगठनों, ट्रस्टों व परिसंघों, परा–राजनीतिक, परादेशिक, अंतराष्ट्रीय व वैश्विक संघों व परिसंघों की एकीकृत आर्थिक ताकत विकसित करने के लिए अभियान किसी ऐसे ट्रस्ट या मंच द्वारा विकसित विनिमय माध्यम को मान्यता प्रदान करेंगी जो अभियान उद्देश्यों पर कार्यरत अभियान से बाहर के अधिकतम लोगों के लिए स्वीकार हो सके।

15.2.4 अभियान द्वारा विकसित घरेलू विनिमय का माध्यम व अभियान द्वारा मान्यता प्राप्त विनिमय का माध्यम स्थानीय स्तर पर सुगमता से सुलभ हो सके, इसके लिए अभियान ब्लाक स्तर तक कोष की शाखाएं खोलेगा। इन स्थानीय शाखाओं को अभियान कोष की शाखाएं कहा जाएगा।

15.2.5 अभियान के उद्देश्यों को पूरा होने से जिन लोगों का आर्थिक हित होगा, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किये गये कार्यो पर आय–व्यय भी उन्हीं लाभार्थियों पर भारित हो सके, इसके लिए अभियान अपने द्वारा विकसित व मान्य विनिमय माध्यम के सहारे आर्थिक सहयोगकर्ताओं को इस आशय का पारदर्शी आश्वासन देगी कि अभियान को आर्थिक सहयोग करने वालों को सामान्य ब्याज से दूनी दर पर प्रदत्त रकम का भुगतान शासन करे, इसके लिए अभियान पूरे मनोयोग से काम करेगी।

15.2.6 अभियान पारदर्शी, सुव्यवस्थित व सुगम आय–व्यय का लेखा–जोखा रख सके, इसके लिए अपनी आर्थिक गतिविधियों को इस प्रकार विनियमित करेगी, जिससे कि अभियान के लिए किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग अभियान कोष की शाखाओं के माध्यम से ही किया जा सके और अभियान कोष से निकाली गई व व्यय की गई धनराशि का निर्गतीकरण भी अभियान कोष की शाखाओं के माध्यम से ही किया जाए, जिससे राजीतिक क्षेत्र में एक पारदर्शी लेन–देन की व्यवस्था विकसित हो सके।

15.2.7 अपने कार्यों को संपादित करने के लिये अभियान कोष उपयुक्त विधियों का प्रस्ताव तैयार करेगा और उसे साधारण सभा से मंजूरी प्राप्त करके कार्यान्वित करेगा।

15.2.8 अभियान कोष अपने कार्यों को संपादित करने के लिए कुछ तकनीकी व्यक्तियों, संगठनों, ट्रस्टों, फर्मों व कम्पनियों का सहयोग ले सकती है या कुछ विशेष कार्यों को सम्पादित करने के लिये अधिकृत कर सकती है।

15.2.9 अभियान कोष अभियान की एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में काम करे, यह सुनिश्चित करना केन्द्रीय कार्यसमिति का काम होगा।

15.2.10 अभियान कोष की शाखाएं ब्लॉक स्तर से शुरू होकर राष्ट्र स्तर तक होंगी तथा जिस स्तर की किसी कार्यसमिति का गठन होगा, वहाँ कोष की संबंधित शाखा का गठन अवश्य होगा।

15.2.11 अभियान कोष के निदेशकों के पास साधनों से सुसज्जित एक विधि द्वारा स्थापित निदेशालय होगा, जिसके लिये आय का प्रबंध यथाशक्य परिषद स्वयं करेगा। संबंधित स्तर की उच्चतर कार्य समिति का यथाशक्य यह प्रयास करेगी कि कोष को संसाधनों की कमी न पड़ने पाये।

15.2.12 नये पदों के सृजन व वर्तमान पदों के निरसन का अधिकार केन्द्रीय कार्यसमिति या उसके द्वारा अधिकृत किसी निकाय को होगा।

धारा–16

सुरक्षा परिषद–

अभियान के पदाधिकारियों, कार्यकताओं, कर्मचारियों, अधिकारियों व सदस्यों के जान–माल की सुरक्षा के लिए अभियान का एक निकाय होगा, जिसे सुरक्षा परिषद कहा जाएगा। सुरक्षा परिषद के मुख्यि कार्यकारी को सुरक्षा परिषद का निदेशक कहा जाएगा।

धारा–16.1

सुरक्षा परिषद का गठन–

16.1.1 केन्द्रीय कार्यसमिति किसी ऐसे व्यक्ति को अभियान की राष्ट्रीय इकाई की सुरक्षा परिषद का निदेशक नियुक्त करेगी, जो आंतरिक व वाह्य सुरक्षा तथा खुफिया सूचनाओं तथा संगठनात्मक विज्ञान के सैद्धांतिक व व्यवहारिक पहलुओं का ज्ञान व अनुभव रखता हो। केन्द्रीय कार्यसमिति का एक सदस्य सुरक्षा परिषद का प्रभारी होगा।

16.1.2 राष्ट्रीय स्तर का सुरक्षा परिषद के निदेशक की नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर के गवर्नर की सलाह पर केन्द्रीय कार्यसमिति के का गवर्नर–जनरल करेगा।

16.1.3 अभियान के प्रत्येक उर्ध्वाधर स्तर पर सुरक्षा परिषद के निदेशकों की नियुक्ति संबंधित स्तर के गवर्नर की सलाह पर उच्चतर स्तर का सुरक्षा परिषद का निदेशक करेगा।

धारा–16.2

सुरक्षा परिषद का कार्य–

16.2.1 सुरक्षा परिषद अभियान की प्रत्येक उर्ध्वाधर स्तर पर अपनी शाखाएं खोलेगी, जिसके माध्यम से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी।

16.2.2 सुरक्षा परिषद निजी सुरक्षा गार्डों की एक व्यवस्थित संगठन तैयार करेगी और निजी सुरक्षा में कार्यरत अन्य संगठनों, एजेंन्सियों व कम्पनियों से उपयुक्त संबंध बनाएगी।

16.2.3 सुरक्षा परिषद अपनी विधियां कुछ इस प्रकार बनाएगी जिससे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत जांबाज व योग्य व्यक्ति अभियान की सुरक्षा परिषद में काम करना पसंद करें।

16.2.4 न्यायिक परिषद के न्यायाधीशों द्वारा सुनाए गये निर्णयों की जानकारी संबंधित पक्षों तक अभियान की सुरक्षा परिषद की संबंधित शाखा के माध्यम से ही प्रेषित किया जाएगा।

16.2.5 अपराधों को रोकने में व अभियान की सुरक्षा हेतु सूचनाओं के आदान–प्रदान में अभियान का सुरक्षा परिषद स्थानीय शासन–प्रशासन व पुलिस को सहयोग करेगा।

धारा–17

जनसंचार परिषद–

अभियान के नीतियों, नियमों, कार्यक्रमों, मंतव्यों, निर्णयों इत्यादि को सही ढ़ंग से ठीक शब्दों में प्रचारित व प्रसारित करने के लिये अभियान का एक निकाय होगा, जिसे जनसंचार परिषद होगा, जिसके प्रमुख को प्रवक्ता कहा जाएगा।

धारा–17.1

जनसंचार परिषद का गठन–

17.1.1 केन्द्रीय कार्य समिति किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर के जनसंचार प्राधिकरण का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त करेगी, जिसे अभियान के संविधान, नीतियों व दर्शन की समझ हो, वह प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया में काम करने का अनुभव रखता हो, इण्टरनेट तकनीकि के सैद्धांतिक व व्यवहारिक पहलुओं का ज्ञान व अनुभव रखता हो और अभिव्यक्ति व तर्क वितर्क का धनी हो। केन्द्रीय कार्यसमिति का एक सदस्य जनसंचार परिषद का प्रभारी होगा।

17.1.2 राष्ट्रीय स्तर का जनसंचार परिषद के प्रवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर के गवर्नर की सलाह पर केन्द्रीय कार्यसमिति के का गवर्नर–जनरल करेगा।

17.1.3 अभियान के प्रत्येक उर्ध्वाधर स्तर पर जनसंचार परिषद के निदेशकों की नियुक्ति संबंधित स्तर के गवर्नर की सलाह पर उच्चतर स्तर का जनसंचार परिषद का प्रवक्ता करेगा।

धारा–17.2

जनसंचार परिषद का कार्य–

17.2.1 जनसंचार परिषद अपने कार्यों को सम्पादित करने के लिये दृश्य व श्रव्य प्रसारण माध्यमों, प्रिंट मीडिया, मल्टीमीडिया इत्यादि आधुनिकतम तकनीकि का उपयोग करेगी। इसके लिये परिषद कुछ समाचार पत्रों, पत्रिकाओं रेडियो स्टेशनों, टी0वी0 चैनलों का स्वयं संचालन करेगी व कुछ के साथ सहयोग व संबद्धीकरण करेगी और कुछ को अपने कुछ खास कार्यक्रमों के लिये अधिकृत करेगी।

17.2.2 जनसंचार परिषद उन पत्रकारों, स्तम्भकारों, संपादकों, स्वामित्वधारकों के साथ अभियान के मधुर संबंध बढ़ाने के लिये काम करेगा, जो समाज के विचार निर्माण का कार्य करते हैं।

17.2.3 जनसंचार परिषद का कार्य यह भी होगा कि आम जन की अपेक्षाओं को अभियान पदाधिकारियों व कार्यसमितियों तक पहुंचाये व जनापेक्षाओं के अनुरूप अभियान के विविध स्तर की कार्यसमितियों के फैसलों को उस सीमा तक प्रभावित करे जिस सीमा तक अभियान का संविधान अनुमति प्रदान करता हो।

17.2.4 अभियान संविधान की भावनाओं के अनुरूप व प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए परिषद को यह भी अधिकार होगा कि वह अभियान की उर्ध्वाधर कार्यसमितियों व विविध स्तरों के पदाधिकारियों की आलोचना करके उन्हें पद की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने को प्रेरित करें।

17.2.5 जनसंचार परिषद का स्वरूप यथाशक्य स्वायत्तशासी हो, इसके लिये प्राधिकरण प्रयास करेगा कि परिषद के द्वारा उत्पादित उत्पादों व सेवाओं को अभियान के सदस्य खरीदना पंसद करें। अभियान की कार्यसमितियां प्रयास करेंगी कि जनसंचार परिषद को अपना काम करने के लिए संसाधनों की कमी न पड़ने पाये।

17.2.6 जनसंचार परिषद की उर्ध्वाधर इकाइयां ब्लॉक से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय स्तर तक होंगी। यथाशक्य जहाँ भी किसी कार्यसमिति का गठन होगा, वहाँ परिषद की संबंधित शाखा का गठन अवश्य होगा।

17.2.7 जनसंचार परिषद के कार्यकारी प्रमुख को अभियान की संबंधित कार्यसमिति का प्रवक्ता कहा जाएगा।

धारा–18

अभियान द्वारा संचालित अभियान के उपांग–

समाज में लम्बे समय से मौजूद या अचानक पैदा हो गई समस्याओं को बढ़ने से रोकने, उनको कमजोर करने व अंततः समाप्त करने के उद्देश्य से व विविध समुदायों के न्यायिक हितों की रक्षा करने और प्रतिनिधि विचारधाराओं पर आधारित विविध समुदायों को ताकत प्रदान करने के उद्देश्य से अभियान के द्वारा संचालित कुछ निकाय होंगे, जिन्हें अभियान के उपांग कहा जाएगा।

धारा–18.1

अभियान के प्रकोष्ठ, मोर्चा, आपरेशन–

18.1.1 समाज की स्थाई समस्याओं को बढ़ने से रोकने, उनको कमजोर करने व अंततः समाप्त करने के उद्देश्य से अभियान अपने उर्ध्वाधर विविध अंगों के साथ कुछ उपांगों का निर्माण करेगी। इन उपांगों को प्रकोष्ठ कहा जाएगा। इन प्रकोष्ठों का नामकरण संबंधित समस्या को विशेषण के रूप में जोड़कर किया जाएगा। जैसे आर्थिक विषमता निवारण प्रकोष्ठ, पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ, आदि।

18.1.2 समाज के विविध घटकों के न्यायिक हितों की रक्षा व संवर्धन के लिए संगठित संघर्ष करने हेतु अभियान के कुछ ंटल संगठन होंगे, जिन्हें मोर्चा कहा जाएगा। मोर्चा का नामकरण संबंधित सामाजिक, व्यवसायिक घटक

के नाम को विशेषण के रूप में जोड़कर किया जाएगा। मोर्चा अभियान द्वारा गठित अभियान का समानांतर संगठन होगा।

18.1.3 किसी तात्कालिक समस्या पर अंकुश लगाने या उसे खत्म करने या किसी तात्कालिक चुनौती का सामना करने के लिए अभियान के कुछ आपात मोर्चों का गठन किया जाएगा, जो समस्या समाप्त हाते ही भंग कर दी जाएगी। ऐसे मार्चों को नामकरण संबंधित चुनौती के साथ आपरेशन शब्द जोड़कर किया जाएगा। ऐसे आपरेशन किसी प्राकृतिक आपदा या अभियान पर आये किसी अपात संकट, हमले, विशेष अभियान इत्यादि के समय शुरू किये जाएंगे।

धारा–18.2

प्रकोष्ठों का गठन

18.2.1 केन्द्रीय गवर्नर की सलाह पर उर्ध्वाधर कार्यसमितियों के अध्यक्ष व गवर्नर अपने निम्नस्त साधारण सभा के सदस्यों में से प्रकोष्ठ के निम्नस्त स्तर के अध्यक्ष को व प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को अपने से निम्नस्त स्तर के प्रकोष्ठ प्रबन्धक नामित करेगा। अध्यक्ष प्रकोष्ठ की कार्यसमिति का गठन करेगा।

18.2.2 देश स्तरीय प्रकोष्ठ की कार्यसमिति में अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य, प्रदेश स्तर पर 6 सदस्य, जनपद स्तर पर 5 सदस्य ब्लॉक स्तर पर 4, गाँव या वार्ड स्तर पर 3 सदस्य नामित किये जाएंगे। सभी स्तरों पर चार उपाध्यक्ष भी अध्यक्ष द्वारा नामित होंगे।

18.2.3 हर प्रकोष्ठ के लिए संबंधित स्तर की कार्यसमिति का एक सदस्य प्रकोष्ठ का प्रभारी होगा। प्रकोष्ठ की कार्यसमिति प्रकोष्ठ के अधिकार क्षेत्र संबंधी विधियों व कार्यक्रमों के निर्माण का कार्य करेगी व उनके कार्यान्वयन के लिए प्रकोष्ठ की कार्यसमिति अभियान की संबंधित स्तर की कार्यसमिति के संबंधित सदस्य प्रभारी की मदद लेगी।

18.2.4 प्रकोष्ठ की उर्ध्वाधर कार्यसमितियों के बीच समन्वय बनाने के लिए आवश्यक होगा कि अभियान की अधीनस्थ कार्यसमिति के अध्यक्ष अपने समानांतर प्रकोष्ठ की कार्यसमिति का गठन करने के लिए अध्यक्ष को नामित करने से पूर्व प्रकोष्ठ की उच्चतर कार्यसमिति के अध्यक्ष की सलाह लें।

18.2.5 नये प्रकोष्ठ खोलने के लिए कम से कम प्रदेश स्तर की कार्यसमिति के किसी भी सदस्य द्वारा इस आशय की सिफारिश की जाएगी। जिस पर अभियान की सभी उच्चस्थ कार्यसमितियां विचार करके अपने–अपने प्रतिवेदन सहित मूल सिफारिशी पत्र अभियान के केन्द्रीय गवर्नर तक भेजेंगे। जहां अंतिम रूप से यह तय होगा कि वह प्रकोष्ठ खोला जाएगा कि नहीं। अभियान का केन्द्रीय गवर्नर अभियान की उर्ध्वाधर कार्यसमितियों में से किसी एक कार्यसमिति के अध्यक्ष को अपने स्तर पर अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत कर सकता है।

18.2.6 अभियान संविधान की अनंसूची–चार के रूप में प्रकोष्ठों की सूची प्रकाशित की जाएगी।

धारा–18.3

प्रकोष्ठ के लिए वित्तीय प्रबंध

18.3.1 प्रकोष्ठ की कार्यसमिति के सदस्य अपने प्रकोष्ठ की सदस्यता अभियान चलाकर व कोष संग्रह अभियान से चंदा इकठ्ठा करके अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए धन का प्रबंध कर सकते हैं। किन्तु सभी तरह का धन अभियान की रसीद बुकों से इकठ्ठा किया जाएगा, जो प्रकोष्ठ के लैटर हेड से अभियान के संबंधित स्तर के खाते में जमा होगा।

18.3.2 प्रकोष्ठ द्वारा जमा की गई कुल धनराशि का 75 प्रतिशत प्रकोष्ठ की कार्यसमिति व्यय करेगी, व 25 प्रतिशत अभियान की संबंधित स्तर की कार्यसमिति व्यय करेगी।

18.3.3 प्रकोष्ठ की कार्यसमिति स्वयं के खाते में प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत प्रकोष्ठ की अपने से उच्चस्थ कार्यसमिति को उसके अंशदान के रूप में देगी।

धारा–18.4

अभियान के मोर्चों का गठन

18.4.1 अभियान के किसी प्रकोष्ठ के गठन की प्रक्रिया ही मोर्चों के गठन की प्रक्रिया होगी।

18.4.1 मोर्चों के गठन के संबंध में अभियान गवर्नर से एक बार अनुमति मिल जाने पर गठन की प्रक्रिया स्वयं गवर्नर शुरू करेगा। प्रबंध के इस कार्य के लिए अभियान की उर्ध्वाधर कार्यसमितियों में से किसी एक कार्यसमिति के अध्यक्ष को अधिकृत करेगा। यह फैसला वह मोर्चे के कार्यों की भौगोलिक संभावनाओं को ध्यान में रखकर करेगा।

18.4.1 अभियान गवर्नर से अधिकृत होने के बाद संबंधित कार्यसमिति का अध्यक्ष व प्रबन्धक क्रमशः अपने स्तर की मोर्चे की कार्यसमिति का अध्यक्ष व प्रबन्धक मनोनीत करेगा। इसे प्रकोष्ठ का अध्यक्ष व प्रबन्धक कहा जाएगा।

18.4.1 मोर्चे का अध्यक्ष अपनी कार्यसमिति के लिए कार्यानुरूप लोगों को मनोनीत करेगा और अपने स्तर से नीचे अभियान की सभी समानांतर कार्यसमितियों के सहयोग से मोर्चे की अधीनस्थ कार्यसमितियों का गठन करेगा।

18.4.1 मोर्चे की अधीनस्थ कार्यसमितियों के सभी अध्यक्ष अपने से उच्चस्थ कार्यसमिति के सदस्य होंगे।

18.4.1 मोर्चे का अध्यक्ष मोर्चे की देश स्तर की कार्यसमिति में अधिक से अधिक उतने सदस्य मनोनीत कर सकेगा जितने उस देश में प्रदेशों की संख्या होगी। इसी प्रकार मोर्चे के प्रदेश स्तर का अध्यक्ष मोर्चे की प्रदेश स्तर की कार्यसमिति के लिए अधिक से अधिक उतने सदस्यों का मनोनयन कर सकेगा, जितनी की उस प्रदेश में जनपदों की संख्या होगी।

धारा–19

सहयोगी संगठन

अभियान के उद्देश्यों, कार्यक्रमों को पूर्णतः या अंशतः अपनाकर उसे कार्यान्वित करने वाले ऐसे संगठनों, ट्रस्टों, सम्प्रदायों, समूहों, निकायों, फर्मों, कम्पनियों को अभियान से सहयोगी संगठन कहा जाएगा, जो अपने सांगठनिक ढ़ांचे के माध्यम से अभियान से उद्देश्यों को पूरा करने में व कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में लगे हैं किन्तु अभियान नेतृत्व से असहमत हैं।

धारा–20

अभियान से संबद्ध संगठन–

अभियान के उद्देश्यों, कार्यक्रमों को पूर्णतः या अंशतः अपनाकर उसे कार्यान्वित करने वाले ऐसे सगठनों, ट्रस्टों, सम्प्रदायों, समूहों, निकायों, फर्मों, कम्पनियों को अभियान से संबद्ध संगठन कहा जाएगा, जो अभियान के उद्देश्यों व अभियान के नेतृत्व पर तो सहमत हैं किन्तु अपने सांगठनिक तंत्र के माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं।

धारा–20.1

संगठनों को अफिलिएट कराने की प्रक्रिया

20.1.1 किसी संगठन को अभियान से अफिलिएट कराने के लिए परिशिष्ट ..... में प्रदत्त आवेदन पत्र के प्रोफार्मे के अनुसार उस कार्यसमिति के अध्यक्ष को आवेदन करना होगा, उर्ध्वाधर जिस स्तर पर संगठन को अफिलिएट संबद्ध कराना वांछित हो।

20.1.2 यहाँ 'संगठन' शब्द से अभिप्राय शासन में पंजीकृत या अपंजीकृत स्वैच्छिक संगठन, ट्रस्ट, फर्म, कम्पनी है।

20.1.3 संबद्धता (Affiliated) के लिए प्राप्त आवेदन पत्र को अध्यक्ष यदि मंजूर करके चेयरमैन के पास प्रेषित कर देता है और यदि दोनों की मंजूरी प्राप्त हो जाती है तो गवर्नर आवेदक संगठन की नियमावली, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी कार्यक्षमता, उसकी जनशक्ति व धनशक्ति, व अभियान के लिए इस संगठन द्वारा प्राप्त हो सकने वाली संभावित उपादेयता का मूल्याकन करके अपनी सिफारिश अपने से उच्चस्थ गवर्नर को प्रेषित करेगा। उच्चस्थ गवर्नर अपने अध्यक्ष व चेयरमैन की साझी सहमति के आधार पर आवेदक संगठन को अभियान की निम्नस्थ कार्यसमिति से संबद्धता प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

20.1.4 किसी संबद्ध संगठन को अपने प्रतिद्वन्दी संगठन के संबद्धता के विरूद्ध कैविएट लगाने का अधिकार होगा, बशर्ते उसे यह साबित करना होगा कि उसके प्रतिद्वन्दी से अभियान की क्या क्षति है और प्रतिद्वन्दी द्वारा अभियान के लिए अपेक्षित योगदान को वह स्वयं भरपाई करने में सक्षम है।

20.1.5 स्वैच्छिक संगठनों, ट्रस्टों, फर्मों, कम्पनियों और राजनैतिक दलों को अभियान की किसी स्तर की कार्यसमिति से संबद्ध करने संबंधी विधियां समय–समय पर विविध स्तर की कार्यसमितियों द्वारा बनाई जाएंगी, जिसे उसमें उच्चस्थ कार्यसमिति अपेक्षित संशोधनों के साथ अपने समकक्ष साधारण सभा से मंजूर करवाके अंतिम रूप देगी।

20.1.6 संबद्धता व सहयोगिता संबंधी अलग–अलग विधियां भी उक्त धारा ड़ में प्रदत्त प्रक्रिया द्वारा ही बनाई जाएगी।

20.1.7 संबद्ध या सहयोगी संगठन के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने या घटाने संबंधी आवेदन अभियान की किसी भी ऐसी कार्यसमिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिस स्तर पर पहले से आवेदक संगठन संबद्ध है या सहयोगी है। ऐसे आवेदन की मंजूरी की प्रक्रिया वही होगी जो पहले से संगठनों की संबद्धता या सहयोगिता के लिए निर्धारित है।

धारा–21

अभियान द्वारा अधिकृत संगठन

21.1 अभियान की उर्ध्वाधर प्रत्येक कार्यसमिति को यह अधिकार होगा कि वह अभियान के एक या एक से अधिक कार्यों को सम्पादित करने के लिए कुछ शर्तों व संविदा के आधार पर किसी संगठन को अधिकृत कर दे। किन्तु इस तरह किसी संगठन, ट्रस्ट, फर्म, कम्पनी या राजनैतिक दल को अधिकृत करने का अधिकार जनपद स्तर से नीचे की इकाइयों को प्राप्त नहीं होगा।

21.2 कोई कार्यसमिति जिस संगठन को किसी कार्य के लिए अधिकृत करेगी उसके साथ स्पष्ट भाषा में बिन्दुवार लिखित संविदा सम्पन्न होगी। इस संविदा को शासन में पंजीकृत कराया जाएगा, या नहीं यह संविदा करने वाले दोनों या दो से अधिक पक्षों पर निर्भर करेगा।

21.3 ऐसे समझौते में संविदा करने वाले पक्षों में पैदा होने वाले विवादों, आरोपों, प्रत्यारोपों से अभियान की उच्चस्थ कार्यसमितियां पूरी तरह अलग रहेंगी।

21.4 किसी अधिकृत संगठन के कार्यक्षेत्र के विस्तार संबंधी आवेदन उच्चस्थ कार्यसमिति के समक्ष अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस आवेदन को स्वीकार करने की प्रक्रिया वही होगी, जो किसी संगठन को अभियान के किसी कार्य के लिए अधिकृत करने की प्रक्रिया पहले से निर्धारित है।

धारा–22

अभियान के उद्देश्यों पर कार्यरत अन्य राजनैतिक दलों के साथ अभियान के सम्बन्धों को विनियमित करने सम्बन्धी उपबन्ध

22.1 अभियान परस्पर सहयोग के लिये कुछ राजनीतिक दलों के साथ चुनावों में सीटों का तालमेल, साझे मुद्दों पर साझा शक्ति प्रदर्शन, साझा जनजागरण, साझा दबाव समूह, साझा शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रम, विविध जातियों, सम्प्रदायों, क्षेत्रों, भाषाओं, देशों, दलों में विभाजित किन्तु साझी समस्याओं से पीड़ित जनसमुदाय की राजनीतिक ताकत एकजुट करने के लिये अभियान कुछ ऐसे राजनीतिक दलों के साथ साझा मंच, परा–राजनीतिक व सुपर नेशनल मोर्चा, गठबंधन या परिसंघ बनाएगी, जिनके उद्देश्य आंशिक या पूर्ण रूप से अभियान के उद्देश्यों के समान होंगे।

22.2 अन्य राजनीतिक दलों से अभियान साझा मोर्चा, गठबंधन या साझा गठबंधन तभी बनायेगी जब सम्बन्धित दल निम्नलिखित नीतियों पर संयुक्त रूप से सहमत होंगे –

(i) गठबंधन का लिखित संविधान होगा।

(ii) गठबंधन बनाने के लिये लिखित संविदा होगी।

(iii) गठबंधन का नाम हर सदस्य दल अपने नाम के साथ उसी प्रकार लिखेगा जैसे स्कूल, कॉलेज उस बोर्ड पर विश्वविद्यालय का नाम लिखते हैं।

(iv) हर उस स्तर पर गठबंधन की कार्यसमिति की इकाईयाँ होंगी जिस स्तर पर किसी न किसी तरह की शासन–प्रशासन से संबंधित विधायिका की मौजूदगी होगी।

(v) गठबंधन की कार्यसमितियों के कार्यकारी प्रमुखों का चुनाव सभी सदस्य दलों के संबंधित पदाधिकारी संयुक्त रूप से करेंगे। ऐसे चुनावों की प्रणाली निम्नलिखित विधियों से निर्धारित होगी –

(vi) गठबंधन के जनपद कार्यसमिति के कार्यकारी प्रमुख का चुनाव सभी सदस्य दलों के ब्लॉक समितियों के कार्यकारी प्रमुख मिलकर करेंगे।

(vii) गठबंधन के सभी सदस्य दलों के जनपद कार्यसमिति के कार्यकारी प्रमुख संयुक्त रूप से गठबंधन के प्रदे ा कार्यकारी प्रमुख का चुनाव करेंगे।

(viii) सदस्य दलों के ब्लॉक कार्यकारी प्रमुख संयुक्त रूप से गठबंधन के दे ा स्तरीय कार्यकारी प्रमुख को चुनेंगे।

(ix) सदस्य दलों के ग्रामों/वार्डों के कार्यकारी प्रमुख मिलकर गठबंधन के वतन प्रमुख को चुनेंगे।

(x) सदस्य दलों से जुड़े परिवारों के मुखिया संयुक्त रूप से गठबंधन के प्रराश्ट्रीय कार्यसमिति के प्रमुख का चुनाव करेंगे। सदस्य दलों के प्राथमिक या मूल सदस्य संयुक्त रूप से गठबंधन की राश्ट्रीय कार्यसमिति के कार्यकारी प्रमुखों का चुनाव करेंगे।

22.3 गठबंधन के विविध स्तरों के कार्यकारी प्रमुखों के चुनावों में मतदान करने वाले सदस्य दलों के संबंधित पदाधिकारियों के मत मूल्य संबंधित क्षेत्र के संबंधित दल के सक्रिय सदस्यों या वोटर कौंसिलरों की संख्या के अनुपात में तय किया जायेगा।

22.4 गठबंधन के सदस्य दलों के पदाधिकारी अलग–अलग होंगे किन्तु सभी दलों के मूल सदस्यों में साझापन होगा। जिसमें साझे मि ान पर साझा ताकत पैदा हो सके। इस उद्दे य को प्राप्त करने के लिये सभी सदस्य दलों का प्राथमिक या मूल सदस्यता आवेदन पत्र गठबंधन कार्यालय द्वारा निर्मित व निर्गत किया जायेगा। गठबंधन के मूल सदस्यता आवेदन पत्र पर ही सदस्य दल अपने–अपने दल का सदस्यता अभियान चलायेंगे।

22.5 गठबंधन की ऊर्ध्वाधर यथा ाक्य सभी स्तरों पर गठबंधन के सदस्य दलों व उनके पदाधिकारियों के बीच होने वाले टकरावों, आ ांकाओं, आपत्तियों, अन्यायों पर अंकु ा लगाने के लिये न्यायिक समितियों का प्रावधान होगा।

22.6 उक्त एक से पाँच तक के प्रावधान जिन दलों के संविधान का हिस्सा होंगे, अभियान केवल उन्हीं राजनीतिक दलों के साथ मोर्चा, गठबंधन या परिसंघ बनाएगी।

धारा–23

दलों के गठबंधनों या संगठनों के परिसंघों द्वारा अधिकृत, संबद्ध, सहयोगी या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में काम करने के लिए आवश्यक उपबंध–

23.1 अभियान राजनैतिक दलों के देश स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व स्तरीय गठबंधन की सदस्यता लेकर भारतीय राज्यक्षेत्र में गठबंधन द्वारा अधिकृत, संबद्ध, सहयोगी या मान्यता प्राप्त के रूप में काम कर सकेगी। इस विषय में किसी भी तरह का निर्णय करने का अधिकार अभियान की केन्द्रीय कार्यसमिति को होगा।

धारा–24

अभियान के नीति निर्देशक व्यक्ति व संगठन

ऐसे विचारकों, सम्मानित व्यक्तियों, आध्यात्मिक गुरूओं व आध्यात्मिक नेताओं, व्यापक जनाधार वाले संगठनों व विचारधारा आधारित समूहों व समुदायों – जिनका सहयोग लेने से अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती हो, व अभियान अपनी नीतियों से विचलित होने से बचती हो, का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें अभियान के नीति निर्देशक के रूप में मान्यता दिया जाएगा।

धारा–24.1

नीति निर्देशक व्यक्ति के रूप में पंजीकरण व मान्यता

अभियान की विविध उर्ध्वाधर कार्यसमितियां अपने–अपने स्तर पर कुछ ऐसे वर्तमान लोगों को कार्यसमिति के नीति निर्देशक व्यक्ति के रूप में पंजीकरण कर सकती है, व मान्यता दे सकती है, जिनके विचारों व उसके

सहयोग को संबंधित कार्यसमिति अपने उद्देश्यों, कार्यक्रमों व आपरेशन को गति देने के लिए आवश्यक समझे। नीति निर्देशक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति अभियान का सदस्य नहीं माना जाएगा।

धारा–24.2

नीति निर्देशक संगठन के रूप में पंजीकरण व मान्यता

अभियान की विविध उर्ध्वाधर कार्यसमितियां अपने–अपने स्तर पर कुछ ऐसे निवर्तमान ख्याति प्राप्त लोगों के पूर्णतः या अंशतः विचारों को व उनके विषयों पर कार्यरत संगठनों, ट्रस्टों, सम्प्रदायों, समुदायों को संबंधित कार्यसमिति के नीति निर्देशक व्यक्तित्व के रूप में पंजीकरण कर सकती है व उसकी उपयोगिता प्रमाणित होने पर उसे मान्यता भी दे सकती है।

धारा–24.3

नीति निर्देशक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त लोगों के अधिकार –

24.3.1 कार्यसमिति के नीति निर्देशक व्यक्ति को कार्यसमिति की हर गतिविधि पर नजर रखने का अधिकार होगा। यदि कार्यसमिति अपने घोषित सिद्धांतों से, उद्देश्यों से व उद्देश्यों का प्राप्त करने के लिए घोषित साधनों से हट रही है, और कार्यसमिति का नीति निर्देशक ऐसा महसूस करता है तो उसे कार्यसमिति के अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा। अध्यक्ष एक महीने के अंदर लिखित स्पष्टीकरण देगा और आवश्यक समझे तो व्यक्तिगत मुलाकात करके भी लिखित स्पष्टीकरण की व्याख्या करेगा।

24.3.2 यदि नीति निर्देशक व्यक्ति अध्यक्ष के जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो वह बिन्दुवार कुछ ऐसे निर्देश लिखित रूप में जारी करेगा, जो निर्देश उसके अनुसार कार्यसमिति को ठीक दिशा में काम करने के लिए आवश्यक हों। यदि निर्देशक एक वर्ष तक कार्यसमिति की गतिविधियों में कोई सुधार नहीं देखता तो उसे अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण पर आये लिखित जवाब, अपने द्वारा जारी निर्देश पत्र को सार्वजनिक करके सरे–आम कार्यसमिति की आलोचना करके कार्यसमिति को पथभ्रष्ट होने से बचाने के लिए जनता का दबाव बनाये या जनता से अभियान की संबंधित कार्यसमिति का असहयोग करने की अपील करे। यदि तीन वर्ष तक वह सुधार महसूस नहीं करता तो वह वर्तमान अध्यक्ष सबसे पहले चेतावनी पत्र जारी करेगा। छह महीने बाद बाध्यकारी होगा या नीति निर्देशक पद से वह स्वयं इस्तीफा दे देगा।

24.3.3 अभियान के नीति निर्देशकों को यह अधिकार होगा कि वे स्वयं अपने नेतृत्व में कोई संगठन, सम्प्रदाय, ट्रस्ट, अनुयायियों के समूह को स्थापित करें व उन्हें संचालित करें और अन्य राजनैतिक पार्टियों, संगठनों जिनकी मदद वे करना चाहें करें।

धारा–24.4

अभियान के नीति निर्देशकों के कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे–

24.4.1 किसी भी कार्यसमिति का कोई भी नीति निर्देशक परा–राजनैतिक ढंग से काम करेगा यानी वह किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनेगा और स्वयं अपने नेतृत्व में कोई राजनैतिक दल संचालित नहीं करेगा। जैसे ही वह ऐसा करता है व कार्यसमिति का नीति निर्देशक नहीं रह जाएगा।

24.4.2 वह जिस कार्यसमिति द्वारा मान्य है केवल उसी की सार्वजनिक आलोचना करने का अधिकारी होगा, पूरी अभियान की आलोचना करेगा तो उसकी मान्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

24.4.3 कोई भी नीति निर्देशक कोई ऐसा निर्देश जारी नहीं करेगा। जो अभियान के संविधान के किसी प्रावधान के विरूद्ध हो, या उसे न्यून करता हो। ऐसा निर्देश उस सीमा तक शून्य होगा, जिस सीमा तक वह अभियान के संविधान के किसी प्रावधान या अभियान के मूल ढ़ाचे के विरूद्ध जाता हो।

24.4.4 नीति निर्देशक व्यक्तित्व के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्तित्व के विचारों को कार्यान्वित करने के लिए चल रहे कुछ संगठनों, ट्रस्टों, समुदायों, सम्प्रदायों को कार्यसमिति अपने नीति निर्देशक संगठन के रूप में मान्यता दे सकती है। ऐसे संगठनों के कार्यकारी प्रमुखों को वही अधिकार व कर्त्तव्य होंगे, जैसे वे कार्यसमिति के पदेन नीति निर्देशक व्यक्ति हों।

धारा–24.5

नीति निर्देशकों के नामों के पंजीकरण की प्रक्रिया संबंधी उपबंध –

24.5.1 किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व को अभियान की जिस कार्यसमिति का नीति–निर्देशक बनाना हो उस कार्यसमिति का कम से कम एक सदस्य संबंधित आवेदन पत्र के प्रोफार्मे को आवश्यक जानकारियां देकर अध्यक्ष को आवेदन करेगा।

24.5.2 अध्यक्ष ब्युरो की आगामी बैठक में एक एजेण्डा के रूप में इस आशय के आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए कार्यसमिति को कहेगा।

24.5.3 यदि ब्युरो इस आवेदन को मंजूर कर लेगा, तो उसे मंजूरी के लिए चेयरमैन के पास प्रेषित किया जाएगा। चेयरमैन बोर्ड की आगामी बैठक में विचार करेगा।

24.5.4 यदि बोर्ड भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो इसे संबंधित कार्यसमिति के गवर्नर के पास प्रेषित किया जाएगा।

24.5.5 गवर्नर इस प्रस्ताव में प्रस्तावित नीति निर्देशक व्यक्ति या व्यक्तित्व के सार्वजनिक विचारों या सार्वजनिक आचरण का मूल्यांकन इस दृष्टिकोण से करेगा कि उसके विचार व आचरण का कौन का अंश अभियान के संविधान के किस प्रावधान से टकरा सकता है।

24.5.6 गवर्नर अभियान संविधान से टकराव के संभावित बिंदुओं का पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लेख करते हुए प्रस्ताव में उल्लिखित व्यक्ति या व्यक्तित्व को समिति के नीति–निर्देशक के रूप में पंजीकृत कर लेगा।

धारा–24.6

नीति निर्देशक को मान्यता देने की प्रक्रिया सम्बन्धी उपबंध–

24.6.1 किसी कार्यसमिति के नीति निर्देशक को मान्यता देने संबंधी आवेदन पत्र संबंधित कार्यसमिति के न्यूनतम एक सदस्य द्वारा ब्युरो के अध्यक्ष या बोर्ड के चेयरमैन के समक्ष पेश किया जाएगा।

24.6.1 यदि अध्यक्ष व चेयरमैन दोनों ने सहमति की मुहर लगा दिया तो गवर्नर के पास इसे विचारार्थ भेजा जाएगा। गवर्नर यदि आवश्यक समझे तो अपनी टिप्पड़ी के साथ या मूल रूप में संबंधित विकासक सभा व संबंधित विधायक सभा से मंजूरी प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष व चेयरमैन को निर्देशित कर सकता है।

24.6.1 यदि विकासक सभा व विकासक सभा दोनों पंजीकृत नीति निर्देशक को मान्यता देने वाले प्रस्ताव को दो तिहाई बहुमत से मंजूर कर लेती है तो कार्यसमिति का गवर्नर पंजीकृत कार्यसमिति निर्देशक को मान्यता प्रदान करने का प्रमाण पत्र जारी कर देगा।

24.6.1 किसी पंजीकृत व्यक्ति, व्यक्तित्व या संगठन को मान्यता देने संबंधी पहला आवेदन पंजीकरण की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात ही विचार किया जाएगा। ऐसे आवेदन में तीन वर्षों में कार्यसमिति को निर्देशक व्यक्ति, व्यक्तित्व या संगठन की उपयोगिता व प्राप्त सहयोग का ब्योरा संलग्न होगा।

धारा–24.7

नीति निर्देशकों संबंधी विविध उपबंध –

24.7.1 कोई व्यक्ति स्वयं को अभियान की किसी कार्यसमिति का नीति निर्देशक का दर्जा प्राप्त करने के लिए पंजीकरण या मान्यता का आवेदन करने का अधिकारी नहीं होगा।

24.7.2 किसी पंजीकृत नीति निर्देशक व्यक्ति, व्यक्तित्व या संगठन के पंजीकरण या मान्यता का अभियान सांगठनिक ढ़ांचे में उर्ध्वाधर उच्चस्थ कार्यसमिति में पंजीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी, जो पहली बार पंजीकरण कराने के लिए निर्धारित है।

24.7.3 किसी व्यक्ति, व्यक्तित्व या संगठन को अभियान की राज्य स्तर या इससे उच्चस्थ कार्यसमितियों का नीति निर्देशक बनाने का आवेदन अपवाद स्वरूप ही स्वीकार किया जाएगा। जिस कार्यसमिति में ऐसा आवेदन दिया

जाएगा, उससे उच्चस्थ कार्यसमिति के गवर्नर की मंजूरी के बिना ऐसे आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता।

धारा–25

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व जेटनिक आधारों पर विभाजित विविध वर्गों का अभियान में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए समावेशी उपबंध –

1ण समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व अभियान में संभव हो सके, इसके लिए अभियान का भर्ती परिषद समय–समय पर उपयुक्त विधियों को अपनाएगा।
2ण अभियान की उर्ध्वाधर कार्यसमितियाँ अपने स्तर पर अभियान में भर्ती संबंधी समावेशी नीति का प्रस्ताव तैयार करेंगी, जिसकी मंजूरी उच्चस्थ कार्यसमिति के द्वारा मिलने के बाद संबंधित स्तर का भर्ती परिषद विधियों का प्रस्ताव बनाएगा व संबंधित स्तर की साधारण सभा से मंजूर करवा के लागू करेगा।
3ण अभियान के समावेशी नीति के तहत अपनाए गये नियमों, विनियमों, प्रावधानों को इस संविधान की अनुसूचि में सूचीबद्ध किया जाएगा।

धारा–26

नियमों का पालन सुनिश्चित करने संबंधी अनुशासनात्मक अनुबंध–

अभियान के सदस्यों, पदाधिकारियों, अधिकारियों व कर्मचारियों से अभियान के संविधान का विधिवत पालन सुनिश्चत करने के लिये व उनकी अभियान विरोधी कृत्यों को रोकने के लिये विधि सम्मत कार्यवाही करने का अधिकार अभियान की संबंधित कार्यसमितियों को होगा।

धारा–26.1

वर्जित कृत्यों की सूची जिन पर अनुशासनात्मक कार्यावाही हो सकती है–

26.1.1 अभियान के किसी वर्तमान पदाधिकारी या समिति या कार्यसमिति, प्रकोष्ठ या अभियान के किसी अंग के अवज्ञा या अवमूल्यन के उद्देश्य से किया गया कोई कृत्य।

26.1.2 अभियान के किसी स्थापित सिद्धांत, नीति, निर्णय, कार्यक्रम के विरूद्ध जानबूझकर किया गया कोई कृत्य।

26.1.3 अभियान की सदस्यता, कोष संग्रह इत्यादि अभियान की आर्थिक सशक्तीकरण के नाम पर केवल निजी स्वार्थ के लिए धन संग्रह करना, उसे अभियान कोष में नियमानुसार जमा न करवाने संबंधी कृत्य।

26.1.4 सत्ता के उर्ध्वाधर पृथक्करण संबंधी अभियान की नीतियों, निर्णयों व कार्यक्रमों में सहयोग न करना।

26.1.5 सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे आचरण करना, जो उस क्षेत्र के निवासियों के बीच हेय दृष्टि से देखा जाता हो।

26.1.6 अभियान गठबंधन/गठबंधनों में पंजीकृत अभियान के सहोदर दलों द्वारा गठबंधन के नियमानुसार किसी चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी को कमजोर करने की नियति से मन–कर्म–वाणी से किया गया कोई कृत्य।

26.1.7 अभियान गठबंधन द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में मंच पर मंच की आचार संहिता का उल्लंघन करने संबंधी कोई कृत्य।

26.1.8 अभियान के किसी पदाधिकारी, समिति या कार्यसमिति या ऐसे ही किसी इकाई से क्षुब्ध होकर न्याय मांगने के नाम पर अभियान को बदनाम करने और अभियान की ताकत का अपव्यय करने का कृत्य।

26.1.9 अभियान से बाहर के किसी मंच या संस्थान के समक्ष न्याय मांगने संबंधी कृत्य।

धारा–26.2

अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया –

26.2.1 अभियान में उर्ध्वाधर न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष अभियान का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी निर्धारित शुल्क के साथ अभियान के किसी सदस्य या पदाधिकारी या समिति या कार्यसमिति के विरूद्ध अपने निजी क्षति या अभियान की क्षति या दोनों की क्षति के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग संबंधी याचिका दे सकता है।

26.2.2 संबंधित न्यायिक अधिकरण याचिका प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अंदर आरोपी के पते पर डाक द्वारा या हस्तगत करके पैरावार लिखित जवाब एक महीने के अंदर दाखिल करने को कहेगा।

26.2.3 जवाब आने पर प्राधिकरण वादी से लिखित प्रत्युत्तर एक सप्ताह के अंदर मांगेगा।

26.2.4 वादी का प्रत्युत्तर आने पर प्राधिकरण अपना फैसला लिखित रूप में तैयार करके दोनों पक्षों को प्रेषित कर देगा, इस फैसले की एक प्रति प्राधिकरण उच्चस्थ न्यायिक प्राधिकरण को रिकार्ड के लिए प्रेषित कर देगा। किसी सूरत में इस फैसले की तारीख में याचिका पंजीकृत होने की तारिख में छह महीने से अधिक का फासला नहीं होगा।

26.2.5 इस न्यायिक प्रक्रिया पर आने वाले व्यय का आकलन करके उसका उल्लेख प्राधिकरण फैसले में करेगा व वादों के निस्तारण की प्रक्रिया पर आने वाला व्यय का प्रबन्ध करने के लिये सम्बन्धित स्तर की न्यायिक परिषद द्वारा समय–समय पर विधियाँ बनायी जायेंगी।

धारा–26.3

अपील संबंधी उपबंध

26.3.1 कोई भी सजा प्राप्त व्यक्ति, या समिति, या कार्यसमिति, या अभियान का कोई अंग सजादाता न्यायिक प्राधिकरण से उर्ध्वाधर उच्चस्थ न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष अधीनस्थ न्यायिक प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील कर सकता है। इसे प्रथम अपील कहा जाएगा। इसमें न्यायिक प्रक्रिया वही होगी, जो अधीनस्थ न्यायिक प्राधिकरण में अपनाया गया था। प्रथम अपील में वाद का निस्तारण तीन महीने के अंदर कर दिया जाएगा।

26.3.2 प्रथम अपील के फैसले से असंतुष्ट पक्ष द्वितीय अपील के लिए प्रथम अपीलीय न्यायिक प्राधिकरण से उच्चस्थ प्राधिकरण के समक्ष याचिका लगा सकता है। इस प्राधिकरण की न्यायिक प्रक्रिया यथासंभव वही होगी, जो प्रथम अपीलीय न्यायिक प्राधिकरण की थी।

26.3.3 तृतीय अपील का अधिकार किसी भी याचिकाकर्ता को प्राप्त नहीं होगा।

26.3.4 केन्द्रीय स्तर के न्यायिक प्राधिकरण के किसी फैसले के विरूद्ध अपील केवल जनता की अदालत में पुस्तकें लिखकर, संगठन बनाकर, भाषण देकर या अन्य किसी प्रचार माध्यम से की जा सकती है। आम जनता की प्रतिक्रिया व उससे बनने वाली शक्ति व उसके कार्य ही अपीलीय न्यायिक परिषद का आदेश माना जाएगा।

धारा–26.4

वादियों व प्रतिवादियों के सहायतार्थ अधिवक्तागण

26.4.1 प्रत्येक वादी तथा प्रतिवादी को कानूनी सहायता के लिए व्यावसायिक अधिवक्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा। ऐसा अधिवक्ता याचिका तैयार करने में या किसी याचिका का प्रत्युत्तर तैयार करने में वादी या प्रतिवादी की सशुल्क या निशुल्क मदद करेंगे। स्पष्टीकरण के लिए ऐसा अधिवक्ता अपनी याचिका या प्रत्युत्तर की व्याख्या करने के लिए किसी न्यायाधीश की अनुमति प्राप्त करने पर उसके समक्ष उपस्थित भी हो सकता है।

26.4.2 किसी याचिकाकर्ता को प्रथम या द्वितीय अपील में न्यायाधीश के समक्ष स्वयं उपस्थित होने का अधिकार तो होगा, किन्तु अधिवक्ता के साथ उपस्थित होने का अधिकार नहीं होगा।

धारा–26.5

दण्ड विधान

26.5.1 आरोपों की कई अनुसूचियां होंगी। हर अनुसूची के आरोप का अपना दण्ड विधान होगा।

26.5.2 प्रथम अनुसूची के आरोपों में आरोपी व्यक्ति या सदस्य या पदाधिकारी या समिति या कार्यसमिति को छह महीने के लिए निलम्बित किया जाएगा।

26.5.3 द्वितीय अनुसूची के आरोप साबित होने पर आरोपी को दो वर्ष के लिए निलम्बित किया जाएगा और 1000 रूपये से 10000 रूपये तक का जुर्माना किया जाएगा।

26.5.4 तृतीय अनुसूची का आरोप साबित होने पर आरोपी को पाँच वर्ष के लिए निलम्बित किया जाएगा व एक लाख से दस लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की पूरी रकम अभियान कोष में जमा होगी।

26.5.5 चौथी अनुसूची का आरोप साबित होने पर आरोपी को सदा–सदा के लिए बर्खास्त किया जाएगा।

26.5.6 पाँचवी अनुसूची का आरोप साबित होने पर बर्खास्तगी के साथ–साथ संबंधित प्रदेश के शासकीय कानूनों के अंतगर्त गिरफतारी करवाया जाएगा।

26.5.7 कौन–सा आरोप किस अनुसूची का है, इससे संबंधित प्रक्रिया बनाने का अधिकार राष्ट्रीय साधारण सभा का होगा।

धारा–26.6

अनुशासन संबंधी विशेष उपबंध

26.6.1 कोई भी प्राधिकरण अपने समानांतर या अपने अधीनस्थ कार्यरत किसी याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार कर सकता है। किसी उच्चस्थ–सदस्य पदाधिकारी या समिति की याचिका सुनने का अधिकार किसी भी न्यायाधीश को नहीं होगा।

26.6.2 कोई भी व्यक्ति जो साधारण सभा का सदस्य हो, या किसी स्तर की विधायिका का सदस्य हो, उसके विरूद्ध किसी याचिका को सुनने का अधिकार केवल संबंधित स्तर की कार्यसमिति की अनुमति से ही सम्भव होगा।

धारा–26.7

अंतरिम आदेश संबंधी उपबंध

26.7.1 किसी भी स्तर के न्यायिक प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह जरूरी समझे तो आरोपी को याचिका प्राप्त होते ही आरोप से संबंधित दण्ड से अंतरिम रूप से दण्डित कर दे।

26.7.2 ऐसे किसी अंतरिम आदेश को उच्चस्थ कार्यसमिति अंतिम फैसला आने तक रद्द कर सकती है।

धारा–27

धारा–27

अभियान के संविधान में संशोधन व संविधान की व्याख्या संबंधी उपबंध

27.1 अभियान के सं विधान के विविध स्तर की कार्यसमितियों के लिए निर्धारित विधियों में संशोधन सबं धित कार्यसमिति की साधारण सभा दो तिहाई बहुमत से कर सकेगी, बशर्ते ऐसा संशोधन उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक वह संविधान के मूल ढ़ाचे को प्रभावित न करता हो। किसी संशोधन विशेष से मूल ढ़ाचा प्रभावित हुआ है या नहीं; यह देखने का अधिकार संबंधित स्तर की संबंधित इकाई के गवर्नर व समकक्ष मुख्य न्यायाधीश का सामूहिक रूप से होगा।

27.2 केन्द्रीय कार्यसमिति के सं विधान में संशोधन केन्द्रीय विधान परिषद करेगी। विधान परिषद द्वारा किये गये समस्त संशोधन संविधान के अपेक्षित ढ़ाचे के अनुकूल माना जाएगा।

27.3 किसी भी स्तर की कार्यसमिति को अधिकार होगा कि अध्यादेश के माध्यम से तात्कालिक जरूरत के अनुसार संविधान में संशोधन की ले। ऐसा संशोधन तब तक के लिए लागू किया जा सकता है, जब तक कि संबंधित स्तर की साधारण सभा की बैठक नहीं होती। संशोधन प्रस्ताव साधारण सभा द्वारा मंजूर कर लिया जाता है,

तभी वह आगे प्रभावी रह सकेगा।

27.4 सविधान सबं ंधी किसी सशं ोधन या अभियान के विविध अंगों की नियमावली के किसी प्रावधान की सवं ैधानिकता
को चुनौती दी जा सकती है। बशर्ते ऐसी चुनौती संबंधी याचिका किसी प्रदेश या देश स्तर की कार्यसमिति के गवर्नर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाये। इस तरह की याचिका पर सबसे पहले प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले गवर्नर के समकक्ष कार्यरत मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा। प्राथमिक न्यायालय के फैसले को दो उच्चतर न्यायालयों में अपील की जा सकेगी।

27.5 सविधान के प्रावधानो ं व नियमों की व्याख्या करने की जब भी आवश्यकता होगी तो ऐसे मामले याचिका के रूप में उक्त पैरा 4 की पद्धति से उसी तरह उठाये जाएंगे जैसे संबंधित प्रावधान या नियम की संवैधानिकता को चुनौती दी जा रही हो।

धारा–28

विलय व विघटन

केन्द्रीय कार्यसमिति के अध्यक्ष, चेयरमैन व गवर्नर राष्ट्रीय साधारण सभा की मंजूरी के आधार पर अभियान का विलय किसी अन्य अभियान, संगठन/ट्रस्ट/कम्पनी में कर सकेंगे या अभियान की परिसम्पत्तियों के वितरण संबंधी नियम बनाकर उन नियमों के अनुसार अभियान की परिसंपत्तियों का नियोजन कर सकेंगे। अन्य पार्टियों को स्वयं या अधिकृत व्यक्ति या अभियान की किसी कार्यसमिति के माध्यम से अभियान में उचित स्तर पर उनकी इच्छा होने पर विलय कर सकता है।

धारा–29

संविधान का अनुवाद

संविधान का अनुवाद विश्व की यथाशक्य प्रत्येक भाषा में किया जाएगा। अनुवाद का प्रारूप अभियान की केन्द्रीय कार्यसमिति द्वारा मंजूर कराया जाएगा। केन्द्रीय कार्यसमिति यह कार्य न्यायिक प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर करेगी।

धारा–30

संविधान की अनुसूचियां

30.1 पारिभाषिक शब्दावली

30.2 अभियान की कार्यसमितियो ं की कार्यसूची।

30.3 सदस्यता शुल्क

30.4 अभियान के प्रकोष्ठो ं की सचू ी।

30.5 अभियान के मोर्चो ं की सचू ी।

30.6 अभियान के आपरेशनो ं की सचू ी।

30.7 समावेशी नीति के प्रावधान।

30.8 अभियान सविधान मे ं कारित सशं ोधनों की सूची।

धारा–31

आवेदन पत्रों के प्रारूप

31.1 प्राथमिक सदस्यता आवेदन पत्र

31.2 सक्रिय सदस्यता आवेदन पत्र

धारा–32

अभियान के रजिस्टर

धारा–33

संविधान में जोड़ने के लिये नये अनुच्छेदों, धाराओं व उपधाराओं संबंधी उपबंध–

अभियान सविधान में आवश्यकतानुसार समय-समय पर नियमानुसार संशोधन करके नये विधियां बनायी जाएंगी। इन विधियों को अनुसूची-नौ में सूचीबद्ध किया जाएगा।

अनुसूची –एक

पारिभाषिक शब्दावली

अनुसूची –1.1

अ–वर्ग में आने वाले शब्दों की परिभाषायें–

1.1.1 आर्थिक आजादी परिसंघ, (Fedeation for Economic Freedom)– उन अराजनीतिक सस्ं थाओ,ं संगठनों, ट्रस्टों, आंदोलनों व अभियानों का साझा मंच जो वोटरशिप के माध्यम से मतदाताओं को आर्थिक आजादी देने के उद्देश्य से कार्यरत है।

1.1.2 आर्थिक आजादी आंदोलन (Economic Freedom Movement)– वोटरशिप के माध्यम से मतदाताओं को आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए कार्यरत गॉड (GOD) द्वारा संचालित एक जनसंगठन।

अनुसूची –1.2

क–वर्ग में आने वाले शब्दों की परिभाषायें–

1.2.1 **क्री***मी लेयर* (Creamy layer)*–अभियान की समावेशी नीति होगी। इस नीति के तहत समाज के कुछ वर्गो को*

विशेष संरक्षण व आरक्षण के प्रावधान अभियान संविधान में किये जाएंगे। जिस वर्ग को इस प्रावधान का लाभ मिलेगा, इस वर्ग में सम्पन्नता या पहले से लाभ प्राप्त लोगों व परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित करने वाली सम्पन्नता की इस सीमा रेखा को क्रीमी लेयर कहा जाएगा।

1.2.2 ग्लोबल सिटीजन्स फण्ड (Global Citizen Fund)*– अभियान का मिशन मित्र संगठन का नाम जो विश्व के सभी देशों में वोटरशिप कानून, विश्व स्तर पर भी कानून राज, विश्व की साझी नागरिकता, साझी संसद, साझी सरकार, साझी अदालत व साझी करेंसी बनवाने के लिए जनमत ध्रुवीकरण, जनजागरण, ..आदि पर खर्च करने के लिए चंदा व लोकत्रण प्राप्त करे व उसका लेखा–जोखा रखे। विश्व नागरिक कोष जीसीएपफ गॉड द्वारा संचालित एक ऐसी प्रस्तावित इकाई है जो गॉड के नीति निर्देशों के आधर पर आर0 डी0 आर0 संबंधी रिकार्ड का रख–रखाव, निर्गमन, विनिमय, लेखा–जोखा और मांग–पूर्ति को नियंत्रित करती है।*

1.2.3 कौंसिल ऑफ वोटर कौंसिलर्स (Council of Voter Councillors) *:– गॉड द्वारा सचं ालित मतदाता सलाहकारों वोटर कौंसिलर्स का साझा मंच।*

1.2.4 गरीबी व शांति पर विश्वव्यापी समझौता, (Global Agreement on Poverty and Peace-GAPP) *– यानी वह अभियान गठबंधन जिससे अभियान की राष्ट्रीय कार्यसमिति संबद्ध हो। यानी अभियान का राष्ट्रीय स्तर का अभियान गठबंधन।*

1.2.5 ग्राम सभा संसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र (Constituency of Parliament of Villeges) *– यानी वतन स्तर की विधायिका का गठन करने वाले संसद सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र, जिसका गठन यथाशक्य भारत के तीन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर किया जाएगा।*

अनुसूची –1.3

च–वर्ग में आने वाले शब्दों की परिभाषायें–

1.3.1 जनसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (Constituency of Parliament of People) *– राष्ट्रीय स्तर की संसद या विधायिका का गठन करने वाले संसद सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र। अभियान की शब्दावली में भारत के*

पाँच लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लगभग बराबर परिक्षेत्र को जनसभा निर्वाचन क्षेत्र और राष्ट्रीय विधायिका को जनसभा कहा जाएगा।

1.3.2 जेहनिक आधार (The Genetic basis of various representative thoughts, i.e. gehnic basis) *– आनुवांशिक विज्ञान की वह परिकल्पित शाखा जो मानवजाति के तन नहीं अपितु मन, स्वभाव, चेतना व जेहन के आधारों का अध्ययन करता है। अभियान की मान्यता है कि जिस प्रकार मानव तन के ढ़ाँचे का निर्माण आनुवांशिकी के नियमों से होता है। उसी प्रकार उसके मन का ढ़ाँचा व उसको प्राप्त प्रतिनिधि विचारधाराओं की संबंधित शाखा भी कुछ नियमों से तय होता है। इन नियमों को अध्ययन करने वाले विज्ञान को अभियान में जेटनिक्स कहा जाता है और इन नियमों को जेटनिक आधार कहा जाता है।*

अनुसूची –1.4

ट–वर्ग में आने वाले शब्दों की परिभाषायें–संविधान संशोधनों द्वारा जोड़े जाने के लिये आरक्षित।

अनुसूची –1.5

त–वर्ग में आने वाले शब्दों की परिभाषायें–

1.5.1 दक्षिणपंथी अतीत प्रेम (Rightist) *– समाज का कम तकलीफ से अधिक तकलीफ की ओर समाज का जाता हुआ महसूस होना। दक्षिणपंथी लोगों में दो तरह के लोग होते हैं–*

(i) *सांस्कृतिक दक्षिणपंथी अतीत राज–व्यवस्थाप्रेमी* (Cultural Rightist) *–यदि कोई इतिहास मे ं घटे उस तरह के संस्कारों, मूल्यों, कानूनों में समाज को प्रशिक्षित करना चाहते हैं, व ऐसी राजव्यवस्था चाहते हैं जिसमें अपने समुदाय के अतीत के संस्कारों, मूल्यों, कानूनों को पुनः अपनाया जाता हो। तो उसे सांस्कृतिक दक्षिणपंथी समझें।*

(ii) *आर्थिक दक्षिणपंथी अतीत अर्थ–व्यवस्थाप्रेमी* (Economic Rightist) *–यदि कोई इतिहास मे ं घटे उस तरह के कानूनों में समाज को प्रशिक्षित करना चाहते हैं और ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते हैं, जिसमें उत्पादन के सरल साधन थे, उपभोग सीमित था और पर्यावरण सुरक्षित था– तो उसे आर्थिक दक्षिणपंथी समझें।*

1.5.1 1.5.3 देश (Union of Provinces, i. e. Country) *–यानी देश यानी भारत संघ के संविधान द्वारा मान्य प्रादेशिक*

- *राज्य क्षेत्रों का संघ ।*

अनुसूची –1.6

प–वर्ग में आने वाले शब्दों की परिभाषायें–

1.6.1 प्रतिनिधि विचारधाराएं (Representative Thoughts) *– समाज के साझे हित के लिए उपयोग की जाने वाली विविध तकनीकी, राजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था पर जन्म से या अर्जन से प्राप्त व्यक्ति के व*

व्यक्तियों के समूहों के विविध मत, नजरिया या दृष्टिकोण।

1.6.2 पूंजीवाद (Capitalism) *:– एक प्रतिनिधि विचारधारा जिसमें उत्पादक के साधनों, यथा जमीन, मशीन, बचत, क्रयशक्ति, श्रमशक्ति इत्यादि का स्वामित्व, उपयोग व संचालन का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र वह व्यक्ति या व्यक्यिों का वह समूह और ऐसे व्यक्यिों से पैदा हुए बच्चों को माना जाता है। जो किसी भी तरह धन का संग्रह करने में सफल हो जाते है। पूंजीवादी लोगों में दो तरह के लोग होते हैं–*

(i) *समष्टि पूंजंजीवादी सरं चना उत्पादनवादी* (Macro Capitalst) *– यदि कोई व्यक्ति सगं्रहित धन को वैज्ञानिक खोज, सड़क, बिजली, रेल, नहर, अधिक सम्पन्न लोगों की उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन.....जैसी अधः संरचना के उत्पादन में लगाने के पक्षधर हैं। तो उसे समष्टि पूंजीवादी समझें।*

(ii) *व्यष्टि पूंजंजीवादी वस्तु उत्पादनवादी* (Micro Capitalst) *– यदि कोई व्यक्ति संग्रहित धन को कम सम्पन्न लोगों की उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन व उनकी क्रय शक्ति बढ़ानें में लगाने के पक्षधर हैं। तो उसे व्यष्टि पूंजीवादी समझें।*

50

1.6.3 परा–राजनीतिक (Para-political) *– यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पार्टियों के अध्यक्षो ं व पदाधिकारियो ं*
की एकजुटता पैदा करके उनकी ताकत मिशन में लगाना चाहते हैं तो आप समझिये कि उसे राजनीतिक तरीका पसंद है।

1.6.4 परा–देशिक सुपरनेशनल (Above country level, i. e. supernational) *– यदि कोइ ं सभी देशों के राजनीतिक – अराजनीतिक व परा राजनीतिक लोगों की, दलों की व संस्थाओं की एकजुट ताकत पैदा करना चाहता है, तो समझिये कि वह देशों से ऊपर उठकर मिशन के लिये परा–देशिक सुपरनेशनल तरीके से काम करना चाहता है।*

1.6.5 अभियान गठबंधन (Alliance of the Party) *– यानी राजनीतिक दलों का वह साझा मंच, अभियान जिसका सदस्य बनकर किसी साझे उद्देश्य के लिए साझी राजनीतिक ताकत पैदा करती है।*

1.6.6 परिवार सभा निर्वाचन क्षेत्र (Constituency of Parliament of Families) *– यानी प्रराष्ट्र स्तर की विधायिका या सांसद को परिवार सभा कहा जाएगा। इस विधायिका का गठन करने वाले संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों को परिवार निर्वाचन क्षेत्र कहा जाएगा जो भारत में चार लोकसभा क्षेत्रों के लगभग बराबर परिक्षेत्र द्वारा निर्मित होगा।*

1.6.7 अभियान के वास्तविक सदस्य (Active Members of the Party) *– यानी अभियान गठबंधन के वे सदस्य जो*
संबंधित अभियान की गतिविधियों में सक्रिय हो।

1.6.8 मतकर्ता (Voter) *– यानी मतदान करने वाला नागरिक।*

1.6.1 मतकर्तावृत्ति (Votership) *– यानी मताधिकारी को राज्य से नियमित मिलने वाली नकद रकम।*

1.6.9 मताधिकारी (Voter) *––यानी मतदान का अधिकार रखने वाला नागरिक।*

1.6.10 मतदातावृत्ति (Votership) *–यानी मताधिकारी को राज्य से नियमित मिलने वाली नकद रकम।* ***Delete repeatedd***

1.6.10 प्रदेश (Province i. e. State) *–यानी किसी देश यानी भारत संघ के संविधान द्वारा मान्य प्रादेशिक राज्य क्षेत्र।*

अनुसूची –1.7

य–वर्ग में आने वाले शब्दों की परिभाषायें–

1.7.1 राष्ट्रीय शिक्षा व शोद्य फाउन्डेशन (Naional Foundation for Education and Reaserch-NAFER) *:– अभियान द्वारा मान्य उस अधिकृत संस्थान का नाम, जिसे अभियान ने अभियान के विविध पदों पर भर्ती के लिये शिक्षण–प्रशिक्षण देने, पाठ्यक्रम बनाने, परीक्षाएं संचालित करने, योग्यता प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत किया है।*

1.7.2 लोकतंत्र वास्ते विश्व संघ (Global Organization for Democracy-GOD)*– राजनीतिक दलो, अराजनीतिक, परा–राजनीतिक व सुपरनेशनल, संस्थाओं, संगठनों, फर्मों व कम्पनियों का वह साझा मंच जिससे संबद्ध होकर अभियान अपने सभी उद्देश्यों व दीर्घकालिक मिशन को पूरा करने के लिए साझी राजनीतिक व आर्थिक ताकत पैदा करती है।*

1.7.3 व्यक्ति निर्माता (Character Builder) *– व्यक्तियों के चारित्रिक सुधार से समाज का सुधरता हुआ महससू करने वाला व्यक्ति।*

1.7.4 वोटर कौंसिलर्स (Voter Councillor) *– यानी मतदाताओं को प्राप्त वोटरशिप की रकम के एक हिस्से को अपनी फीस के रूप में प्राप्त करके मतदाताओं के जन्मना आर्थिक हिस्से का प्राप्त करने में सहायता करने वाला तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति।*

1.7.5 वामपंथी–भविष्य प्रेमी (Leftist) *– अधिक तकलीफ से कम तकलीफ की ओर समाज को जाता हुआ महसूस होना। वामपंथी लोगों में दो तरह के लोग होते हैं–*

51

(i) *सांस्कृतिक वामपंथी–भविष्य राज–व्यवस्था प्रेमी* (Cultural Leftist) *–यदि कोई भविष्य मे ं घटने वाले उस तरह के संस्कारों, मूल्यों, कानूनों में समाज को प्रशिक्षित करना चाहता है और ऐसी राज–व्यवस्था चाहता है, जिसमें सभी के संस्कार व सबके लिए कानून एक जैसे हों, तो उसे सांस्कृतिक वामपंथी समझें।*

(ii) *आर्थिक वामपंथी –भविष्य अर्थव्यवस्था प्रेमी* (Economic Leftist) *–यदि कोई भविष्य मे ं ऐसी अर्थव्यवस्था चाहता है, जिसमें अतीत में घटी अर्थ व्यवस्था व अतीत के आर्थिक चिंतन के लिए कोई जगह न हो, तो उसे आर्थिक वामपंथी समझें।*

1.7.6 विकासक सदस्य (Builder Member) *– अभियान को अधिक से अधिक चंदा व आर्थिक सहयोग देने की प्रतिस्पर्धा मेरिट के आधार पर अभियान में भर्ती साधारण सभा का सदस्य।*

1.7.7 विधायक सदस्य (Legislator Member) *– अभियान को अधिक से अधिक जनसहयोग देने की प्रतिस्पर्धा मेरिट के आधार पर अभियान में भर्ती साधारण सभा का सदस्य।*

1.7.8 वोटरशिप फाउण्डेशन (Votership Founadation) *– अभियान के मिशन मित्र संगठन का नाम जो वोटरशिप कानून बनवाने के लिए जनमत ध्रुवीकरण, जनजागरण, .करने वाले व्यक्तियों, संगठनों, दलों व संस्थाओं को वित्तीय योगदान करने का काम करने वाला संस्थान।*

1.7.9 वोटरशिप एलाएंस आफ पोलिटिकल अभियानज, वैप (Voteship Alliance of Political Parties-VAPP)*– वोटरशिप के लिए भारत में काम कर रहे राजनीतिक दलों के साझा मंच या गठबंधन का नाम।*

1.7.10 अभियान –ग्लोबल (Voters Party Global) *–गॉड* (GOD) *द्वारा संचालित अभियान का वह सहोदर दल जो गैप नामक अभियान गठबंधन का सदस्य है।*

1.7.11 अभियान इण्टरनेशनल ((Voters Party International)) *–अभियान के मिशन मित्र सगं ठन का नाम जो विश्व के सभी देशों में वोटरशिप कानून, विश्व स्तर पर भी कानून राज, विश्व की साझी नागरिकता, साझी संसद, साझी सरकार, साझी अदालत व साझी करेंसी बनवाने के लिए जनमत ध्रुवीकरण, जनजागरण, ..आदि कार्य करता हो।*

1.7.12 अभियान कार्यसमिति (Central Executive of the Voters Party) *– यानी अभियान की केन्द्रीय कार्यसमिति।*

1.7.13 अभियान –पूर्वी प्रराष्ट्र (Voters Party- Eastern Hemi-nation) *:– पूर्वी प्रराष्ट्र स्तर की गॉड* (GOD) *द्वारा संचालित वह संगठन जो अभियान के पूर्वी प्रराष्ट्र स्तर का अभियान गठबंधन का सहोदर दल।*

1.7.14 अभियान–पश्चिमी प्रराष्ट्र (Voters Party- Western Hemi-nation) *– गॉड* (GOD) *द्वारा संचालित अभियान के पश्चिमी प्रराष्ट्र स्तर के अभियान गठबंधन का सहोदर दल।*

1.7.15 अभियान–वतनी (Vatani i.e. Quarter-national Voters Party) *–यानी गॉड* (GOD) *द्वारा संचालित अभियान का वह सहोदर दल जो अभियान के वतन स्तर के गठबंधन का सदस्य दल है।*

1.7.16 अभियान– दक्षिण एशियाई वतन (Voters Party of South Asian Vatan) *– यानी गॉड* (GOD) *द्वारा संचालित अभियान का वह सहोदर दल जो अभियान के दक्षिण एशियाई वतन स्तर के गठबंधन का सदस्य दल है।*

1.7.17 सत्ता का उर्ध्वाधर पृथक्करण (Verticle Seperation of power) *– प्रदेशों व देशो ं की तरह ही चौथाई विश्व के स्तर, अर्धविश्व के स्तर और विश्व स्तर पर भी शासन–प्रशासन की इकाइयों का गठन करके द्विस्तरीय शासन की बजाय पंचस्तरीय कायम करना, अधिकारों, कार्यो, राजस्व व प्रभुसत्ता का एक हिस्सा पृथक करके इन इकाइयों को सौंपना।*

1.7.18 सदस्य (Member) *– अभियान के प्राथमिक सदस्यों, मूल सदस्यों, व मिशनरी सदस्यों को सक्ं ेप मे ं अभियान का*

सदस्य कहा जाता है। अभियान का सदस्य का आशय निम्नलिखित में से कोई एक लिया जाएगा–

(i) *प्राथमिक सदस्य* (Primary Member) *– अभियान के संविधान के अनुच्छेद.....के अनुसार बने सदस्यो ं का अभियान का प्राथमिक सदस्य कहा जाता है।*

(ii) *मूलूल सदस्य* (Fundamental Member) *– अभियान गठबंधन के प्राथमिक सदस्यों को मलू सदस्य कहा जाता है।*

(iii) *मिशनरी सदस्य* (Missionary Member) *– अभियान के मिशन मित्र संगठनों, टष्टों, राजनीतिक दलों, के प्राथमिक सदस्यों या समकक्ष सदस्यों को अभियान का मिशनरी सदस्य कहा जाता है।*

(iv) *अभियान का सदस्य* (Primary Member of the Party) *– यानी अभियान का प्राथमिक सदस्य।*

1.7.19 समदर्शी (Samdarshi or Seccommunist i. e. Judicious view between two horizontal Representative Thoughts or on various units) *– दो प्रतिनिधि विचारधाराओं व दो इकाइयो ं के बीच क्षैतिज समन्वय व न्याय कर पाने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, दृष्टिकोण या निकाय।*

1.7.20 समवर्ती (Concurrent, i. e. Judicious view between two vertical segments) *– अभियान की दो इकाइयों के बीच उर्ध्वाधर समन्वय व न्याय कर पाने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, दृष्टिकोण या निकाय।*

1.7.21 उर्ध्वाधर गवर्निंग परिषदें(Vertical Governing Councils) *– वे उर्ध्वाधर प्रबंध परिषदे ं जो अभियान के दो*

स्तरों के बीच अवस्थित हों। जैसे देश व किसी प्रदेश के मध्य अवस्थित कोई प्रबंध परिषद।

1.7.22 क्षैतिज गवर्निंग परिषदें(Horizontal Governing Councils) – *वे प्रबंध परिषदें जो अभियान के एक ही स्तर के दो इकाइयों के बीच अवस्थित हों। जैसे किन्हीं दो प्रदेशों के मध्य अवस्थित कोई प्रबंध परिषद।*

1.7.23 समावेशी नीति (Inclussive Policy) – *सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व चेतनागत स्तर पर क्षैतिज व उर्ध्वाधर रूप में विभाजित समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व अभियान के ढ़ाँचे में सुनिश्चित करने संबंधी अभियान की नीति।*

1.7.24 साम्यवाद (Communism) – *एक प्रतिनिधि विचारधारा जिसमें उत्पादन के साधनों यथाः जमीन, मशीन, बचत, क्रयशक्ति, श्रमशक्ति का स्वामित्व, उपयोग व संचालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पात्र ऐसे लोगों के समूह को माना जाता है जो लोग क्रयशक्ति के मामले में कमजोरतम वर्ग के अधिकतम सम्भव आर्थिक उपभोग के पक्षधर हों, जो लोग राज्य द्वारा सबके साथ आर्थिक समानता का व्यवहार करना न्यायिक समाज व्यवस्था की पहली शर्त महसूस करते हों। साम्यवादी लोगों में दो तरह के लोग होते हैं–*

(i) *आर्थिक साम्यवादी–अर्थ–व्यवस्था में समतावादी* (Economic Communist) – *आर्थिक रूप से सभी लोगों का समान होना– न्यायिक अर्थव्यवस्था की पहली शर्त महसूस हो, तो कोई व्यक्ति स्वयं को आर्थिक साम्यवादी समझें।*

(ii) *सांस्कृतिक साम्यवादी–राज–व्यवस्था में समतावादी–समान आचारसंहितावादी* (Cultural Communist) – *सभी लोग समान संस्कारों वाले हों, व कोई ऐसी राज–व्यवस्था चाहता हो, जिसमें अतीत के संस्कारों व अतीत की राजव्यवस्था के लिए कोई जगह न हो व सभी के संस्कार व सबके लिए कानून एक जैसे हों, तो कोई व्यक्ति स्वयं को सांस्कृतिक साम्यवादी समझें।*

1.7.25 शून्य सदस्य (Zero Members) – *किसी सभा या समिति के शून्य सदस्य उन व्यक्तियों को माना जाएगा–*

अभियान के संविधान के प्रति उदासीन हैं, या अपनी सुविधानुसार अभियान का अनियमित सहयोग करते हैं या अभियान के

उदार विरोधी हैं, और सभा/समिति के किसी सदस्य के माध्यम से उसका नाम, पता, शून्य सदस्यता रजिस्टर में दर्ज है।

1.7.26 हिन्दू (Hindu) – *वैदिक, आपै निषदिक, पारै णिक, सूत्राग्रंथों व स्मृति ग्रंथों में उपलब्ध राजनीतिक व आर्थिक*

दर्शन को व उसमें उपजने वाली संभावित राजव्यवस्था को वर्तमान व भविष्य के लिए उपयोगी व्यवस्था मानने वाले दुनिया के अनेक पंथों, संप्रदायों, रिलीजन्स में मौजूद और पूरे विश्व में विद्यमान लोग।

53

अनुसूची–दो

अभियान की कार्यसमितियों की कार्यसूची

अनुसूची–2

केन्द्रीय कार्यसमिति की कार्यसूची–

अभियान की कार्यसमिति, जिसका नाम अभियान कार्यसमिति होगा, अपनी उर्ध्वाधर पांच तरह की कार्यसमितियों को स्थापित करने एवं उनमें–

(i) *समन्वय कायम करने;*

(ii) *कार्यसमितियों की कार्यसूची में संशोधन, प्रतिस्थापन, योग तथा निरसन करने;*

(iii) *अधिकारों, कर्त्तव्यों एवं आदर्शों का निर्धारण करने;*

(iv) *पदाधिकारियों का पारस्परिक स्थानांतरण करने;*

(v) *शामिल होकर औपचारिक स्थापना के आवेदन पर विचार करने, उसे स्वीकार करने, संशोधन करने, या निरस्त करने;*

(vi) *शासन के किसी चुनाव क्षेत्र या किसी प्रदेश या सभी प्रदेशों में विधान सभा या देश में लोकसभा या किसी अन्य स्तर के चुनाव में भाग लेने या ऐसे चुनाव से अलग रहने संबंधी निर्देश जारी करने;*

–का काम करेगी।

अनुसूची–2.

अभियान के उर्ध्वाधर स्तरों की कार्यसमितियों की कार्यसूची

अनुसूची–2.1

प्रादेशिक कार्यसमिति की कार्यसूची –

(i) *राजनैतिक सत्ता का लोकतंत्रीकरण करना एवं उसकी रक्षा करना,*

(ii) *रोजगार के साधनों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन करना,*

(iii) *धर्म सापेक्ष शासन की रक्षा करना,*

(iv) *अप्रत्यक्ष करों से संबंधित विधियाँ बनाना एवं उन्हें लागू करना,*

(v) *स्वर्णमान सापेक्ष मुद्रानीति सम्बन्धी विधियाँ बनना एवं उन्हें लागू करना,*

(vi) *उत्पादन तकनीकी की प्रगति पर खोज तथा अनुसंधान करना,*

(vii) *उत्पादकों विशेषकर किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा व पोषण करना।*

(viii) *क्रेता के अस्मिता एवं अधिकारों की रक्षा करना तथा पोषण करना,*

(ix) *राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण एवं आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण से संबंधित विधियाँ बनाना एवं उन्हें कार्यान्वित करना,*

(x) *भावी पीढ़ी के लिये संसाधनों का बचाव करना,*

(xi) *चरित्र निर्माण के माध्यम से समाज प्रबन्ध करना,*

(xii) *बाजार का सशक्तीकरण करना,*

(xiii) *क्षेत्रीय समुदाय के परम्पारगत जीवन मूल्यों के प्रचारकों, ऐसे सन्तों एवं ऐसे शिक्षकों का सशक्तिकरण करना।*

(xiv) *जनसंख्या विकास दर पर लगाम लगाना।*

(xv) *सम्प्रभुता के द्वैत सिद्धांत के अनुरूप राज्य संरचना का अनुकूलन करना।*

अनुसूची–2.2

देश स्तरीय कार्यसमितियों की कार्यसूची–

(i) *देश के ब्लॉक प्रबंध समितियों की आर्थिक जरूरतें पूरी करना।*

(ii) *राजसत्ता के उर्ध्वाधर पृथक्करण के लिए संस्थागत ढ़ाचा खड़ा करना।*

(iii) *मतदातावृत्ति या वोटरशिप के माध्यम से राज्य द्वारा एकत्र सकल घरेलू कर राशि में हर एक मतदाता को भागीदार बनाना।*

(iv) *देश की ग्राम प्रबंध समितियों के सदस्यों की कार्यक्षमता बढाने के लिए उनकी निजी वित्तीय जरूरतें पूरी करना।*

(v) *वोटरशिप अधिकार के विषय में जन–जागरण, आंदोलन व चुनावों में इस मुद्दे पर मतों का ध्रुवीकरण करने में हुए खर्च व इस उद्देश्य से अभियान द्वारा अधिकृत लोकऋण लेने के लिए अधिकृत बैंक/संस्थान द्वारा लिए गए लोकऋण को भारतीय रिजर्व बैंक की दोगुनी ब्याज दर से ऋणदाताओं को वापस करने के लिए भारतीय संसद में इस आशय का वित्तीय विधेयक पारित करना।*

(vi) *अभियान द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों, फर्मों, ट्रस्टों व कम्पनियों द्वारा प्रमाणित वोटर्स कौंसिलर्स को वोटरशिप की राशि का न्यूनतम पाँच प्रतिशत रकम उनके नियमित सेवा शुल्क के रूप में दिलाने के लिए मतदातावृत्ति संबंधी कानून में प्रावधान करवाना।*

(vii) *लोकसभा के चुनाव में 500 वोट से अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को प्राप्त मतों के अनुपात में वोटरशिप की रकम का 5 प्रतिशत रकम प्रतिवर्ष राजनीतिक कार्यों के लिए आवश्यक वित्त के स्रोत के रूप में दिलाना।*

(viii) *मतदाताओं की मानसिक क्षमता व आत्मवि वास बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाना। इसके लिये सभी मतदाताओं को रेल में बैठकर यात्रा करने के लिये निःशुल्क आरक्षण का अधिकार दिलाना।*

(ix) *विश्व व्यापार संगठन के नियमों में निहित सामाजिक मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए श्रम के लिये, रोजगार के लिये, पर्यटन के लिये व रहने–बसने के लिये यात्रा की इच्छा रखने वाले मतदाताओं के खिलाफ मौजूद वीजा सम्बन्धी कठिनाइयों को निर्मूल करने के लिये कानून बनाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना।*

(x) *हवाई यात्रा की इच्छा रखने वाले गरीब मतदाताओं को लॉटरी के आधार पर जीवन में एक बार कम से कम 200 किमी0 की निःशुल्क हवाई यात्रा का अधिकार दिलाना। जिससे लोकतंत्र का और नीति–निर्माता होने का एहसास प्रत्येक मतदाता को हो सके।*

(xi) *संस्कृति रक्षा के लिए प्रदेश सरकारों को थीटो पॉवर। दिलाने के लिये काम करना।*

अनुसूची–2.3

अखिल भारतीय कार्यसमिति की कार्यसूची–

(i) *भारत को विश्व में एक ऐसे मजबूत देश के रूप में विकसित करना, जिसे पूरे विश्व के पिछड़े नागरिक व पिछड़े देश अपना अभिभावक मानने लगे।*

(ii) *भारत के संविधान के अनु0 – 38, 39 व 51 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त विधियों का निर्माण करवाना।*

(iii) *हाथ की बजाय वोटरशिप के माध्यम से दिमाग को रोजगार देने की नीति लागू करना।*

(iv) *उत्तराधिकार सीमांकन करके अरबपतियों के बच्चों को फ्री में अरबपती बनने से रोंकना व गरीबी रेखा की तरह ही अमीरी रेखा भी तय करना, जिससे कोई व्यक्ति इतना ताकतवर न बन सके कि वह चंदे की ताकत से पार्टियों के अध्यक्षों को गुलाम बना ले।*

(v) *सभी वोटरों को जनप्रतिनिधियों जैसे अधिकार दिलाना- जैसे-वोटरशिप (वेतन, भत्ता), रेल यात्रा (बैठकर), हवाई यात्रा (एक बार), विदेश यात्रा (वोटर कार्ड पर)।*

(vi) *विदेशी कर्ज उतारने व आर्थिक विषमता कम करने के लिए देशी सम्पत्ति का अधिकतम उपयोग करने वाली व काला धन कम करने वाली नई प्रत्यक्ष कर प्रणाली अपनाना।*

(vii) *अनुसूचित जातियों व जनजातियों को समावेशी* (Inclusive Reservation) *आरक्षण देना।*

(viii) *शासकीय सेवाओं व शैक्षिक संस्थानों में लागू आरक्षण संबंधित प्रावधानों में संशोधन करके हर प्रकार के आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर की शर्त जुड़वाना।*

(ix) *अन्य पिछड़ा वर्ग* (OBC) *व अनुसुचित जाति/ जनजाति* (SC/ST) *निजी प्रबंधन द्वारा संचालित संगठित क्षेत्र की सेवाओं व शैक्षिक संस्थानों में उतने प्रतिशत आरक्षण लागू करवाना जो शासकीय क्षेत्र में पहले से लागू हैं।*

(x) *हिमाचल प्रदेश को हिन्दू शासन–प्रशासन व हिन्दू संस्कृति की प्रयोगशाला के रूप में विशेष प्रदेश का दर्जा दिलाना।*

(xi) *प्रति वोटर औसत आय की आधी रकम (सन् 2009 में रू. 55/- रोजाना) से कम आय वाले 80 प्रतिशत गरीबों को 80 प्रतिशत संसदीय क्षेत्रों पर आरक्षण देकर गरीबों को संसद में प्रतिनिधित्व दिलाना व पार्टियों में काम करने वाले गरीब कार्यकर्ताओं के लिए संसद व विधानसभाओं में जाने का दरवाजा खोलना।*

(xii) *राजनीतिक चंदे की समस्या हल करने के लिए प्रत्याशियों को चुनावों में प्राप्त वोट के अनुपात में नोट (वोटरशिप से चंदा) पाने का अधिकार देना।*

(xiii) *व्हिप कानून रद्द करना - जिससे पार्टियों के अध्यक्ष अमीरों की कठपुतली बनने से बच सकें और सांसद-विधायक केवल अभियान अध्यक्षों के प्रतिनिधि की तरह काम करने की बजाय जनता के प्रतिनिधि की तरह काम कर सकें।*

(xiv) *चिकित्सा क्षेत्र की तरह दलों में भी स्पेशलाइजेशन का गुण विकसित करने के लिए दलों व कम्पनियों के पंजीकरण कानून में संशोधन करना, शासन के मंजिलेदार तलों (प्रदेश-देश) में से किसी एक ही तल पर काम करने तक दलों व कम्पनियों को सीमित करना।*

(xv) *मतदाताओं को बहुदलीय सदस्यता का अधिकार देकर पार्टियों को प्राप्त समाज को तोड़ने की ताकत खत्म करना।*

(xvi) *देश को विदेशी दुष्प्रभावों से बचाने व देश के नागरिकों की विदेशों से पूरी होने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिये –दक्षिण एशिया के नौ देशों को एक वतन के रूप में विकसित करना और दक्षिण एशियाई परिक्षेत्र में पहले से मौजूद राष्ट्रीयता को मान्यता देना व पोषण करना।*

(xvii) *दक्षिण एशियाई परिक्षेत्र का साझा शासन–प्रशासन कायम करने के लिए –*

(i) *साझे अंतरिम चुनाव आयोग, साझी अंतरिम संसद, साझी अंतरिम सरकार, साझे अंतरिम न्यायालय, साझी अंतरिम मुद्रा निर्गमन बैंक का गठन करना व संबंधित देशों की सरकारों की मंजूरी दिलाना।*

(ii) *ग्लोबल एग्रीमेण्ट ऑन पॉवर्टी एण्ड पीस, गरीबी व शांति पर विश्वव्यापी समझौते का प्रारूप तैयार करना व इस प्रारूप को विश्व के देशों की सरकारों द्वारा मंजूर कराना।*

55

(xvi) *मतदाताओं को अन्य देशों के नेताओं को भी वोट देने का अधिकार देकर सैनिकों पर मौजूद खतरा कम करना व पड़ोसियों से लड़ने पर हो रहा खर्च बचाकर गरीबों के खाते में भेंजना।*

(xvii) *वोटरों को दूसरे देशों के भी मतदाताओं का जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार और दूसरे देशों में नौकरी-पेशा करने का अधिकार दिलाना।*

(xviii) *स्व-घोषित ग्लोबल वोटरों को पूरे विश्व का शासक (प्रधानमंत्री) चुनने के लिए वोट देने का अधिकार दिलाना।*

(xix) *संयुक्त राष्ट्र संघ* (UNO) *को संयुक्त राष्ट्रीय सरकार* (UNG) *का दर्जा दिलाने के लिए गैप समझौता।*

(xx) *परिवारों के मुखिया को प्रराष्ट्र (पूर्वी संसार) का प्रधानमंत्री चुनने के लिए सीधे वोट देने का अधिकार दिलाना।*

(xxi) *ग्राम प्रधानों व नगरपालिकाओं के सभासदों को वतन (दक्षिण एशिया) का प्रधानमंत्री चुनने के लिए सीधे वोट देने का अधिकार दिलाना।*

(xxii) *देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए सांसदों के साथ ही सीधे ब्लाक प्रमुखों को भी वोट देने का अधिकार देना।*

(xxiii) *द्विस्तरीय शासन व्यवस्था (प्रदेश-देश) की बजाय पंचस्तरीय शासन व्यवस्था (प्रदेश- देश- वतन- प्रराष्ट्र-विश्व) के लिए गैट समझौते की तरह गैप* (Global Agreement on Poverty and Peace-GAPP) *समझौता कराना।*

(xxiv) *गैप समझौते के माध्यम से सशर्त दक्षिण एशियाई नागरिकता व सशर्त विश्व नागरिकता।*

(xxv) *गैप* (GAPP) *समझौते के माध्यम से दक्षिण एशियाई सरकार व विश्व सरकार का गठन।*

(xxvi) *गैप* (GAPP) *समझौते के माध्यम से दक्षिण एशियाई संसद व विश्व संसद का गठन।*

(xxvii) *गैप (GAPP) समझौते के माध्यम से दक्षिण एशियाई न्यायालय व विश्व न्यायालय का गठन।*

अनुसूची–2.4

वतन स्तरीय कार्यसमितियों की कार्यसूची–

(i) *विनिमय की नीतियां, विधियां बनाना एवं लागू करना,*

(ii) *प्रादेशिक साधारण सभा एवं राष्ट्रीय साधारण सभा के बीच द्विपक्षीय मामलों में समझौता एवं समन्वय कायम करना।*

(iii) *वतनी नागरिक्ता एवं वतनी वीजा कानून बनाना एवं लागू करना।*

अनुसूची–2.4.1

पूर्वी प्रराष्ट्रीय कार्यसमिति की कार्यसूची–

(i) *आर्थिक न्याय, वितरण का न्याय एवं आर्थिक लोकतन्त्र–कायम करना, रक्षा करना, पोषण करना, एवं उसका विस्तार करना।*

(ii) *सार्वभौम सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना एवं नये सांस्कृतिक मूल्यों की रचना करना।*

(iii) *प्रराष्ट्रीय नागरिकता एवं प्रराष्ट्रीय वीजा से संबद्ध विधि निर्माण एवं कार्यान्वियन।*

अनुसूची–2.4.2

पश्चिमी प्रराष्ट्रीय कार्यसमिति की कार्यसूची–

(i) *विश्व के उत्पादन का स्तर बनाये रखना, बढ़ाना*

(ii) *राजनैतिक लोकतन्त्र की रक्षा करना एवं विस्तार करना,*

(iii) *सार्वभौम प्राकृतिक नियमों के अनुरूप सामाजिक मूल्यों की रचना करना एवं ऐसे मूल्यों की रक्षा करना।*

अनुसूची–2.5

अनुसूची–2.6.1 **हटायें**

केन्द्रीय विधायक साधारण सभा की कार्यसूची–

दो कार्यसमितियों के मध्य विवादित समवर्ती कार्यसूची से संबंधित विधियाँ बनाना एवं उन्हें गैप गवर्निंग कौसिल के माध्यम से लागू करना।

अनुसूची–2.6.2 इ

राष्ट्रीय ट्रीय कार्यसमिति की कार्यसूची–

(i) *आर्थिक सत्ता का लोकतन्त्रिककरण करना एवं उसका पोषण करना,*

(ii) *क्रय शक्ति समृद्धि के माध्यम से गरीबी उन्मूलन करना,*

(iii) *धर्म निरपेक्ष शासन संस्कृति की रक्षा करना, पोषण करना एवं उसका विस्तार करना,*

(iv) *प्रत्यक्ष करों से संबंधित विधियाँ बनाना एवं उन्हें कार्यान्वित करना,*

(v) *स्वर्णमान निरपेक्षण मुद्रा नीति बनाना व ऐसी वर्तमाान विधियाँ लागू करना*

(vi) *तकनीकी परिस्पर्धा का निस्यन्दन करना,*

(vii) *मतदाता की अस्मिता, उसके राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना, पोषण करना एवं उनका विस्तार करना,*

(viii) *राजनैतिक केन्द्रीयकरण एवं आर्थिक विकेन्द्रीयकरण से संबंधित विधियाँ बनाना उन्हें लागू करना*

(ix) *वर्तमान पीढ़ी के लिये संसाधनों का अधिकाधिक उत्पादन करना,*

(x) *प्रभावी विधि निर्माण के माध्यम से समाज प्रबन्ध करना,*

(xi) *राज्य का सशक्तिकरण करना,*

(xii) *सार्वभौम भविष्योपयोगी मानव मूल्यों के प्रचारकों, ऐसे सन्तों, एवं ऐसे शिक्षकों का सशक्तिकरण करना,*

(xiii) *विधमान जनसंख्या का पालन पोषण करना।*

(xiv) *अद्वैत सम्प्रभुता सिद्धांत के अनुरूप राज्य संरचना का अनुकूलन,*

(xv) *ग्लोबल नागरिकता एवं ग्लोबल वीजा से संबंधित विधि निर्माण एवं कार्यान्वियन,*

(xvi) *मानवाधिकारों की रक्षा करना, पोषण करना एवं उनका विस्तार करना।*

57

अनुसूची-तीन

सदस्यता शुल्क

अनुसूची –3.1

प्राथमिक सदस्यता शुल्क

(3.1.1) अभियान की प्राथमिक सदस्यता शुल्क सालाना रू. 20 होगी। प्राथमिक सदस्यता शुल्क यथाशक्य उतनी रकम होगी, जितनी रकम में सदस्य बनने वाले व्यक्ति की क्षेत्रीय बाजार में दो किलो गेहूँमिल सकता हो।

(3.1.2) प्र थमिक सदस्यता शुल्क तय करने का अधिकार पाटी ॅ की केन्द्री य कायर्स मिति को होगा। केन्द्री य कार्यसमिति यह

कार्य अभियान की क्षेत्रीय कार्यसमिति की रिपोर्ट के आधार पर करेगी।

अनुसूची –3.2

सक्रिय सदस्यता शुल्क

(3.2.1)अभियान की सक्रिय सदस्यता शुल्क निम्नवत होगा–

(प) राष्ट्रीय कार्यसमिति –रू. 10

(पप) प्रराष्टद्वीय कार्यसमिति –रू. 20

(पपप) वतनी कार्यसमिति –रू. 40

(पअ) देशिक कार्यसमिति –रू. 60

(अ) प्रादेशिक कार्यसमिति –रू. 100

(3.2.2)पाटी र् की सक्रिय सदस्यता शुल्क में संशोधन करने का अधिकार पाटी र् की संबंधित उध्वार्ध र कायर्स मिति को होगा।

58

अनुसूची-चार

प्रकोष्ठों की सूची

1. *समन्वय*
2. *जनशक्ति एकीकरण*
3. *धनशक्ति संग्रह*
4. *विवाद निपटारा*
5. *सदस्यता अभियान*
6. *पहचान पत्र*
7. *मनोनयन*
8. *सिटीजन बैंकिंग*
9. *गुप्त सूचना*
10. *सुरक्षा*
11. *हस्ताक्षर अभियान*
12. *मंच प्रबंधन*
13. *मीडिया*
14. *धरना-प्रदर्शन*
15. *रैली*
16. *संगोष्ठी*
17. *अकादमिक*
18. *मिशन डायरेक्टरी*
19. *अनुवाद*
20. *वेबसाइट*
21. *प्रकाशन*
22. *आंतरिक चुनाव*
23. *संसदीय मामले*
24. *प्रचारक*
25. *राजनीतिक ध्रुवीकरण*
26. *वहिष्कार निरीक्षण*
27. *द. एशियाई नागरिकता*
28. *प्रराष्ट्रीय नागरिकता*

29. *विश्व नागरिकता*
30. *विश्व शान्ति*
31. *अहिंसा प्रोत्साहन*
32. *विकेन्द्रीकरण*
33. *पर्यावरण सुरक्षा*
34. *शैक्षिक सुधार*
35. *गरीबी उन्मूलन*
36. *निर्धन सहायता*
37. *मतदान प्रोत्साहन*

59

38. *सत्यवादिता प्रोत्साहन*
39. *सौन्दर्यबोध*
40. *नशा उन्मूलन*
41. *कर्मठता प्रोत्साहन*
42. *वामपंथ रक्षा*
43. *दक्षिणपंथ रक्षा*
44. *राष्ट्र निर्माण*
45. *चरित्र निर्माण*
46. *प्राइवेट भ्रष्टाचार नि.*
47. *सरकारी भ्रष्टाचार नि.*
48. *संस्कृति सशक्तिकरण*
49. *संत सशक्तिकरण*
50. *डाक्टर्स नेटवर्किंग*
51. *अस्पताल नेटवर्किंग*
52. *स्कूल नेटवर्किंग*
53. *बेरोजगारी भत्ता*
54. *सत्याग्रह*
55. *बीपीएल. वोटरशिप*
56. *दीवार लेखन*
57. *साम्प्रदायिक सौहार्द*

60

अनुसूची-पांच

मोर्चों की सूची

1. *समाजवादी*
2. *राष्ट्रवादी*
3. *कामरेड*
4. *दलित भागीदरी*
5. *महिला भागीदारी*
6. *असंगठित मजदूर*
7. *संगठित मजदूर*

8. *शासकीय कर्मचारी*

9. *किसान हित*

10. *विद्यार्थी हित*

11. *युवा अधिकार*

12. *उद्योग-व्यापार हित*

13. *अधिवक्ता*

14. *शासकीय शिक्षक*

15. *प्राइवेट शिक्षक*

16. *जनप्रतिनिधि*

17. *जातीय अस्मिता*

18. *पंथीय अस्मिता*

19. *क्षेत्रीय अस्मिता*

20. *भाषाई अस्मिता*

61

अनुसूची-छह

आपरेशनों की सूची

(6.1) आपरेशन वोटरशिप।

(6.2) आपरेशन इन्क्लूसिव रिजर्वेशन।

62

अनुसूची-सात

समावेशी नीति के अंतर्गत अपनाये गये प्रावधानों की सूची

अभियान संविधान की धारा-25 सामाजिक व आर्थिक-दोनो आधारों पर पिछड़े वर्गों को परम्पराओं व कानूनों के कारण मौजूद अवसरों की विषमता के कारण क्षति उठाने वाले वर्गो को क्षतिपूर्ति स्वरूप अभियान के विधायी

व कार्यकारी पदों पर आरक्षण के विशेष प्रावधान किये जाएंगे। आरक्षण संबंधी प्रावधान बनाने व उसमें संशोधन का विशेषाधिकार अभियान की राष्ट्रीय कार्यसमिति को होगा।

63

अनुसूची-आठ

अभियान संविधान में कारित संशोधनों की सूची

अभियान संविधान में किये गये संशोधनों को अनुसूची-आठ में सूचीबद्ध किया जाएगा, अभियान संविधान के मूल स्वरूप की स्मृति को बनाये रखने व अनुसंधान के लिये संविधान के जिस प्रावधान को संशोधित किया जाएगा, या निरसित किया जाएगा, उस प्रावधान को इस अनुसूची में अंकित किया जाएगा, किन्तु संबंधित प्रावधान को पूर्ववत यथास्थान बनाये रखा जाएगा।

64

अनुसूची-नौ

अभियान संविधान के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु निर्मित विधियों की सूची

अभियान संविधान के विविध प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यकतानुसार समय/समय पर नियमानुसार विधियां बनायी जाएंगी। इन विधियों को अनुसूची-नौ में सूचीबद्ध किया जाएगा।

65

आवेदन पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-एक

(1.1) **प्राथमिक सदस्यता आवेदन पत्र**

प्रारूप-दो

(2.2) **सक्रिय सदस्यता आवेदन पत्र**

66

अभियान के रजिस्टर

1- *अभियान के शून्य सदस्यों की सूची।*

2- *अभियान के प्राथमिक सदस्यों की सूची।*

3- *अभियान के सक्रिय सदस्यों की सूची।*

(i) jk"V्h; Lrj ds lfक्र; lnL;

(ii) izjk"Vªh; Lrj ds lfक्र; lnL;

(iii) oruh Lrj ds lfक्र; lnL;

(iv) nsf'kd Lrj ds lfक्र; lnL;

(v) izknsf'kd Lrj ds lfक्र; lnL;

4- *अभियान के साधारण सभा के सदस्यों की सूची*

(i) *राष्ट्रीय स्तर की साधारण सभा के सदस्य*

(ii) *प्रराष्ट्रीय स्तर की साधारण सभा के सदस्य*

(iii) *वतनी स्तर की साधारण सभा के सदस्य*

(iv) *देशिक स्तर की साधारण सभा के सदस्य*

(v) *प्रादेशिक स्तर की साधारण सभा के सदस्य*

5- *अभियान के मूल सदस्यों की सूची।*

6- *संसदीय परिषद के अध्यक्षों की सूची*

7- *चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्षों की सूची*

8- *चुनाव प्रत्यासी चयन परिषद के अध्यक्षों की सूची*

9- *न्यायिक परिषद के अध्यक्षों की सूची*

10- *लोक सेवा भती ं परिषद के महानिदश्े ाकों की सूची*

11- *गपै गवर्निंग परिषद (समवती)ं के राजदूतों की सूची*

12- *गपै गवर्निंग परिषद (समदष्ृाी)ं के राजपंचों की सूची*

13- *वोटस ं पाटी ं कोष के महपब्र ंधकों की सूची*

14- *सुरक्षा परिषद के महानिदेशकों की सूची*

15- *जनसंचार प्र धिकरण के पव्र क्ताओं की सूची*

16- *पाटी ं के कायर्स मितियों के सदस्यों की सूची*

17- *पाटी ं के न्यायाधीशों की सूची*

18- *पाटी ं के विविध स्तरों के पाटी ं गठबंधनों की सूची।*

19- *पाटी ं के विविध स्तरों पर पाटी ं के सहोदर दलों की सूची।*

20- *पाटी ं के नीति निर्देशकों की सूची-*

(i) *व्यक्तियों की सूची।*

(ii) *संगठनों की सूची।*

(ii) *ट्रस्टों की सूची।*

67

(iii) *समुदायों की सूची।*

21- *पाटी ं द्वारा मान्य वोटर कौंसिलस ं की सूची-*

1. देशवार वोटर कौंसिलरों की सूची

2. प्रदेशवार वोटर कौंसिलरों की सूची

3. जनपदवार वोटर कौंसिलरों की सूची

4. ब्लॉकवार वोटर कौंसिलरों की सूची

5. नगरपालिकावार वोटर कौंसिलरों की सूची

6. वार्डवार वोटर कौंसिलरों की सूची

7. ग्रामवार वोटर कौंसिलरों की सूची

22- *पार्टी के द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों की सूची–*

1.संगठनों/संस्थाओं की सूची

2.ट्रस्टों की सूची

3.फर्मों की सूची

4.कम्पनियों की सूची

23- *पार्टी से संबंद्ध प्रतिष्ठानों की सूची–*

1.संगठनों/संस्थाओं की सूची

2.ट्रस्टों की सूची

3.संबद्ध फर्मों की सूची

4.कम्पनियों की सूची

24- *पार्टी के अधिकृत प्रतिष्ठानों की सूची–*

1.संगठनों/संस्थाओं की सूची

2.ट्रस्टों की सूची

3.संबद्ध फर्मों की सूची

4.कम्पनियों की सूची

25- *पार्टी द्वारा मान्य ऐच्छिक विश्व नागरिकों की सूची–*

1.देशवार विश्व नागरिकों की सूची

2.प्रदेशवार विश्व नागरिकों की सूची

3.जनपदवार विश्व नागरिकों की सूची

26- *पार्टी द्वारा मान्य ऐच्छिक पूर्वी प्रराष्ट्र के नागरिकों की सूची–*

1.देशवार प्रराष्ट्र नागरिकों की सूची

2.प्रदेशवार प्रराष्ट्र नागरिकों की सूची

3.जनपदवार प्रराष्ट्र नागरिकों की सूची

27- *पार्टी द्वारा मान्य ऐच्छिक पश्चिमी प्रराष्ट्र के नागरिकों की सूची–*

1.देशवार प्रराष्ट्र नागरिकों की सूची

2.प्रदेशवार प्रराष्ट्र नागरिकों की सूची

3.जनपदवार प्रराष्ट्र नागरिकों की सूची

28- *पार्टी द्वारा मान्य ऐच्छिक दक्षिण एशियाई वतन के नागरिकों की सूची–*

1.देशवार प्रराष्ट्र नागरिकों की सूची

2.प्रदेशवार प्रराष्ट्र नागरिकों की सूची

68

3.जनपदवार प्रराष्ट्र नागरिकों की सूची

29- *पार्टी द्वारा मान्यता प्राप्त उत्पादों, उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं की सूची–*

(i) *राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त उत्पादों, उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं की सूची*

(ii) *प्रराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त उत्पादों, उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं की सूची*

(iii) *वतनी स्तर पर मान्यता प्राप्त उत्पादों, उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं की सूची*

(iv) *देशिक स्तर पर मान्यता प्राप्त उत्पादों, उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं की सूची*

(v) *प्रादेशिक स्तर पर मान्यता प्राप्त उत्पादों, उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं की सूची*

(vi) *जनपदीय स्तर पर मान्यता प्राप्त उत्पादों, उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं की सूची*

(vii) *ब्लाक स्तर पर मान्यता प्राप्त उत्पादों, उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं की सूची*

30- *पार्टी द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रतिष्ठानों की सूची–*

(i) *ट्रस्टों के नामों की सूची।*

(ii) *संस्थाओं/संगठनों के नामों की सूची।*

(iii) *कम्पनियों के नामों की सूची।*

(iv) *फर्मों के नामों की सूची।*

31- *पार्टी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण–प्रशिक्षण सेवा प्रदाता प्रतिष्ठानों की सूची–*

(i) *ट्रस्टों के नामों की सूची।*

(ii) *संस्थाओं/संगठनों के नामों की सूची।*

(iii) *कम्पनियों के नामों की सूची।*

(iv) *फर्मों के नामों की सूची।*

32- *पार्टी द्वारा मान्यता प्राप्त कपड़ा उत्पादक प्रतिष्ठानों की सूची-*

(i) *ट्रस्टों के नामों की सूची।*

(ii) *संस्थाओं/संगठनों के नामों की सूची।*

(iii) *कम्पनियों के नामों की सूची।*

(iv) *फर्मों के नामों की सूची।*

33- *पार्टी द्वारा मान्यता प्राप्त मकान निर्माता प्रतिष्ठानों की सूची-*

(i) *ट्रस्टों के नामों की सूची।*

(ii) *संस्थाओं/संगठनों के नामों की सूची।*

(ii) *फर्मों के नामों की सूची।*

(iii) *कम्पनियों के नामों की सूची।*

34- *पार्टी द्वारा मान्य उन मिशन मित्र प्रतिष्ठानों की सूची जिनके साथ पार्टी अपने मिशन के लिए अराजनीतिक, परा-राजनीतिक, परा-देशिक, अंतराष्ट्रीय व राष्ट्रीय मोर्चा बनाती है-*

(i) *मिशन मित्र ट्रस्टों के नामों की सूची।*

(ii) *मिशन मित्र संस्थाओं/संगठनों के नामों की सूची।*

(iii) *मिशन मित्र कम्पनियों के नामों की सूची।*

(iv) *मिशन मित्र फर्मों के नामों की सूची।*

(v) *राजनीतिक पार्टियों की सूची*

(vi) *दलों के गठबंधनों की सूची*

अनुसूची–4

58. कला

अनुसूची–5

21. सर्वग्रही

22. सर्वदाता

23 दक्षिणपंथी

24. वामपंथी